भारतीय मानक ब्यूरो
ureau of Indian Standards

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2010-2011

Standards make the world accessible for all

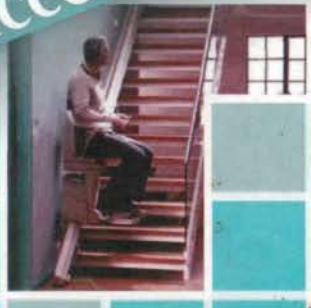

ब्यूरो के प्रधान अधिकारी, कार्यकारिणी समिति और महानिदेशालय (31 मार्च 2011 को)
PRINCIPAL OFFICERS OF BUREAU, EXECUTIVE COMMITTEE AND THE DIRECTORATE GENERAL (as on 31 March 2011)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

अध्यक्ष	President	प्रो० के० वी० थॉमस उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)	**Prof. K. V. Thomas** Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Independent Charge)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति	Chairman, Executive Committee	श्री शरद गुप्ता महानिदेशक, भा मा ब्यूरो	**Shri Sharad Gupta** Director General, BIS

भा मा ब्यूरो महानिदेशालय BIS DIRECTORATE GENERAL

मुख्यालय Headquarters

महानिदेशक	**Director General**	श्री शरद गुप्ता	**Shri Sharad Gupta**
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	श्री अलिन्द चन्द्रा	**Shri Alinda Chandra**
अपर महानिदेशक	**Additional Director General**	श्रीमती अल्का पंडा	**Smt. Alka Panda**

वैज्ञानिक 'जी' एवं प्रमुख	**Scientist 'G' & Chief**		
मानकीकरण	Standardization	श्री पी० के० गम्भीर	Shri P. K. Gambhir
प्रमाणन	Certification	श्री सी० के० माहेश्वरी	Shri C. K. Maheshwari
प्रयोगशाला	Laboratory	श्री डी० के० नैय्यर	Shri D. K. Nayyar
मुख्य सतर्कता अधिकारी	**Chief Vigilance Officer**	श्रीमती हरजोत कौर	Smt. Harjot Kaur

उप महानिदेशक	**Deputy Director General**		
प्रशासन	Administration	श्री अमिताभ सिन्हा	Shri Amitav Sinha
वित्त	Finance	श्री एच० आर० आहूजा	Shri H. R. Ahuja

वैज्ञानिक 'एफ' (उप महानिदेशक)	**Scientist 'F' (Deputy Director General)**		
प्रशिक्षण संस्थान	Training Institute	श्रीमती मधुलिका प्रकाश	Smt. Madhulika Prakash
हॉलमार्किंग	Hallmarking	श्रीमती परमिन्दर बजाज	Smt. Parminder Bajaj
परियोजना, योजना और समन्वय	Project, Planning & Co-ordination	डा०(श्रीमती) स्नेह भाटला	Dr. (Smt.) Sneh Bhatla
प्रवर्तन	Enforcement	श्री एस० के० खन्ना	Shri S. K. Khanna

क्षेत्रीय कार्यालय Regional Offices

वैज्ञानिक 'एफ' (उप महानिदेशक)	**Scientist 'F' (Deputy Director General)**		
मध्य क्षेत्र	Central Region	श्री पी० के० बत्रा	Shri P. K. Batra
पश्चिमी क्षेत्र	Western Region	श्री पी० सेनगुप्ता	Shri P. Sengupta
पूर्वी क्षेत्र	Eastern Region	डा० डी० के० चौधुरी	Dr. D. K. Chaudhuri
दक्षिणी क्षेत्र	Southern Region	श्री के० अनबुरासु	Shri K. Anbarasu
उत्तरी क्षेत्र	Nothern Region	श्रीमती के० के० नारंग	Smt. K. K. Narang

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2010 - 11

मानकः पथप्रदर्शकः

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

विषय सूची
CONTENTS

क्र० सं०	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सिंहावलोकन Overview	1
2.	मानक Standards	4
3.	प्रमाणन Certification	40
4.	प्रयोगशाला सेवाएँ Laboratory Services	49
5.	सतर्कता गतिविधियाँ Vigilance Activities	51
6.	तकनीकी सूचना सेवाएँ Technical Information Services	53
7.	प्रशिक्षण सेवाएँ Training Services	55
8.	उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ Consumer Related Activities	56
9.	ग्यारहवीं योजना XIth Plan	58
10.	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ International Activities	62
11.	कंप्यूटरीकरण एवं कार्यालय स्वचालन समृद्ध आईटी ढाँचा Computerization and Office Automation Enrich IT Infrastructure	66
12.	परियोजना प्रबंधन Project Management	67
13.	मानव संसाधन विकास Human Resource Development	68
14.	वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा Finance, Accounts and Audit	69

सिंहावलोकन
OVERVIEW

भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) पूर्व में भारतीय मानक संस्थान (आई एस आई) के कर्मचारियों, परिसम्पत्तियों, देयताओं और प्रकार्यों का अधिग्रहण करके एक व्यापक कार्य-क्षेत्र तथा अधिक शक्तियाँ सहित 26 नवम्बर, 1986 के संसद के एक अधिनियम के माध्यम से 1 अप्रैल, 1987 को अस्तित्त्व में आया। यह परिवर्तन सरकार ने राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण और कार्यान्वयन में गुणता संस्कृति और चेतना लाने तथा उपभोक्ताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का वातावरण बनाने की दृष्टि से किया।

ब्यूरो 25 सदस्यों का एक कार्पोरेट निकाय है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री इसके अध्यक्ष हैं। केन्द्र एवं राज्य, दोनों सरकारों के प्रतिनिधि, सांसद, उद्योग, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों, उपभोक्ता संगठनों और व्यावसायिक निकायों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हैं।

ब्यूरो की 19 वीं बैठक 18 जनवरी, 2011 को आयोजित की गई। नई नीति/निर्देशों के कार्यान्वयन में भा मा ब्यूरो को सलाह देने के लिए वर्ष के दौरान कार्यकारी समिति की छह बैठकें आयोजित हुई, जबकि वर्ष के दौरान वित्त समिति की तीन बैठकें आयोजित की गई।

भा मा ब्यूरो की संरचना तीसरे कवर पृष्ठ पर दी गई है।

संगठनात्मक नेटवर्क

ब्यूरो का मुख्यालय, नई दिल्ली में है तथा कोलकता (पूर्वी), चेन्नै (दक्षिणी), मुंबई (पश्चिमी), चंडीगढ़ (उत्तरी) और दिल्ली (मध्य) में 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अहमदाबाद, बैंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, राजकोट, तिरूवनन्तपुरम एवं विशाखापटनम् स्थित शाखा कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालयों के तहत् हैं, जो क्षेत्र में राज्य सरकारों, उद्योगों, तकनीकी संस्थाओं, उपभोक्ता संगठनों आदि के बीच प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरो की गतिविधियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है:

क) मानक निर्धारण
ख) प्रमाणन: उत्पाद, हॉलमार्किंग तथा पद्धतियाँ
ग) प्रयोगशाला सेवाएँ
घ) भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री
ड) अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ
च) उपभोक्ता संबंधी गतिविधियाँ
छ) संवर्धन गतिविधियाँ

Bureau of Indian Standards (BIS) came into existence, through an Act of Parliament dated 26 November 1986, on 1 April 1987, with a broadened scope and more powers taking over the staff, assets, liabilities and functions of erstwhile Indian Standards Institution (ISI). Through this change over, the government envisaged building a climate for quality culture and consciousness and greater participation of consumers in formulation and implementation of National Standards.

The Bureau is a Body Corporate consisting of 25 members representing both Central and State governments, Members of Parliament, industry, scientific and research institutions, consumer organizations and professional bodies with Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution as its President.

Nineteenth meeting of the Bureau was organized on 18 January 2011. The Executive Committee had six meetings during the year to advise BIS in implementation of new policy/directives while the Financial Committee met thrice during the year.

The structure of BIS is given on the third cover page.

Organizational Network

BIS has its Headquarters at New Delhi and its 5 Regional Offices (ROs) are at Kolkata (Eastern), Chennai (Southern), Mumbai (Western), Chandigarh (Northern) and Delhi (Central). Under the Regional Offices are the Branch Offices (BOs) located at Ahmedabad, Bengaluru, Bhubaneswar, Bhopal, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Rajkot, Thiruvananthapuram and Vishakhapatnam which serve as effective link between State Governments, industries, technical institutions, consumer organizations, etc, of the region.

Activities

The activities of BIS can be broadly grouped under the following heads:

a) Standards Formulation
b) Certification : Product, Hallmarking and Systems
c) Laboratory Services
d) Sales of Indian Standards and Other Publications
e) International Activities
f) Consumer Related Activities
g) Promotional Activities

ज) प्रशिक्षण सेवाएँ

झ) सूचना सेवाएँ

त्र) वित्तीय, संसाधन — संग्रहण और उपयोग आदि

भारतीय मानक ब्यूरो ने 2010-11में चहुँमुखी प्रगति बनाए रखी है। ब्यूरो ने कुल रू० 23656.86 लाख की आय अर्जित कर पिछले वर्ष की रू० 22350.36 लाख की आय की तुलना में 14.20 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की। भा० मा० ब्यूरो अपने व्यय और देयताओं का वहन करते हुए लगातार बाईस वर्षों से आत्मनिर्भर बना हुआ है।

2010-11 की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं:

- अवधि के दौरान विभिन्न व्यापक विषयों पर 338 भारतीय मानकों का निर्धारण किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण (नए एवं संशोधित) मानक हैं:
  - अच्छी कृषि रीतियों की अपेक्षाएँ — इंडिया गैप: भाग 1 कृषि आधारित,
  - बम्बू के ढाँचागत डिजाइन — रीति संहिता,
  - जोखिम प्रबंधन — सिद्धांत एवं मार्गदर्शी सिद्धांत,
  - भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन एवं भवनों का निर्माण — रीति संहिता,
  - शिक्षण संस्थानों में आग से सुरक्षा — रीति संहिता,
  - होटलों में आग से सुरक्षा — रीति संहिता,
  - राष्ट्रीय प्रकाश व्यवस्था संहिता — 2010,
  - राष्ट्रीय विद्युत संहिता — 2011,
  - हाईवे के लिए भू-संश्लिष्ट — विशिष्टि,
  - पॉवर हाउस स्थलों के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण — रीति संहिता।

31 मार्च, 2011 तक कुल 18610 मानक लागू थे।

- 31 मार्च, 2011 तक कुल 4787 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित किया जा चुका है। जहाँ आईएसओ/आईईसी के संगत मानक उपलब्ध हैं। उन मानकों की संख्या ध्यान में रखते हुए लगभग 82 प्रतिशत भारतीय मानकों को सुमेलित किया जा चुका है।
- विचाराधीन अवधि के दौरान 3151 उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 31 मार्च, 2010 तक (हॉल-मार्किंग को छोडकर) कुल 24145 लाइसेंस प्रचालन में थे।
- वर्ष के दौरान 5 नए उत्पादों को पहली बार प्रमाणन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। ये उत्पाद हैं: ओपन एंडिड स्लगिंग रेचिंग (स्पेन्नर्स) - आईएस 4508, रिंग स्लगिंग रेचिंज (स्पेन्नर्स) - आईएस 4509, प्रेस्ड सेरामिक टाइल्स - आईएस 15265, फ्लेक्सिब्ल पीवीसी पाइप - आईएस 15622, उच्च घनत्व पोलीइथाइलीन (एच डी पी ई) वर्मिन कल्चर के लिए गुम्फित बेड - आईएस 15907।

h) Training Services

i) Information Services

j) Financial, Resources — Mobilization and Utilization etc

Bureau of Indian Standards has maintained the all round progress during the year 2010-11. It recorded a total income (including interest) of ₹ 23656.86 lakhs and a growth of 14.20 percent over the income in the previous year which was ₹ 22350.36 lakhs. For the twenty second consecutive year, BIS continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities

The highlights of achievements during 2010-11 are:

- 338 Indian Standards covering wide range of subjects were formulated during this period. Some important standards (new and revised) formulated are:
  - Requirements for good agricultural practices — IndiaGAP: Part 1 Crop base,
  - Structural Design Using Bamboo — Code of Practice,
  - Risk Management — Principles and guidelines,
  - Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings — Code of Practice,
  - Fire Safety in Educational Institutions — Code of Practice,
  - Fire Safety in Hotels — Code of Practice,
  - National Lighting Code — 2010,
  - National Electrical Code — 2011,
  - Geo-synthetics for Highways — Specification,
  - Geotechnical Investigation for Powerhouse Sites — Code of Practice,

The total number of standards in force as on 31 March 2011 was 18610.

- A total of 4787 Indian Standards have been harmonized with international standards as on 31 March 2011. Considering the number of standards where corresponding ISO/IEC Standards exist, about 82 percent of Indian Standards are harmonized.
- 3151 Product Certification licences have been granted during the period under consideration. The total number of operative licences as on 31 March 2011 were 24145 (excluding Hallmarking).
- During the year 5 new products were covered for the first time under the product certification scheme These products are Open Ended Slugging Wrenches (Spanners) – IS 4508; Ring Slugging Wrenches (Spanners) – IS 4509, Pressed Ceramic Tiles – IS 15265, Flexible PVC Pipes – IS 15622, High Density Polyethylene (HDPE) Woven Beds for Vermin Culture – IS 15907.

- 31 मार्च, 2011 तक स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉल-मार्किंग लाइसेंसों की संख्या बढकर 8098 हो गई, जबकि 31 मार्च, 2010 को यह संख्या 7393 थी। वर्ष में लगभग 247.77 लाख सोने/कलात्मक चीजों पर हॉलमार्क लगाया गया।
- 94 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 19 पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस, 5 व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस प्रदान किए गए। 4 संगठनों के कई स्थलों पर सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस लागू हैं।
- भा मा ब्यूरो की मानक मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर समस्त देश में 135 छापे मारे गए।
- भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं द्वारा जारी परीक्षण रिपोर्टों की संख्या 19282 रही। दिसंबर 2010 से स्वर्ण रेफरल मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नै ने सोने के आभूषण के नमूनों के परीक्षण शुरु किए हैं तथा 31 मार्च 2011 तक 33 टेस्ट रिपोर्ट जारी की है।
- विकासशील देशों के लिए मानकीकरण और गुणता आश्वासन में 43 वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रबंध पद्धतियों पर सातवें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष पहली बार प्रयोगशाला गुणता प्रबंधन पर अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 15 अक्तूबर, 2010 को विश्व मानक दिवस का आयोजन किया गया। वर्ष 2010 का विषय **'मानक सर्वजन हिताय'** था।
- दिनांक 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।
- 14 से 28 सितम्बर, 2010 तक हिन्दी पखवाडा मनाया गया, जिसमें हिन्दी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- दिनांक 31 मार्च, 2011 तक भा मा ब्यूरो में कुल 1639 व्यक्ति कार्यरत थे।

(शरद गुप्ता)
महानिदेशक

ई-मेल : dg@bis.org.in
वेबसाइट : www.bis.org.in

- The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 7393 on 31 March 2010 to 8098 as on 31 March 2011. Around 247.77 lakh articles of gold jewellery/artefacts have been hallmarked during the year.
- 94 Quality Management System Certification licences, 19 Environmental Management Systems Certification licences, 5 Occupational Health and Safety Management Systems Certification licences were granted. 4 organizations with multi-sites are operating Service Quality Management System Certification.
- 135 enforcement raids were carried out all over India on firms misusing the BIS Standard Mark.
- Number of Test Reports issued by BIS Laboratories was 19282. Gold Referral Assaying Laboratory at Chennai has started testing of Gold Jewellery samples since Dec 2010 and has issued 33 test reports till 31 March 2011.
- Holding of the 43rd International Training Programme on Standardization and Quality Assurance for developing countries, and the 7th International Training Programme on Management Systems for developing countries. Another International Training Programme on Laboratory Quality Management was also organized during this year for the first time.
- Celebration of World Standards Day on 15 October 2010 to commemorate the establishment of the International Organization for Standardization (ISO). The theme for 2010 was "**Standards make the world accessible for all**".
- Observance of the 'Vigilance Awareness Week' from 25 October to 1 November 2010.
- Celebration of Hindi Pakhwara during 14-28 September 2010 wherein different competitions in Hindi were organized.
- As on 31 March 2011, a total of 1639 persons were on roll in BIS.

(Sharad Gupta)
Director General

e-mail : dg@bis.org.in
Website : www.bis.org.in

मानक

मानक निर्धारण

मानकों के निर्धारण के लिए भा मा ब्यूरो संबंधित विभाग परिषदों के तहत विषयों के विशिष्ट समूहों पर कार्य के लिए गठित विषय समितियों, उप-समितियों, और पैनलों के रूप में तकनीकी समिति-संरचना के माध्यम से कार्य करता है। विषय समितियों, उप-समितियों और पैनलों के साथ-साथ उनकी विभाग परिषदों में भा मा ब्यूरो के अधिकारी संगठित उपभोक्ता, उपभोक्ता निकायों, नियामक एवं अन्य सरकारी निकायों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकिविदों परीक्षण संगठनों के प्रतिनिधि तथा वैयक्तिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

भारतीय मानक (मानकों) के निर्धारण का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार के किसी भी मंत्रालय, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, उपभोक्ता संगठनों, औद्योगिक इकाइयों, उद्योग संघों, पेशेगत निकायों, ब्यूरो सदस्यों तथा इसकी तकनीकी समितियों के सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है। प्रस्ताव संबंधित विभाग परिषद् द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद भारतीय मानक के निर्धारण के लिए संबंधित विषय समिति उस पर मानक बनाती है।

वर्ष के दौरान सिविल इंजीनियरी, रसायन, विद्युत-तकनीकी, खाद्य एवं कृषि, यांत्रिक इंजीनियरी, प्रबंधन एवं पद्धतियों, धातुकर्म यांत्रिकी, पैट्रोलियम एवं कोयला संबंधी उत्पादों, वस्त्रादि, परिवहन इंजीनियरी और जल संसाधन विभागों की विभाग परिषदों की बैठकें हुई। विषय समितियों की 184 बैठकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में उप-समितियों और पैनलों की बैठकों का भी आयोजन किया गया, जिनमें मानकों के मसौदों और तकनीकी दस्तावेजों पर विस्तार से विचार किया गया।

भा मा ब्यूरो की नीति नवीन प्रौद्योगिकियों पर मानक निर्धारण करने और अप्रचलित मानकों को वापस लेने की है। 2010-11 के दौरान भा मा ब्यूरो ने 338 मानक (137 नए और 201 पुनरीक्षित) बनाए।

महत्त्वपूर्ण मानक

वर्ष के दौरान कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों पर नए निर्धारित अथवा पुनरीक्षित मानक निम्नानुसार हैं:

बम्बू के प्रयोग से ढांचागत डिजाइन — रीति संहिता

यह भारतीय मानक बम्बू के प्रयोग से डिजाइन एवं निर्माण संबंधी है जो भवन निर्माण सामग्री के रूप में कई सामाजिक एवं व्यापार उपलब्धियाँ इंजीनियरिंग मान्यता तथा उन्नत स्तर प्रदान करता है।

इस भारतीय मानक में यांत्रिक प्रतिरोध एवं ढ़ाँचों के टिकाऊपन के संबंध में भवनों में बम्बू के प्रयोग से ढ़ाँचागत डिजाइन में शामिल किए गए सामान्य सिद्धांत शामिल हैं। इसमें गुणता आश्वासन के लिए न्यूनतम सामर्थ्य आंकडें, आयामीय स्थिरता, ग्रेडिंग अपेक्षाएँ एवं पारंपरिक बम्बू जोडों को शामिल किया गया है। साइट पर कार्य, साइट से हटकर अवयवों को गढ़ना एवं साइट पर उन्हें खडा करने के आवश्यक

STANDARDS

STANDARDS FORMULATION

For formulation of Indian Standards, BIS functions through the Technical Committee structure in terms of Sectional Committees, Subcommittees and Panels set up for dealing with specific group of subjects under respective Division Councils. The Sectional Committees, Subcommittees and Panels as well as their Division Councils include concerned officials of BIS and representatives of various interests such as organized consumers, consumer bodies, regulatory and other government bodies, industries, scientists, technologists, testing organizations and individual experts.

A proposal for formulation of Indian Standard(s) may be submitted by any Ministry of the Central Government, State Governments, Union Territory Administrations, Consumer Organizations, Industrial Units, Industry Associations, Professional Bodies, Members of the Bureau and Members of its Technical Committees. The proposal is taken up for formulation of standards by an appropriate Sectional Committee with approval by the concerned Division Council.

Division Councils of Civil Engineering, Chemical, Electrotechnical, Food and Agriculture, Mechanical Engineering, Management and Systems, Metallurgical Engineering, Petroleum & Coal Related Products, Transport Engineering and Water Resources Departments met during the year. The meetings of 184 Sectional Committees, in addition to large number of Subcommittees and Panels were also held to consider draft standards and related technical documents in detail.

It is the policy of BIS to formulate Indian Standards on emerging technologies and withdraw obsolete standards. During 2010-11, BIS formulated 338 (137 new and 207 revised) standards.

Important Standards

Some of the important subjects on which new or revised standards were formulated during the year are given below:

Structural Design Using Bamboo — Code of Practice

This Indian Standard is on design and construction using bamboo which caters to a number of social and trade advantages, engineering recognition and an improved status as a building material.

This Indian Standard covers the general principles involved in the structural design using bamboo in buildings with regard to mechanical resistance and durability of structures. It covers minimum strength data, dimensional stability, grading requirements and traditional bamboo joints for quality assurance. Work on site, fabrication of components off-site and their erection on site is covered

निश्चेतना गैस संमार्जक पद्धति (एजीएसएस) टर्मिनल यूनिटें निश्चेतना गैस संमार्जक पद्धति में ऐसे बिंदु हैं जहाँ ऑपरेटर चिकित्सा गैसों के निपटान तथा निश्चेतना मशीनों या चिकित्सा उपकरण की अन्य मदों से निश्चेतना वाष्पकणों के कनेक्शन करते या कनेक्शन हटाते हैं तथा जहाँ एक गलत कनेक्शन रोगी को जोखिम में डाल सकता है। यह महत्त्वपूर्ण है कि टर्मिनल यूनिटों एवं उनके घटकों को इस प्रकार डिजाइन, निर्मित, संस्थापित तथा अनुरक्षित किया जाए कि वे इस मानक के भाग में निर्दिष्ट आधारभूत अपेक्षाओं को पूरा करें।

यह भारतीय मानक सामग्रियों की उपयुक्तता, टाइप विशेषता, प्रोबों के आयाम तथा टाइप विशेष कनेक्शन पाईंट, सफाई, परीक्षण, पहचान एवं आपूर्तित सूचना पर विशेष ध्यान देता है।

यह भारतीय मानक टर्मिनल यूनिटों के संस्थापन और उसके बाद उनके परीक्षण के लिए सूचना के प्रावधान निर्दिष्ट करता है। टर्मिनल यूनिटों का उपयोग करने से पहले उनपर परीक्षण करना रोगी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और यह आवश्यक है कि जब तक उनका परीक्षण पुर्णरूपेण पुर्ण न कर दिया जाए तब तक टर्मिनल यूनिटों का उपयोग न किया जाए।

जोखिम प्रबंधन – सिद्धांत एवं मार्गदर्शी सिद्धांत (आईएस/ आईएसओ 31000 : 2009)

यह भारतीय मानक आईएसओ 31000 का अधिग्रहण है। संगठन की सभी गतिविधियों में जोखिम शामिल होता है। संगठन जोखिम को चिन्हित करके, इसे विश्लेषित करके तथा आकलन करके उसे व्यवस्थित करते हैं। अपने जोखिम मानदण्डों की संतुष्टि के लिए उनका उपचार करके उनमें संशोधन किया जाए या नहीं, इसका मूल्यांकन करते हैं। जब सभी संगठन कुछ अंश तक जोखिम व्यवस्थित करते हैं तो यह मानक कई ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत स्थापित करता है जो जोखिम प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी हैं।

यह भारतीय मानक जोखिम प्रबंधन संबंधी सिद्धांतों एवं जेनेरिक मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराता है। यह किसी उपयोग या सेक्टर से संबद्ध नहीं है बल्कि किसी भी प्रकार के जोखिम पर यह लागू किया जा सकता है, चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, चाहे उसके नकारात्मक या सकारात्मक परिणाम ही हो। यद्यपि, यह मानक जेनेरिक मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराता है, तथापि यह संगठनों में जोखिम प्रबंधन की एकरूपता को बढावा देने के लिए अभिप्रेत नहीं है। जोखिम प्रबंधन योजनाओं तथा कार्य योजनाओं के डिजाइन तथा कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट संगठन की भिन्न-भिन्न जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी होगा।

यह अभिप्रेत है कि इस मानक का उपयोग वर्तमान एवं भविष्य के मानकों में जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुमेलित करने के लिए किया जाए। यह विशेष जोखिमों एवं/या सेक्टरों में मानकों के समर्थन में एक आम दृष्टिकोण प्रदान करता है तथा उन मानकों का विकल्प नहीं है। यह मानक प्रमाणन के प्रयोजन के लिए नहीं है।

वेल्डित गैस सिलिंडर के निर्माण में उच्च तनन सामर्थ्य फ्लैट रोल्ड स्टील प्लेट (6 मिमी तक), शीट एवं पटिट्याँ

इस भारतीय मानक में वेल्डित गैस सिलिंडर के निर्माण में डीप ड्रॉईंग गुणता हॉट रोल्ड स्टील प्लेट (6 मिमी तक) शीट तथा पटिट्यों की

Anaesthetic Gas Scavenging System (AGSS) terminal units are the points in an anaesthetic gas scavenging system where the operator makes connections and disconnections for the disposal of medical gases and anaesthetics vapours from anaesthetic machines or other items of medical equipment, and where a wrong connection can create a hazard to the patient. It is important that terminal units and their components be designed, manufactured, installed and maintained in such a way as to meet the basic requirements specified in this part of standard.

This Indian Standard pays particular attention to suitability of materials, type specificity, dimensions of probes and type-specific connection points, cleanliness, testing, identification and information supplied.

This Indian Standard specifies the provision of information for the installation and subsequent testing of terminal units. Testing of terminal units prior to use is critical to patient safety, and it is essential that terminal units are not used until full testing has been completed.

Risk Management – Principles and Guidelines (IS/ISO 31000 : 2009)

This Indian standard is an adoption of ISO 31000. All activities of an organization involve risk. Organizations manage risk by identifying it, analysing it and then evaluating whether the risk should be modified by risk treatment in order to satisfy their risk criteria. While all organizations manage risk to some degree, this standard establishes a number of principles that need to be satisfied to make risk management effective.

This Indian Standard provides principles and generic guidelines on risk management. It is not specific to any industry or sector. It can be applied to any type of risk, whatever its nature, whether having positive or negative consequences. Although this standard provides generic guidelines, it is not intended to promote uniformity of risk management across organizations. The design and implementation of risk management plans and frameworks will need to take into account the varying needs of a specific organization.

It is intended that this standard be utilized to harmonize risk management processes in existing and future standards. It provides a common approach in support of standards dealing with specific risks and/or sectors, and does not replace those standards. This standard is not intended for the purpose of certification.

High Tensile Strength Flat Rolled Steel Plate (Upto 6 mm), Sheet and Strip for the Manufacture of Welded Gas Cylinder

This Indian Standard covers the requirements for deep drawing quality hot rolled steel plate (upto 6 mm), sheet

अपेक्षाएँ शामिल हैं। यह विशिष्टि पतले गेज वाले गैस सिलिंडर के उत्पादन को सरल करेगी जिससे घरेलू/ऑटो तथा औद्योगिक सिलिंडरों का वजन कम होगा। इन हल्के वजन वाले सिलिंडरों के लाभ में प्रति क्विंटल स्टील में ज्यादा सिलिंडर बनाना तथा रख-रखाव एवं परिवहन में आसानी होना शामिल है।

हॉट रॉल्ड मीडियम एवं उच्च तनन संरचना इस्पात

इस मानक में संरचनागत कार्यों में प्रयोग के लिए माइक्रो-मिश्रित इस्पात प्लेटें, पटिट्याँ, आकार तथा सेक्शन (एंगल, टी, बीम, चैनल इत्यादि), फ्लैट, बार इत्यादि सहित इस्पात की अपेक्षाएँ शामिल हैं। इस्पात वेल्डित बोल्ट लगे एवं रिबेट किए गए ढ़ाँचों तथा सामान्य इंजीनियरिंग प्रयोजनार्थ उपयुक्त हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण, आपरेशन एवं रख-रखाव की सुरक्षा संहिता: भाग 11 भूमिगत उत्खनन

इस मानक में अंडरग्राउंड पावर हाउस, ट्रांसफार्मर केवर्न, सुरंगें, शाफ्ट जैसे सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट तथा केबल शाफ्ट अतिरिक्त रूप से चलित मध्यवर्ती सुरंगें (एडीआईटी) तथा नदी घाटी परियोजनाओं से जुड़े ऐसे अन्य ढ़ाँचों के लिए भूमिगत उत्खनन के दौरान लिए जाने वाले सुरक्षा पहलुओं की अपेक्षाएँ दी गई हैं। इनके आपरेशन एवं रख-रखाव के दौरान अनुपालित किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को भी इसमें वर्णित किया गया है।

किसी प्रकार के ढ़ाँचों से उत्खनन के दौरान सुरक्षा अपेक्षा ढ़ाँचों के निर्माण प्रक्रिया की किस्में, स्ट्रेटा के प्रकार तथा कार्यस्थल पर लगाए गए कर्मियों की संख्या तथा मशीनों के प्रकार के अनुरुप भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। उचित ढंग से सुरक्षा अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए समुचित शिक्षा तथा आयोजन जरूरी है।

भवनों के भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइन एवं निर्माण — रीति संहिता (आईएस 4326)

यह मानक पूर्व संविरचित फ्लोरिंग/रूफिंग घटकों सहित आयताकार चिनाई इकाइयों, इमारती लकडी के निर्माण तथा भवनों के प्रयोग से चिनाई निर्माण सहित भूकम्परोधी भवनों के डिजाइन एवं निर्माण की सामग्रियों के चयन तथा विशेष फीचरों संबंधी कार्य से संबंधित है।

इस मानक में पारम्परिक किस्मों के भूकम्परोधी भवनों के डिजाइन एवं निर्माण के विशिष्ट लक्षण शामिल हैं। अन्य भवनों के मामलों में, भूकम्प बलों का विस्तृत विश्लेषण आवश्यक होगा। स्टील डिजाइन भूकम्पीय अक्षांश तथा इस्पात प्रबलन का उपयोग करके बने परिकलन की रेंज के आधार पर दीवारों तथा ओपनिंग के जेम्ब में कोनों और जंक्शन पर विभिन्न क्षैतिज बैंड़ तथा ऊर्ध्वाधर इस्पात में ओपनिंग पर प्रतिबंध तथा इस्पात के प्रावधान के बारे में सिफारिशें हैं।

and strip for the manufacture of welded gas cylinder. This specification will facilitate production of thinner gauge gas cylinder which in turn would reduce the weight of domestic/auto and industrial cylinders. Benefit of these light weight cylinders includes more number of cylinders per ton of steel and ease of handling and transportation

Hot Rolled Medium and High Tensile Structural Steel

This Indian Standard covers the requirements of steel including micro-alloyed steel plates, strips, shapes and sections (angles, tees, beams, channels, etc), flats, bars etc, for use in structural work. The steels are suitable for welded, bolted and riveted structures and for general engineering purposes.

Safety Code for Construction, Operation and Maintenance of River Valley Projects: Part 11 Underground Excavation

This Indian Standard lays down requirements for the safety aspects to be taken during underground excavation for structures like Underground Power House, Transformer Cavern, Tunnels, Shafts such as Surge shaft, Pressure shaft and Cable shaft, Additionally Driven Intermediate Tunnel (ADITs) and such other structures associated with River Valley Projects. Safety measures that should be followed during their operation and maintenance are also described.

The safety requirement during excavation for any structure may vary according to the type of structure, type of construction methodology, type of strata encountered and number of men and type of machinery deployed at site. Proper education and organization is necessary for safety requirements to be implemented in a proper manner.

Earthquake Resistant Design and Construction of Buildings — Code of Practice (IS 4326)

This Indian Standard deals with the selection of materials, special features of design and construction for earthquake resistant buildings including masonry construction using rectangular masonry units, timber construction and buildings with pre-fabricated flooring/roofing elements.

This Indian Standard covers the specified features of design and construction for earthquake resistance of buildings of conventional types. In case of other buildings, detailed analysis of earthquake forces shall be necessary. Recommendations regarding restrictions on openings, provision of steel in various horizontal bands and vertical steel at corners and junctions in walls and at jambs of openings are based on a range of calculations made using steel design seismic coefficient and the ductility of steel reinforcement.

शैक्षिक संस्थानों में अग्नि से सुरक्षा – रीति संहिता (आईएस 14435)

शैक्षिक भवनों की कार्यात्मक जरूरतें अन्य भवनों से अलग तरह की है। अत: इस प्रकार के भवनों के लिए आग से सुरक्षा के विशेष उपयुक्त उपाय अपेक्षित हैं। इस मानक में शैक्षिक संस्थानों की अग्नि सुरक्षा अपेक्षाएँ शामिल हैं।

शैक्षिक भवनों में अग्नि के जोखिमों को भवनों की समुचित योजनाओं, सामग्री एवं घटकों, विद्युतीय उपकरणों के उचित चयन तथा अग्नि संसूचना तथा रोकथाम सिस्टम के उपयुक्त प्रावधान करके कुछ पूर्व नियत अग्नि सुरक्षा उपायों को अपना करके पर्याप्त रूप से कम किया जा सकता है।

होटलों में अग्नि सुरक्षा – रीति संहिता (आईएस 13716)

विश्व भर में होटलों में जान-माल के हालिया नुकसान ने होटल उद्योग में अग्नि से सुरक्षा पर मार्गदर्शी सिद्धांतों की जरूरत पर प्रकाश डाला है। होटलों में जान का नुकसान मुख्यत: होटलों के डिजाइन में अंतर्निहित तलों के अभिविन्यास, आग एवं धुएं के कई रास्तों से अतिथियों की अनभिज्ञता के कारण होता है। संपत्ति का नुकसान भवन की ज्वलनशील सामग्रियों, फर्नीचर, साज-सज्जा के साथ उच्च उर्जा के प्रयोग के कारण होता है।

इस भारतीय मानक में होटल के भवनों में आग से सुरक्षा की अपेक्षाएँ शामिल हैं। इस मानक का उद्देश्य उन उपायों को निर्दिष्ट करना है जो जानमाल के नुकसान को कम करते हैं।

संवातन तथा वर्षा जल पद्धति सहित भवनों के अंदर एवं बाहर मृदा तथा अपशिष्ट निकास की पद्धति के लिए अप्लास्टीकृत पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी-यु) के पाईपों की विशिष्टि (आईएस 13592)

इस भारतीय मानक में संवातन, वर्षा जल हार्वेस्टिंग अनुप्रयोगों सहित भवनों के अंदर तथा बाहर मिट्टी तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने की पद्धति के लिए नॉमिनल बाहरी व्यास 40 मिमी से 315 मिमी तक के प्लेन तथा साकेट सिरेवाली अप्लास्टीकृत पोलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी-यु) पाईपों की अपेक्षाएँ शामिल हैं तथा इसे व्यापक रूप से कार्यान्वित किया गया है। पुनरीक्षण में प्रमुख संशोधन किए गए हैं जो इस प्रकार है: (i) 315 मिमी तक के नॉमिनल बाहरी व्यास वाले पाईपों को शामिल किया गया है, तथा (ii) 'इफेक्ट ऑन सनलाइट' परीक्षण पद्धति को संशोधित किया गया है।

रासायनिक प्रयोगशालाएँ – सुरक्षा संहिता (आईएस 4209)

दो तथ्यों से रासायनिक प्रयोगशालाओं के स्तम्भों की सुरक्षा संहिता की जरूरत है—पहला रसायनों की प्रकृति तथा प्रहस्तन जोखिम तथा दूसरा रासायनिक प्रयोगशालाओं में आवश्यक उपकरण सुविधाओं की अपर्याप्तता या प्रहस्तन जैसे विद्युत ग्लासवेयर, मशीनरी उपकरण, गैस, स्टीम, वॉटर, उच्च/कम तापमान एवं दबाव के कारण जोखिम अभिकर्मकों एवं विलायकों के रूप में प्रयुक्त असंख्य रसायन ज्वलनशील/आविषालु/संक्षारी/विषैले इत्यादि होते हैं तथा शारीरिक ऊतकों के लिए नुकसानदायक/प्रदाहजनक होते हैं।

Fire Safety in Educational Institutions – Code of Practice (IS 14435)

Functional need of educational building is different from other buildings. It therefore requires specific fire safety measures suited to such type of building. This standard covers fire safety requirements in educational institutions.

The hazards of fire in educational buildings can be considerably lowered by adoption of certain pre-determined fire safety measures with regard to proper planning of buildings, choice of proper materials and components, electrical equipments and making suitable provisions for fire detection and suppression system.

Fire Safety in Hotels – Code of Practice (IS 13716)

Recent fire losses in terms of life and property in hotel fires all over the world have highlighted the need for guidance on fire safety in hotel industry. Life hazard in hotel industry depends mainly on the guests being ignorant of the layout of the floor and numerous paths of fire and smoke spread inherent in the building design. Property loss is due to use of variety of combustible building materials, furniture, decorations, combined with high energy use.

This Indian Standard covers the fire safety requirements in hotel buildings. The objective of this standard is to specify measures which shall reduce the damage to life and property to a minimum.

Unplasticized Polyvinyl Chloride (PVC-U) Pipes for Soil and Waste Discharge System for Inside and Outside Buildings Including Ventilation and Rain Water System – Specification (IS 13592)

This Indian Standard covers requirements for plain and socket end unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes with nominal outside diameters 40 mm to 315 mm for use for soil and waste discharge system inside and outside buildings including ventilation, rain water and rain water harvesting applications and has been implemented widely. In the revision the major modifications that have been made are: (i) pipes of nominal outside diameters up to 315 mm have been included, and (ii) method for 'Effect on Sunlight' test has been modified.

Chemical Laboratories – Code of Safety (IS 4209)

The need for a code of safety for chemical laboratories stems from two factors, first due to hazards inherent in the nature and handling of chemicals, and second due to hazards from inadequacy or handling of instrumental facilities necessary in chemical laboratories, such as electricity, glassware, machinery equipment, gas, steam, water, apparatus for high/low temperature and pressure. Innumerable chemicals used as reagents and solvents are flammable/toxic/corrosive/poisonous, etc, and are harmful/irritants to body tissues.

इस भारतीय मानक का पुनरीक्षण नवीनतम सुरक्षा रीतियों को जोड़ने के लिए किया गया। पुनरीक्षण में बहुत कम तापमान पर स्पिलेज, विद्युतीय संस्थापन तथा रसायनों के प्रहस्तन सहित सुरक्षित निपटान, असंसर्गी सामग्रियों, सुरक्षित प्रक्रियाओं पर सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जोड़े गए हैं।

राष्ट्रीय प्रकाश संहिता – 2010 (एसपी 72)

राष्ट्रीय प्रकाश व्यवस्था संहिता – 2010 (एनएलसी) को प्रकाश व्यवस्था की अच्छी रीतियों और पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की मंशा से प्रकाशित किया गया है जो निरापदता, सुरक्षा, उपयोगिता तथा उत्पादकता बनाए रखकर लाईट प्रदूषण, भड़कीला, प्रकाश अतिक्रमण को कम करेगा तथा उर्जा का संरक्षण करेगा। संहिता में निम्नलिखित शामिल हैं :

i) आक्यूपेसी के विभिन्न प्रकारों में अपनाई जाने वाली प्रदीपन इंजीनियरिंग रीतियों पर मार्गदर्शन;

ii) आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था पद्धति के डिजाइन, चयन, संस्थापन एवं रख-रखाव में अनुपालित की जाने वाली इंजीनियरिंग की अच्छी रीतियों पर मार्गदर्शन;

iii) प्रतिपन विज्ञान से संबंधित मामले जैसे प्रकाश की भौतिकी, विद्युत प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्ति तथा फोटोमीट्री;

iv) दिन में प्रकाश व्यवस्था जैसे लाईटिंग पद्धति को डिजाइन करते समय विचार किए जाने वाले समन्वयन के पहलू;

v) लाईटिंग संस्थापन में ऊर्जा प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण संबंधी पहलू।

इस संहिता में अच्छी नियामक रीतियाँ शामिल हैं जिन्हें तत्काल अपनाया जा सकता है या विभिन्न विभागों तथा सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रयोगार्थ अधिनियमित किया जा सकता है। यह लाईटिंग स्तरों तथा प्रमात्रा तथा सुरक्षा मानदंडों के संबंध में लोकहित की सुरक्षा के आवश्यक न्यूनतम उपबंधों के सेट को निर्धारित करता है। लाईटिंग उत्पादों के चयन तथा लाईटिंग डिजाइन की पद्धति पर विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत संहिता में हैं तथापि उपयोगकर्ताओं, डिजाइनरों, आर्किटेक्ट तथा परामर्शदाताओं की विदग्धता के लिए पर्याप्त विषय क्षेत्र रखा गया है।

राष्ट्रीय विद्युत संहिता – 2011 (एसपी 30)

बिजली का झटका, जलन या आग के रूप में बिजली के जोखिम से जानमाल तथा संपत्ति का नुकसान होता है तथा पुन:स्थापना में अधिक समय भी लगता है। अधिकांश जोखिमों को संस्थापन के डिजाइन, उपकरणों के चयन तथा पर्याप्त रख-रखाव के माध्यम से रोका जा सकता है। राष्ट्रीय विद्युत संहिता (एसपी 30) को जोखिम वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न स्थानों के इन पहलुओं को शामिल करने व विद्युत संस्थापना के डिजाइन निष्पादन, निरीक्षण तथा रख-रखाव में सुरक्षित और विद्युत ऊर्जा की एकीकृत अच्छी रीतियों और मितव्ययी उपयोग उपलब्ध करने के लिए सन 1985 में पहली बार प्रकाशित किया गया।

Revision of the Indian Standard was taken up in order to incorporate the latest safety practices. In the revision the general guidelines on safe disposal, incompatible materials, safe procedures to deal with spillage, electrical installations, and handling of chemicals at very low temperature have been incorporated.

National Lighting Code — 2010 (SP 72)

The National Lighting Code – 2010 (NLC) has been published with the intention to encourage good lighting practices and systems which would minimize light pollution, glare, light trespass and conserve energy while maintaining safety, security, utility and productivity. The code covers the following:

i) Guidance on illuminating engineering practices to be followed by various types of occupancies;

ii) Guidance on good engineering practices to be followed in the design, selection, installation and maintenance of lighting system for indoor and outdoor areas;

iii) Matters related to the science of illumination, such as physics of light, electric light sources, luminaries and photometry;

iv) Co-ordination aspects to be considered while designing the lighting system, such as day lighting; and

v) Aspects relating to energy management and energy conservation in lighting installation.

The Code contains good regulatory practices which can be immediately adopted or enacted for use by various departments and public bodies. It lays down a set of minimum provisions necessary to protect the interest of the public with regard to lighting levels and quantity and safety parameters. For the choice of lighting products and method of lighting design, detailed guidelines have been provided in the Code, still leaving enough scope for the ingenuity of the user, designer, architects and consultants.

National Electrical Code — 2011 (SP 30)

Electrical hazards in the form of electrical shock, burns or fire, cause loss of life and property and also take lot of time in restoration. Most of these hazards can be prevented through proper design of installation, selection of equipment and adequate maintenance. National Electrical Code (SP 30) was first published in 1985 to cover these aspects and provide for unified best practices for safe and economic usage of electrical energy in the design, execution, inspection and maintenance of electrical installations of various locations including hazardous area. In view of tremendous socio-economic

वर्षों से जबरदस्त सामाजिक आर्थिक बदलाव, जिसके विद्युत के प्रयोग के तरीकों में बदलाव आया है, प्रौद्योगिकी में बदलाव, संस्थापन रीतियों में संशोधन, *उर्जा संरक्षण अधिनियम* 2001 तथा *विद्युत अधिनियम* 2003 की अधिसूचना, पावर सेक्टर सुधार इत्यादि को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विद्युत संहिता का पुनरीक्षण आवश्यक समझा गया।

इस हैंडबुक के पुनरीक्षण में, वर्तमान प्रावधानों को अद्यतन किया गया है और नए विषय जैसे सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा प्रणाली, ऊर्जा दक्षता, वोल्टता तरंगों के विरुद्ध संरक्षण, संघट्ट प्रतिदिप्ति लैम्पों के संदर्भ, एक्सएलपीई केबल इत्यादि तथा मिनियेचर परिपथ ब्रेकर तथा अवशिष्ट धारा युक्तियों जैसी सुरक्षा युक्तियों इसमें जोड़ी गई ताकि अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ गति बनाई रखी जा सके और डिजाइन इंजीनियरों और कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों के लिए इस संहिता को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

सक्रिय ऊर्जा के लिए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा स्थैतिक प्री-पेमेंट मीटर (श्रेणी 1 व 2) (आईएस 15884)

प्री-पेमेंट मीटरों का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के बीच टैरिफ के भुगतान के संदर्भ में प्री-पेमेंट मीटर के नियंत्रण के अधीन बिजली ऊर्जा की आपूर्ति में बाधा डाली जा सके या इसे पुन: रिस्टोर किया जा सके। प्री-पेमेंट मीटर आपको यह अनुमति देता है कि आपने जितनी बिजली का उपयोग किया है, उतना ही आप भुगतान कर सके। यदि आपके द्वारा किया गया भुगतान समाप्त हो जाता है तो बिजली की आपूर्ति रिले द्वारा कट ऑफ कर दी जाती है।

उपलब्ध जमा के अनुसार एकल फेस और तीन फेस के संतुलित और असंतुलित लोड के लिए 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा वैद्युत सक्रिय ऊर्जा के मापन, पंजीकरण और वितरण के लिए वर्ग 1 और 2 की एक्यूरेसी के दिष्ट संपर्कित स्थैतिक वाट घंटा प्री-पेमेंट मीटरों पर यह भारतीय मानक लागू है। यह उनके प्रकार, स्वीकार्यता तथा नैमित्तिक परीक्षणों पर लागू है।

प्रतिरक्षा अभिलक्षण ध्वनि और दूरदर्शन प्रसारण रिसीवरों और संबद्ध उपस्कर की सीमाएँ और मापन पद्धति (आईएस 12552)

यह भारतीय मानक ध्वनि और दूरदर्शन रिसीवरों (जैसे रेडियो और टीवी) तथा संबद्ध उन उपस्कर को उनके विक्षोभ सिग्नलों के प्रतिरक्षा अभिलक्षणों के संदर्भ में मापन की पद्धतियों तथा लागू सीमाएँ निर्दिष्ट करता है, जो आवासीय, व्यावसायिक और हल्के औद्योगिक पर्यावरण के लिए वांछित है। यह मानक व्यक्तिगत अभीग्रहण के लिए डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सैटेलाइट अभिग्राही प्रणालिगों की बाहरी इकाइयों की प्रतिरक्षा पर भी लागू है।

रेडियो विक्षोभ अभिलक्षणों के मापन की सीमाएँ और पद्धतियाँ: भाग 7 सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर [आईएस 6873 (भाग 7)]

इस प्रकाशन का उद्देश्य विक्षोभ की सीमा निर्धारित करने, मापन की पद्धतियों का वर्णन करने तथा प्रचालन अवस्थाओं का मानकीकरण

changes over the years which have impacted the pattern of the usage of electricity; changes in technology; modification in installation practices; notification of The Energy Conservation Act, 2001 and The Electricity Act 2003; power sector reforms; etc, revision of the National Electrical Code was considered necessary.

In the revision of the handbook, the existing provisions were updated, and also new topics, such as Solar Photovoltaic Energy Systems, Energy Efficiency, protection against voltage surges, reference to compact fluorescent lamps, XLPE cables etc, and safety devices such as miniature circuit breakers and residual current devices were added in order to keep up with the latest technology and make the Code useful to the design engineer as well as implementing agencies.

Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Class 1 & 2) (IS 15884)

Prepayment meters are used in situations where the supply of electrical energy to the load may be interrupted or its restoration enabled under the control of the prepayment meter in relation to a payment tariff agreed between the customer and the supplier. Pre-payment meters allow you to pay for your electricity as you use it. If the available credit is exhausted then the supply of electricity is cut off by a relay.

The Indian Standard applies to direct connected static watt-hour pre-payment meters of accuracy classes 1 and 2, for the measurement, registration and dispensation of alternating current electrical active energy of 50 Hz for single-phase and three-phase balanced and unbalanced loads in accordance with available credit. It applies to their type, acceptance and routine tests.

Limits and Methods of Measurements of Immunity Characteristics Sound and Television Broadcast Receivers and Associated Equipment (IS 12552)

This Indian Standard describes the methods of measurement and specified limits applicable to sound and television receivers (like Radio & TV) and to associated equipment intended for use in the residential, commercial and light industrial environment with regard to their immunity characteristics to disturbing signals. This standard is also applicable to the immunity of outdoor units of direct to home (DTH) satellite receiving systems for individual reception.

Limits and Methods of Measurements of Radio Disturbances Characteristics: Part 7 Information Technology Equipment [IS 6873 (Part 7)]

The intention of this publication is to establish uniform requirements for the radio disturbance level of the

करने और परिणामों की व्याख्या करने के लिए विषय क्षेत्र में समाहित सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करों के लिए रेडियो विक्षोभ स्तर की एक समान अपेक्षाएँ स्थापित करना है।

रेडियो विक्षोभ अभिलक्षणों के मापन की सीमाएँ और पद्धतियों: भाग 4 औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा चिकित्सकीय रेडियो फ्रीक्वेंसी उपस्कर [आईएस 6873 (भाग 4)]

यह भारतीय मानक 0 Hz से 400 GHz की फ्रीक्वेंसी रेंज में प्रचालित औद्योगिक, वैज्ञानिक और चिकित्सकीय विद्युत उपस्करों और घरेलू तथा समान साधित्रों, जो स्थानीय रेडियो-फ्रीक्वेंसी ऊर्जा को उत्पन्न करने तथा/अथवा उनका उपयोग करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, पर लागू होता है। इसमें इन उपस्करों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) विक्षोभ से संबद्ध उत्सर्जन अपेक्षाएँ शामिल हैं।

सूचना और प्रलेखन – सूचना विनिमय का फॉर्मेट (आईएस 14873)

इस मानक का पहला पुनरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 2709 : 2008 सूचना और प्रलेखन – सूचना विनिमय के फॉर्मेट को अपनाकर तैयार किया गया है।

यह भारतीय मानक सामान्यीकृत विनिमय फॉर्मेट की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है जिसमें ग्रंथ सूची विवरण के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के रिकॉर्ड के सभी रूपों में उपलब्ध सामग्री का विवरण देने वाले रिकार्ड होंगे। इसमें वैयक्तिगत रिकॉर्डों की लंबाई और विषय सूची परिभाषित नहीं की गई है। यह टैगों, इंडिकेटरों अथवा आइडेंटिफायरों को किसी प्रकार का अर्थ असाइन नहीं करते, क्योंकि ये विशिष्टियाँ कार्यान्वयन फॉर्मेट के प्रकार्य हैं।

यह भारतीय मानक सामान्यीकृत संरचना, फ्रेम वर्क, जो विशेषत: डाटा संसाधन प्रणाली के बीच संप्रेषण के लिए है, का विवरण देता है और जो प्रणाली के भीतर संसाधन फॉर्मेट के रूप में नहीं है।

खिलौनों की निरापदता: भाग 1 याँत्रिक और भौतिक गुणधर्मों से संबद्ध निरापदता पहलू [आईएस 9873 (भाग 1)/आईएसओ 8124-1 : 2009]

यह भारतीय मानक आईएसओ 8124-1 को अपनाकर बनाया गया है और सभी खिलौनों अर्थात कोई भी उत्पाद अथवा सामग्री, जो 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों द्वारा खेल में प्रयुक्त होने के लिए स्पष्ट रूप से डिजाइन की गई है, पर लागू है। ये उस खिलौने पर लागू हैं जो आरंभ में उपभोक्ता लेता है, और इसके अलावा, ये तब तक लागू होते हैं जब खिलौने को सामान्य उपयोग के दौरान उपयुक्त रूप से अनदेखी अवस्थाओं में रखा जाए और विशेष रूप से उसके दुरूपयोग को अन्यथा नोट न किया जाए।

इस मानक में खिलौने के संरचनागत अभिलक्षण जैसे आकार, साइज, आकृति, अंतराल के लिए स्वीकार्य मानदंड के साथ-साथ कुछ विशिष्ट संवर्गों के खिलौनों के लिए विलक्षण गुणधर्मों के लिए स्वीकार्य मानदंड (अर्थात् कुछ विशेष राइड-ऑन खिलौनों के लिए लचीलेपन रहित अग्रभाग वाले प्रक्षेपक तथा न्यूनतम अग्रभाग के कोण वाले अधिकतम गतिक ऊर्जा मान) निर्दिष्ट किए गए हैं।

Information Technology equipments contained in the scope, to fix limits of disturbance, to describe methods of measurement and to standardize operating conditions and interpretation of results.

Limits and Methods of Measurements of Radio Disturbances Characteristics: Part 4 Industrial, Scientific and Medical (ISM) Radio Frequency Equipment [IS 6873 (Part 4)]

This Indian Standard applies to industrial, scientific and medical electrical equipment operating in the frequency range 0 Hz to 400 GHz and to domestic and similar appliances designed to generate and/or use locally radio-frequency energy. This standard covers emission requirements related to radio-frequency (RF) disturbances for these equipments.

Information and Documentation – Format for Information Exchange (IS 14873)

The first revision of the standard has been prepared by adopting the International Standard ISO 2709 : 2008 'Information and Documentation – Format for Information Exchange'.

This Indian Standard specifies the requirements for a generalized exchange format which will hold records describing all forms of material capable of bibliographic description as well as other types of records. It does not define the length or the content of individual records and does not assign any meaning to tags, indicators or identifiers, these specifications being the functions of an implementation format.

This Indian Standard describes a generalized structure, a framework specially for communications between data process systems and not for use as a processing format with systems.

Safety of Toys: Part 1 Safety Aspects Related to Mechanical and Physical Properties [IS 9873 (Part 1)/ ISO 8124-1 : 2009]

This Indian Standard is an adoption of ISO 8124-1 and is applicable to all toys, that is any product or material designed or clearly intended for use in play by children under 14 years of age. They are applicable to a toy as it is initially received by the consumer and, in addition, they apply after a toy is subjected to reasonably foreseeable conditions of normal use and abuse unless specifically noted otherwise.

This Indian Standard specifies acceptable criteria for structural characteristics of toys, such as shape, size, contour, spacing as well as acceptable criteria for properties peculiar to certain categories of toy (for example maximum kinetic energy values for non-resilient-tipped projectiles and minimum tip angles for certain ride-on-toys).

खिलौनों की निरापदता: भाग 2 ज्वलनशीलता [आईएस 9873 (भाग 2)/आईएसओ 8124-2 : 2007]

यह भारतीय मानक आईएसओ 8124-2 को अपनाकर बनाया गया है और सभी खिलौनों में निषिद्ध ज्वलनशील सामग्री के संवर्गों और कुछ खिलौनों को दहन के किसी छोटे से स्त्रोत के सामने रखे जाने पर उनकी ज्वलनशीलता से संबंधित अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है।

ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए स्पीडोमीटर/ओडोमीटर प्रणाली की विशिष्टि (आईएस 11086)

ऑटोमोबाइलों में स्पीडोमीटर का उपयोग उपकरण के रूप में प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को सूचित करने के लिए किया जाता है। इस मानक में इलैक्ट्रोनिक स्पीडोमीटर के साथ-साथ घूर्णन चुंबक का उपयोग करने वाले यांत्रिक प्रकार के स्पीडोमीटर को भी शामिल किया गया है। इस संशोधित मानक में इलैक्ट्रोनिक टाइप के स्पीडोमीटर शामिल किए गए हैं। यह मानक गुणता और कार्यकारिता का स्वीकार्य स्तर स्थापित करता है और इन इकाइयों में अंतर-परिवर्तनीयता की डिग्री लाने के बारे में भी है।

पोत निर्माण – विद्युत से वेल्डकृत स्टड लिंक एंकर चेन और जोड़ने वाले शैकल और फिरकियाँ – विशिष्टि (आईएस 4484)

यह भारतीय मानक जहाजों और इनकी सहायक सामग्री के लिए विद्युत से वेल्डकृत स्टड लिंक एंकर चेन की सामग्री, शेप, आकार और छूटें निर्दिष्ट करता है। इस पुनरीक्षण में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय रीतियों के अनुरूप आयामों और छूटों में व्यापक परिवर्तन प्रभावी हुए हैं।

इस मानक में निर्दिष्ट सभी आयाम एंकर चेनों के विभिन्न भागों के वे आयाम हैं जो सांविधिक सह-लोड के अधीन केबलों और शैकल को रखने के बाद संतोषजनक रूप से उस पर खरे उतरे हैं। प्रत्येक मानक चेन की लंबाई (27.5 मीटर अथवा उसका भाग) 'D' टाइप जोड़ने वाले शैकल अथवा लगरहित जोड़ने वाली शैकल (कैंटर टाइप) से जोड़ी जाती है। जब 'D' टाइप जोड़ने वाले शैकल का उपयोग किया जाता है तो प्रत्येक लंबाई के प्रत्येक सिरे पर एक अंतिम लिंक होना चाहिए। चेन की प्रत्येक लंबाई पर 'D' टाइप जोड़ने वाला शैकल होना चाहिए और उसमे जोड़ने वाले शैकल को छोड़कर लिंकों की संख्या विषम होनी चाहिए। जब जोड़ने वाले कैंटर शैकल का उपयोग किया जाता है तो बढ़े हुए और अंतिम लिंक के बढ़े आयाम का निराकरण हो जाता है। चेन की किसी एक लंबाई में कॉमन लिंक, अंतिम लिंक के रूप में कार्य करता है। चेन की प्रत्येक लंबाई में एक लगरहित शैकल होना चाहिए।

समुद्री अनुप्रयोगों के लिए ढलवॉ इस्पात, स्फीरोयडल नोडयूलर ढलवॉ इस्पात तथा ढलवॉ पेंच डाउन रोक वाल्व तथा रोक और चैक वाल्व – विशिष्टि

देश में तांबा मिश्र पेंच डाउन रोक तथा चैक वाल्वों के डिजाइन तथा निर्माण में तीव्र प्रगति हुई है। यद्यपि, विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाए गए वाल्वों के आकार, समग्र आयामों तथा दाब रेटिंग में सममिति

Safety of Toys: Part 2 Flammability [IS 9873 (Part 2)/ ISO 8124-2 : 2007]

This Indian Standard is an adoption of ISO 8124-2 and specifies the categories of flammable materials that are prohibited in all toys, and requirements concerning flammability of certain toys when they are subjected to a minor source of ignition.

Specification for Speedometer/Odometer Systems for Automotive Application (IS 11086)

Speedometers in automobiles are used as instruments to indicate the rate of distance travelled per unit time. This standard covers the electronic speedometers as well as mechanical type of speedometers using a rotating magnet. In this revised standard speedometers of electronics types have been included. This standard establishes an acceptable level of quality and performance and also to bring about a degree of inter-changeability in these units.

Shipbuilding – Electrically Welded Stud Link Anchor Chains and Connecting Shackles and Swivels – Specification (IS 4484)

This Indian Standard specifies the material, shape, dimensions and tolerances for the electrically welded stud link anchor chains for ships and its accessories. In this revision exhaustive changes have been effected in dimensions and tolerances in line with current international practices.

All dimensions specified in this standard are the dimensions of the various parts of anchor chains after the cables and shackles have been subjected to the statutory proof loads which they have satisfactorily withstood. Each standard length of chain (27.5 m or part thereof) is connected to the adjoining length by a 'D' type joining shackle or lugless joining shackle (Kenter type). When 'D' type joining shackle is used, each length shall include one end link at each end. Each length of chain shall be provided with one 'D' type joining shackle and shall comprise an odd number of links exclusive of the joining shackle. When kenter joining shackle is used, enlarged and end links of increased dimensions are obviated. A common link acts as the end link in any one length of chain. Each length of chain shall be provided with one lugless shackle.

Cast Iron, Spheroidal/Nodular Cast Iron and Cast Steel Screw Down Stop Valves and Stop and Check Valves for Marine Applications – Specification

The design and manufacture of copper alloy screw down stop and check valves has made rapid strides in the country. However, the sizes, overall dimensions and pressure ratings of valves made by various manufacturers

है। वाल्व में अंतः परिवर्तनीयता लाने के लिए आकार, दाब रेटिंग तथा आयाम को युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से यह मानक निर्धारित किया गया है।

यह मानक पानी, वायु तथा तेल तथा 120° सेंटीग्रेड तक की भाप के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित प्रकार के 15 से 400 मिलीलीटर के अभिहित आकार के फ्लैंजदार ढलवॉ लोहे, स्फीरोयडल/नोड्यूलर ढलवॉ लोहे तथा ढलवॉ लोहे पेंच डाउन रोक वॉल्व की अपेक्षाएँ निर्दिष्ट करता है।

क) ग्लोब रोक वॉल्व, जिसे पेंच डाउन पेंच लिफ्ट वॉल्व (एस डी एस एल वाल्व) के रूप में जाना जाता है।

ख) एंगल रोक वॉल्व, जिसे पेंच डाउन पेंच लिफ्ट वाल्व (एस डी एस एल आरए वॉल्व) के रूप में जाना जाता है।

ग) ग्लोब रोक तथा चैक वॉल्व, जिसे पेंच डाउन नॉन रिटर्न वॉल्व (एस डी एन आर आरए वॉल्व) के रूप में जाना जाता है।

घ) एंगल रोक तथा चैक वॉल्व, जिसे पेंच डाउन नॉन रिटर्न वाल्व (एसडीएनआर आरए वॉल्व) के रूप में जाना जाता है।

ऑटोमोटिव वाहन — ब्रेकिंग के संदर्भ में एम, एन तथा टी संवर्गों के वाहनों के अनुमोदन के एक समान प्रावधान (आईएस 11852 : 2011)

यह मानक आईएस 14272 में यथा निर्दिष्ट वैयक्तिक पॉवर चालित वाहनों की ब्रेकिंग से संबद्ध और एम, एन तथा टी संवर्गों के वैयक्तिक ट्रेलरों की ब्रेकिंग के संदर्भ में वाहनों के अनुमोदन के एकसमान प्रावधान निर्दिष्ट करता है। इस मानक में ऐसे वाहन, जिनकी अधिकतम डिजाइन गति 25 किलोमीटर/घंटा से अधिक न हो, ऐसे ट्रेलर जो 25 किलोमीटर/घंटा से अधिक डिजाइन गति सहित पॉवर चालित वाहन से युग्मित न किए जा सके तथा ऐसे वाहन जो अवैध चालकों के लिए फिट किए हों, शामिल नहीं है।

यद्यपि इस भारतीय मानक में संवर्ग एम1 के वाहन ईसीई आर 13 के आधार पर शामिल किए गए हैं, तथापि इसी संवर्ग के लिए ईसीई आर 13 एच के आधार पर एक पृथक मानक का निर्धारण किया जा रहा है, जिसकी अपेक्षाएँ इस मानक से ज्यादा कड़ी हैं। एम1 वाहनों के निर्माताओं के पास यह विकल्प है कि वे इन दोनों मानकों के वैश्विक रूप में स्वीकृत होने तक इन दोनों में से किसी भी मानक का उपयोग करके अपने वाहनों का परीक्षण कर सकते हैं।

यह भारतीय मानक ईसीई आर 13-09 के साथ एकरूप किया गया है। तथापि, भारतीय संदर्भों को ध्यान में रखकर इस मानक में ईसीई की तुलना में कुछ अंतर है।

इस भारतीय मानक में ब्रेक से संबद्ध विभिन्न पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएँ, अपेक्षाएँ और वाहनों के अनुमोदन के लिए अपनाए जाने वाले विस्तृत परीक्षण की क्रियाविधि शामिल है।

रेसीप्रोकेटिंग आंतरिक दहन इंजन — निकास उत्सर्जन मापनः भाग 4 विभिन्न इंजन अनुप्रयोगों के लिए स्थायी अवस्था परीक्षण चक्र (आईएस/आईएसओ 8178-4 : 2007)

यह भारतीय मानक आईएसओ 8178-4 : 2007 रेसीप्रोकेटिंग आंतरिक दहन इंजन — निकास उत्सर्जन मापन अपेक्षाएँः भाग 4 विभिन्न इंजन अनुप्रयोगों के लिए स्थायी अवस्था परीक्षण चक्र के साथ एकरूप है, जो

bear to symmetry. This standard has been formulated with the aim of rationalizing the sizes, pressure ratings and dimensions to bring inter-changeability of valves.

This Indian Standard specified requirements for flanged Cast Iron, Spheroidal/Nodular Cast Iron and Cast Steel screw down stop valves from 15 to 400 mm nominal sizes of the following types used for water, air and oil & steam up to 120°C:

a) Globe Stop Valve known as Screw Down Screw Lift Valve (SDSL Valve).

b) Angle stop valve known as Screw Down Screw Lift Valve (SDSL RA Valve).

c) Globe Stop and Check Valve known as Screw Down Non Return Valve (SDNR Valve).

d) Angle stop and check valve known as Screw Down Non Return Valve (SDNR RA Valve).

Automotive Vehicles — Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles of Categories M, N and T with Regard to Braking (IS 11852 : 2011)

This Indian Standard specifies uniform provisions concerning the approval of vehicle with regard to braking of power-driven vehicles individually and to trailers individually of categories M, N and T as defined in IS 14272. This standard does not cover vehicles with a maximum design speed not exceeding 25 km/h; trailers which may not be coupled to power-driven vehicles with a design speed exceeding 25 km/h and vehicles fitted for invalid drivers.

Although the scope of this Indian Standard covers the vehicles of category M1 based on ECE R13, a separate standard is also under formulation for the same category based on ECE R13H the requirements of which are more stringent then this. Manufactures of M1 vehicles have option to test their vehicle using either of these standards till the time both standards are acceptable globally.

This Indian Standard is aligned with ECE R13-09. However, keeping in view Indian context the standard has some differences as compared to ECE.

This Indian Standard covers definitions of various terms related to brakes, requirements and detailed test procedure to be followed for approval of the vehicle.

Reciprocating Internal Combustion Engines – Exhaust Emission Measurement: Part 4 Steady State Test Cycles for Different Engine Applications (IS/ ISO 8178-4 : 2007)

This Indian Standard is identical with ISO 8178-4 : 2007 'Reciprocating internal combustion engines – Exhaust emission measurement: Part 4 Steady state test cycles

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्वारा जारी किया गया है। ऑन रोड उपयोग के लिए इंजन अनुप्रयोग की तुलना में ऑफ रोड उपयोग के इंजन अधिक व्यापक रेंज के पावर आउटपुट और कन्फिगरेशन में निर्मित होते हैं और इनका उपयोग विभिन्न अनुपयोगों के लिए बड़ी संख्या में होता है।

इस मानक का उद्देश्य ऑफ रोड इंजनों की परीक्षा पद्धतियों को यथार्थपरक बनाना है ताकि विधायी के प्रारूपण को अधिक लागत प्रभावी बनाया जा सके, इंजन की विशिष्टियों को विकसित किया जा सके और गैसों तथा कुछ विशेष प्रकार के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रमाणन दिया जा सके।

यह भारतीय मानक डायनोमीटर के युग्मित रेसीप्रोकेटिंग आंतरिक दहन (आर आई सी) से इंजनों में होने वाली गैसों और विशेष प्रकार के निकास उत्सर्जन के मापन और मूल्यांकन के लिए परीक्षण चक्र निर्दिष्ट करता है।

पी वी सी आस्तर के लिए भू-मेम्ब्रेन – विशिष्टि (आईएस 15909)

इस भारतीय मानक में नहर, तालाब तथा रिजर्वायर-आस्तर में सीलन के नियंत्रण व औद्योगिक बहिःस्त्राव के उपयुक्त निपटान, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इत्यादि में प्रयोग के लिए 0.30 मिलीलीटर, 0.50 मिलीलीटर, 0.75 मिलीलीटर, 1.00 मिलीलीटर तथा 1.50 मिलीलीटर, मोटाई के पी वी सी के भू-मेम्ब्रेन (नम्य पोलीविनाइल क्लोराइड) आस्तर शामिल है। यह सामग्री छत/टैरेस के आस्तर के लिए भी उपयुक्त है।

पी वी सी भू-मेम्ब्रेन के अभिलक्षण के लिए प्रयुक्त परीक्षण अच्छी कारीगरी और गुणता सुनिश्चित करने की दृष्टि से है और पर्यावरण संबंधी घटकों तथा विशिष्ट कार्यकारिता के उद्देश्यों की महत्ता को ध्यान में रखकर डिजाइन के प्रयोजन के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त नहीं है। ये परीक्षण अनिवार्यतः प्राकृतिक जलीय प्रणाली को मुख्य रूप से ध्यान में रखकर चुने गए हैं। विशिष्ट अनुप्रयोग की अवस्था के अंतर्गत रासायनिक प्रतिरोध व टिकाऊपन स्थापित करने के लिए कुछ अन्य परीक्षण आवश्यक होंगे।

वस्त्रादि – जूट के बोरे – सामान्य अपेक्षाएँ (आईएस 15138 : 2010)

यह भारतीय मानक पहली बार 1979 में प्रकाशित किया गया था, बाद में 1993 में इसे पुनरीक्षित किया गया था। यह मानक पहले पुनरीक्षण के बाद प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में तथा निम्नलिखित मुख्य परिवर्तनों को शामिल करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है :

क) वस्त्र और थैलों के नमूने लेने और अनुरूपता के मानदंड संशोधित किए गए हैं,

ख) भंडारण और अंतिम उपयोग के दौरान असफलता को न्यूनतम करने के लिए वर्गीकृत प्रमुख व छोटे दोषों को शामिल किया गया है, तथा

ग) तेल अंश प्रतिशत घटाकर 3 प्रतिशत किया गया है।

for different engine applications' issued by the International Organization for Standardization (ISO). In comparison with engines for on-road applications, engines for off-road use are made in a much wider range of power output and configuration and are used in a great number of different applications.

The objective of this standard is to rationalize the test methods for off-road engines in order to simplify and make more cost effective the drafting of legislation, the development of engine specifications and the certification of engines to control gaseous and particulate emissions.

This Indian Standard specifies the test cycles for the measurement and the evaluation of gaseous and particulate exhaust emission from reciprocating internal combustion (RIC) engines coupled to a dynamometer.

PVC Geo-membranes for Lining — Specification (IS 15909)

This Indian Standard covers PVC geo-membrane (flexible polyvinyl chloride) lining, 0.30 mm, 0.50 mm, 0.75 mm, 1.00 mm and 1.50 mm in thickness, for use in canal, pond and reservoir lining to control seepage and for proper disposal of industrial effluents, solid waste management, etc. The material is also suitable for lining of roof/terrace.

The tests used to characterize the PVC geomembrane, are intended to ensure good workmanship and quality and are not necessarily adequate for design purposes in view of the importance of environmental factors and specific performance objectives. Tests have been selected primarily with essentially natural aqueous system in mind. Other tests may be necessary to establish chemical resistance and durability under the condition of particular application.

Textiles — Jute Sacking — General Requirements (IS 15138 : 2010)

This Indian Standard was first published in 1979 and subsequently revised in 1993. This standard has been revised again in the light of experience gained since its first revision and to incorporate the following major changes:

a) Sampling and criteria for conformity have been modified for fabric and bags;

b) Classified major and minor defects have been incorporated to minimize failures during storage and end use; and

c) Oil content percent has been reduced to 3 percent.

राजमार्गों के लिए भू-संश्लिष्ट – विशिष्टि (आईएस 15910 : 2010)

यह भारतीय मानक पोलीलेफीन अथवा पोलियस्टर सामग्री से बने भू-संश्लिष्ट की अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करता है। भू-संश्लिष्ट विलगन, प्रबलन, छानने व निकास के मुख्य कार्य करता है। इस मानक में निम्नलिखित उपखंड शामिल हैं :

क) उपसतह निकास;

ख) विलगन;

ग) उप ग्रेड स्थिरीकरण; तथा

घ) क्षरण नियंत्रण।

पॉवर हाउस स्थलों के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण – रीति संहिता (आईएस 10060)

यह मानक हाइड्रोविद्युत पावर हाउस, सतह तथा भूमिगत, दोनों के संदर्भ में आवश्यक उप-सतह एक्सप्लोर करने के टाइप, सीमा तथा विवरणों पर मार्गदर्शन देता है। इस प्रकार यह मानक परियोजना विकास की विभिन्न स्थितियों में, एक्सप्लोरेटरी कार्य की आयोजना के मार्गदर्शी सिद्धांत उपलब्ध कराता है। इन सिफारिशों को निजी परियोजना को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाए, जो प्रत्येक परियोजना की विशिष्ट स्थल अवस्थाओं तथा अन्य अवस्थाओं, जैसे पॉवर हाउस की ऊँचाई तथा महत्व तथा नींव रखने की हेट्रोजेनीयती के अनुरूप हो।

देश में पॉवर की बढ़ती माँग के साथ बड़ी संख्या में पॉवर हाउसों का निर्माण किया जा रहा है। इन पॉवर हाउसों की आयोजना, डिजाइन तथा निर्माण की एक प्रमुख अपेक्षा पर्याप्त उप-सतह अन्वेषण है। उप-सतह तथा संबद्ध स्थल अन्वेषण का उद्देश्य इंजीनियर को भूमि की अवस्था के बारे में यथासंभव जानकारी प्रदान करना है, उदाहरण के लिए क्षेत्र में अधिक भार की मोटाई और अन्य भौगोलिक अभिलक्षण। यह मानक इस प्रकार के अन्वेषणों में मार्गदर्शिका के रूप में बनाया गया है।

महत्वपूर्ण संशोधन

भारतीय मानक (आईएस 13194 : 1991) तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसओ/आईईसी 10646) में भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को शामिल करना

भारत सरकार ने भारतीय मुद्रा रुपए के संसूचन के लिए भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को अनुमोदित किया है और आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने भा मा ब्यूरो से अनुरोध किया है कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को आईएस 13194 : 1991 सूचना अंतःपरिवर्तन के लिए भारतीय लिपि संहिता (आईएससीआईआई) में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी अनुरोध किया है कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को आईएसओ/आईईसी मानक अर्थात आईएसओ/आईईसी 10646 में शामिल किया जाए।

Geo-synthetics for Highways – Specification (IS 15910 : 2010)

This Indian Standard specifies requirements for geo-synthetics made from polyolefin or polyester material. Geo-synthetics perform four major functions of separation, reinforcement, filtration and drainage. In this standard following sub-sections are covered:

a) Subsurface drainage;

b) Separation;

c) Sub-grade stabilization; and

d) Erosion control.

Geotechnical Investigation for Powerhouse Sites – Code of Practice (IS 10060)

This Indian standard gives guidance on the type, extent and details of subsurface exploration needed in connection with hydroelectric power houses both surface and underground. It thus provides guidelines for planning the exploratory work, through various stages of the project development. These recommendations may have to be modified for individual projects, depending upon the site conditions and other conditions peculiar to each project, such as height and importance of the power house and the heterogeneity of foundation formations.

With the increasing demand for power in the country, an increasingly large number of power houses are being built. One of the major requirements in planning, design and construction of these power houses is proper and adequate subsurface investigation. The object of subsurface and related site investigation is to provide the engineer with as much information as possible about the ground conditions, for example, the thickness of overburden and other geological features of the area. This standard has been prepared to serve as a guide in such investigations.

Important Amendment

Incorporation of Indian Rupee Symbol in Indian Standard (IS 13194 : 1991) and International Standard (ISO/IEC 10646)

Government of India has approved "Indian Rupee Symbol" to denote Indian currency Rupee and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance requested BIS to include Indian Rupee Symbol in the Indian Standard IS 13194 : 1991 'Indian Script Code for Information Interchange (ISCII)'. In addition, the Deptt of IT, Ministry of Communication and IT has also requested to include Indian Rupee Symbol in the ISO/IEC standard that is ISO/IEC 10646.

इन अनुरोधों के आधार पर आईएस 13194 : 1991 में संशोधन का मसौदा बनाया गया तथा संबद्ध विषय समिति (भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी तथा उत्पाद विषय समिति, एल आई टी डी 20) के सदस्यों को परिचालित किया गया।

एल आई टी डी 20 ने नई दिल्ली में 26 नवम्बर, 2010 की अपनी तीसरी बैठक में इन प्रलेखों पर सदस्यों की सम्मतियों पर विचार-विमर्श किया तथा संहिता की सारणी के साथ-साथ इन्स्क्रिप्ट कुंजीपटल (की बोर्ड) ले आउट तथा QWERTY कुंजीपटल पर भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को शामिल करते हुए आईएस 13194 : 1991 में संशोधन को अंतिम रूप दिया। संशोधन प्रकाशित हो चुका है और भारतीय राजपत्र में शामिल करने के लिए भी भेज दिया गया है।

भारतीय मानक ब्यूरो ने आईएसओ/आईईसी जेटीसी 1/एससी 2 तथा इसके कार्य समूह डब्ल्यू जी 2 को भी अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ/आईईसी 10646 में भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को शामिल करने का प्रस्ताव भी किया है। डब्ल्यू जी 2 ने आईएसओ/आईईसी 10642 में संहिता की स्थिति में 20B9 भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को शामिल करने पर स्वीकृति दे दी है और एस सी 2 को अंतिम अनुमोदन के लिए सिफारिश की है। एस सी 2 जून 2011 को फिनलैंड में आयोजित होने वाली अपनी अगली बैठक में डब्ल्यू जी 2 की सिफारिशों को इस मानक में शामिल करने के लिए विचार करेंगी।

मानकों की समीक्षा

मानकों की समीक्षा आवश्यकतानुसार की जाती है, परन्तु पाँच वर्षों में कम से कम एक बार यह देखा जाता है कि क्या ये अभी भी प्रासंगिक हैं और इन्हें पुनर्पुष्ट करने, पुनरीक्षित करने, इनके संशोधन जारी करने, इन्हें अप्रचलित घोषित करने या वापस लेने सम्बन्धी उपयुक्त कार्यवाही करने पर विचार किया जाता है। वर्ष के दौरान 4296 मानकों की समीक्षा की गई।

सुमेलन

बाजार परिदृश्य में, भारत विश्व प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना कर रहा है। विश्व बाजार में बने रहने कि लिए भारतीय मानकों को यथासंभव रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन/अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग द्वारा निर्धारित गानकों रो सुमेलित करना महत्वपूर्ण है। भारत व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी) के लिए डब्ल्यूटीओ करारनामे पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। करार के अनुसार डब्ल्यूटीओ के सदस्य देशों को अपने राष्ट्रीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सुमेलित करना अपेक्षित होता है। तथापि, राष्ट्रीय मानक बनाते समय उनमें स्वास्थ्य, निरापदता, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, धोखेबाजी की प्रवृत्तियों के निवारण आदि संबंधी मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। भा मा ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानक को मानक निर्धारण के लिए आधार बनाता है। अब तक भा मा ब्यूरो ने 4787 भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सुमेलित किया है। आईएसओ/आईईसी मानकों के समरूप मानकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगभग 82 प्रतिशत मानकों को सुमेलित किया जा चुका है।

भारतीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए संगोष्ठियाँ

भा मा ब्यूरो ने विभिन्न क्षेत्रों में संगोष्ठियों का आयोजन करके भारतीय मानकों के कार्यान्वयन को गति देने का अभियान शुरु किया है।

Based on these requests, an amendment to IS 13194 : 1991 was drafted and circulated to relevant sectional committee (Indian Language Technologies & Products Sectional Committee, LITD 20) members.

LITD 20 in its third meeting held on 26 November 2010 in BIS, New Delhi discussed the comments of the members on these documents and finalized the amendment to IS 13194 : 1991 incorporating the Indian Rupee symbol in the code table as well as on inscript keyboard layout and on QWERTY keyboard. The Amendment has been printed and also sent for inclusion in the Gazette of India.

BIS had also proposed to ISO/IEC JTC 1/SC 2 and its working group WG 2 to include Indian Rupee symbol in the international standard ISO/IEC 10646. WG 2 has accepted inclusion of Indian Rupee symbol at code position 20B9 in ISO/IEC 10646 and recommended the same to SC 2 for final approval. SC 2 in its next meeting to be held in June 2011 in Finland will consider WG 2 recommendations for incorporating the same in the standard.

Review of Standards

Indian Standards are reviewed as considered necessary, but at least once in five years to establish whether these are still current and to consider appropriate action for reaffirmation, revision, issuing amendments, declare obsolescence or withdraw. During the year 4296 standards were reviewed.

Harmonization

In the market scenario, India is facing the challenge of global competition. To sustain in the global markets it is important to harmonize Indian Standards, as far as possible, with international standards formulated by International Organization for Standardization (ISO) or International Electrotechnical Commission (IEC). Further, India is a signatory to WTO Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT). As per the agreement, member countries of WTO are required to align their National Standards with International Standards. However, country specific concerns on health, safety, environment, national security and prevention of deceptive practices can be considered/incorporated while formulating National Standards. BIS uses International Standards, wherever they exist as a basis for standards development. So far BIS has harmonized 4787 Indian Standards with International Standards. Considering number of standards where corresponding ISO or IEC Standards exist, about 82 percent of Indian Standards are harmonized.

Seminars for Implementation of Indian Standards

BIS has taken up a drive to intensify the implementation of Indian Standards through seminars in different fields.

तकनीकी विभागों ने पहचाने गए क्षेत्रों में संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित कीं, जिनमें निर्माताओं, उपयोगकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य हितबद्धों जैसे स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया। बेहतर कार्यान्वयन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध मानकों की जानकारी के प्रसार के उद्देश्य से 21 संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। ये संगोष्ठियाँ अधिकांशतः औद्योगिक क्षेत्रों में की गईं, जिनमें उद्योग विशेष से जुड़ी जानकारियाँ दी गईं। इन कार्यक्रमों के दौरान वर्तमान मानकों को बेहतर बनाने और नए मानकों के विकास के लिए विषयों की जानकारी के लिए स्टेकहोल्डरों के विचार और सुझाव भी लिए गए।

आयोजित संगोष्ठियों के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं :

भारत के राष्ट्रीय भवन कोड 2005 पर राष्ट्रीय कार्यशाला

भारत के राष्ट्रीय भवन कोड 2005 को कार्यान्वित करने और उसके बारे में जानकारी के प्रसार के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित की जाने वाली श्रृंखलाओं के भाग के रूप में भा मा ब्यूरो तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से 15 मई 2010 को गाजियाबाद लोकल सेन्टर में एनबीसी (श्रृंखला की 21वीं) 2005 पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में विभिन्न विशेषज्ञों ने अलग-अलग तकनीकी सत्रों में प्रस्तुतीकरण दिया और एनबीसी 2005 के विभिन्न अध्यायों के भिन्न-भिन्न प्रावधानों की व्याख्या की जिसमें प्रशासन संबंधी प्रावधान, विकास नियंत्रण नियम, सामान्य भवन अपेक्षाएँ अग्नि एवं जीवन सुरक्षा, संरचना के आपदा प्रतिरोधी डिजाइन सहित संरचनागत डिजाइनों की व्याख्या की गई। कार्यशाला में स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों के रूप में शिष्टमंडल के 225 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की गई :

क) कार्यशाला में उत्तर प्रदेश और देश के अन्य नगरों में सभी भवनों की आयोजना, डिजाइन, निर्माण और संपत्ति प्रबंधन के मार्गदर्शक विनियम के लिए भारत के राष्ट्रीय भवन कोड 2005 (एनबीसी 2005) को एक युक्ति के रूप में अपनाए जाने का समर्थन किया गया।

ख) कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार और सभी स्थानीय निकायों (शहरी व ग्रामीण), विकास प्राधिकरणों, विशेष एवं नई शहरी विकास एजेंसियों इत्यादि से यह अनुशंसा की गई कि वे एनबीसी 2005 को पूरी तरह अपनाते हुए उसके अनुरूप

Technical divisions organized seminars/conferences/ workshops in identified sectors where stakeholders, such as manufacturers, users, R&D organizations, Government institutions and others participated. In all 21 seminars/conferences/workshops were conducted to disseminate information on standards available in specific fields for increased implementation. These were mostly conducted in industrial clusters and specific industry information was disseminated. During these programmes opinion and suggestion of stakeholders were also taken for improvement in the existing standards and for identification of subjects for development of new standards.

Salient points of the seminars conducted are as under:

National Workshop on National Building Code of India 2005

As a part of the series of workshops being organized by the Bureau of Indian Standards for implementation and dissemination of information about the National Building Code of India 2005, a Workshop on NBC 2005 (21st in the series) was organized jointly by BIS and the Institution of Engineers (India), Ghaziabad Local Centre on 15 May 2010 at Ghaziabad. Various experts delivered presentations in different technical sessions and explained the various provisions of different chapters of NBC 2005 including those relating to administration, development control rules, general building requirements, fire and life safety, structural design including disaster resistant design of structures. The Workshop was attended by around 225 delegates representing all the stakeholders. The following recommendations were emerged during the workshops:

a) The Workshop endorses the adoption of National Building Code of India 2005 (NBC 2005) as an instrument for guiding regulation of planning, design, construction and asset management of all buildings in Uttar Pradesh and other states of the country.

b) The Workshop recommends to Government of Uttar Pradesh and all local bodies (urban and rural), development authorities, special and new town development agencies, etc to modify, revise, revamp the existing building byelaws; development control rules; planning standards; town planning

अथवा उसमें आवश्यकतानुसार स्थानीय स्तर के फेरबदल करते हुए वर्तमान भवन उपनियमों, विकास नियंत्रण नियमों; आयोजना मानकों; शहर विकास नियमों; आग, ढांचा, स्वास्थ्य, निर्माण बिजली और जीवन सुरक्षा के विशेष विनियमों में परिवर्तन, संशोधन करे या फिर से बनाए।

ग) कार्यशाला में यह अनुशंसा की गई कि एनबीसी 2005 के अनुरूप विभागीय निर्माण कोड/विशिष्टियों/सरकार के निर्माण विभागों के मैन्युअलों में संशोधन करते हुए ढांचागत डिजाइन, अग्नि सुरक्षा, भवन एवं प्लमबिंग सेवाओं, भवन निर्माण सामग्री और निर्माण रीतियों (और निर्माण सुरक्षा) तथा उपयुक्त सुरक्षा, जल निकायों तथा अद्यतनीकरण और रख-रखाव के लिए एनबीसी को आधार के रूप में अपनाया जाए।

घ) कार्यशाला में भवन निर्माण व्यावसायिकों और बिल्डरों की पूर्व सक्रिय प्रतिक्रिया से निपटने के लिए सही स्तर के आवश्यक व्यावसायिक मानव संसाधन सहित सभी भवन निर्माण और विनियम एजेंसियों को सशक्त करने की अनुशंसा की गई। नियमित तौर पर स्थापित मानव बस्तियों के लिए व्यावसायिक मानव संसाधन और संबद्ध नियंत्रक एजेंसियों के पूल बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए जिसमें भवन विनियम का कार्य करने वाली लघुतर स्तरीय स्थानीय निकायों की सामाजिक-आर्थिक और बजटगत सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाए।

ङ) कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और शिक्षा की योजना से जुड़े तकनीकी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालयों, शैक्षिक संस्थानों से आग्रह किया गया कि वे अपने पाठ्यक्रमों को एनबीसी 2005 के अनुरूप अद्यतन करें ताकि आरंभिक शैक्षिक स्तर से ही भवन कोड के प्रावधानों की समझ और प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

च) कार्यशाला में यह अनुशंसा की गई कि संबंधित व्यावसायिक लोगों और सरकार, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र; तथा सभी भवन व्यावसायिकों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण और भवन निर्माण में लगी श्रमशक्ति में भी एनबीसी 2005 के बारे जन जागरुकता, अनुप्रयोग और समझ पैदा करने के लिए निरंतर उन्मुखता और विकास कार्यक्रम शुरु किए जाएं।

rules; special regulations for fire, structural, health, construction, electric and life safety, in line with the NBC 2005 by suitably adopting fully or adapting it with such local variation as may be needed.

c) The Workshop recommends to adopt NBC 2005 as the basis for structural design, fire protection, building and plumbing services, building materials and construction practices (and construction safety) and for proper protection, upkeep and maintenance of water bodies by modifying the departmental construction codes/specifications/ manuals of Govt. construction departments, in line with NBC 2005.

d) The Workshop recommends the strengthening of all building development and regulating agencies with the right level of professional human resources to deal with proactive responses needed with the building professionals and builders. The professional human resource pooling for contiguously situated human settlements and the related regulating agencies should be attempted, considering the socio-economic and budgetary constraints of smaller level local bodies dealing with building regulation work.

e) The Workshop urges the Government of Uttar Pradesh, Board/University of Technical Education, Educational Institutions dealing with architectural, engineering and planning education to upgrade the curricula in line with NBC 2005 so as to ensure proper understanding and training of the provisions of the Building Code right from academic level.

f) The Workshop recommends the initiation of continuous orientation and development programmes for creating mass awareness, appreciation and application of NBC 2005 among practicing professionals and the Government, Public and Private Sector; as also capacity building/training of all building professionals and work force involved in building construction activity.

खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियों संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ

दिनांक 01 जून 2010 को पटना में तथा 21 जनवरी 2011 को गोवा में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियों पर राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं। गोवा में संगोष्ठी गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री (जी सी सी आई) के सहयोग से आयोजित की गई। प्रत्येक संगोष्ठी में लगभग 70 सहभागी उपस्थित हुए।

National Seminars on Food Safety Management Systems

National Seminars on Food Safety Management Systems were organized at Patna on 01 June 2010 and at Goa on 21 January 2011. The seminar at Goa was organized in collaboration with Goa Chamber of Commerce and Industry (GCCI).

उद्योग जगत, वैज्ञानिक संगठनों, सरकारी निकायों, शैक्षिक संस्थानों तथा उपभोक्ता निकायों से शिष्टमंडल आए। संपूर्ण खाद्य श्रृंखला में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियों के कार्यान्वयन की जरुरत का बहुत से संगठनों से संबद्ध हो सकता है तथा जो बहुत सीमाएँ पार कर सकता है, शिष्टमंडलों के समक्ष इस बारे में बताया गया संगोष्ठियों में खाद्य श्रृंखला में किसी संगठन के लिए खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी आईएसओ मानक अर्थात् आईएसओ 22000 : 2005, 'खाद्य सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियों – अपेक्षाओं' पर जानकारी दी गई। आईएसओ 22000 के अन्य फायदे में आईएसओ 9001 : 2000 गुणता प्रबंधन प्रणाली मानक की दृष्टि से सफलतम प्रबंधन प्रणाली तक विस्तार होता है लेकिन व्यापक रूप से सभी सेक्टरों में कार्यान्वित की जाती है लेकिन अपने आप विशेषतः खाद्य सुरक्षा से संबंधित नहीं होती। इसके बारे में भी शिष्टमंडलों को जोर देकर बताया गया। उपभोक्ताओं से जुड़े खतरे जो कि खाद्य श्रृंखला में किसी कमजोर कड़ी के चलते हो सकते हैं तथा गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों का कारण भी बन सकते हैं, इस पर भी इस संगोष्ठी में विचार विमर्श किया गया।

ताप उपचारित औद्योगिक घटकों की इंजीनियरी विफलता विश्लेषण पर राष्ट्रीय कार्यशाला एफएएचसी 2010

भा मा ब्यूरो के धातुकर्म इंजीनियरी विभाग ने आईआईटी, मुंबई के साथ मिलकर 14 जून 2010 को कान्फ्रेंस हॉल, आईआईटी, मुंबई में 'ताप उपचारित औद्योगिक घटकों की विफलता विश्लेषण' पर राष्ट्रीय कार्यशाला एफएचएसी 2010 आयोजित की। पुर्जों की विफलता के घातक परिणाम हो सकते हैं इसलिए विफलता के कारण ज्ञात करने और उसके सही कारण को जानने के लिए ताप उपचारित घटकों की विफलता का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह कार्यशाला ताप उपचारित क्रियाकलापों से संबंधित विफलताओं को कम से कम करने की दिशा में एक उपाय के रूप में था। यह कार्यशाला बहुत सफल रही जिसमें उद्योगों, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षिक संस्थाओं के 50 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में व्यावसायिक तौर पर महत्वपूर्ण घटकों के ताप उपचार में माइक्रोस्ट्रक्चर के सिद्धांत और व्याख्या, डिजाइन में विफलता विश्लेषण की भूमिका, सामग्री का चयन और गलत ताप उपचार इत्यादि के कारण निर्माण में क्षति जैसे विषय शामिल थे। कार्यशाला में ताप उपचार संबंधी चर्चा एवं विचारों-विमर्श को बढ़ावा दिया गया।

भारत में तकनीकी वस्त्रादि की वृद्धि एवं विकास पर संगोष्ठी

18 जून 2010 को मुंबई में भारत में तकनीकी वस्त्रादि की वृद्धि एवं विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। तकनीकी वस्त्रादि उद्योग, व्यापार, नियामक निकायों, सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों, निर्यात हाउसों से लगभग 200 प्रतिनिधियों और उपयोगकर्त्ताओं ने हिस्सा लिया। सामान्य तकनीकी वस्त्रादि के मानकीकरण और विशेष रूप से जियोटैक्सटाइल पर संगोष्ठी में पेपर प्रस्तुत किए गए। परिचर्चा के दौरान तकनीकी वस्त्रादि के मानकीकरण का नया विषय सामने आया।

The seminars were attended by around 70 participants in each seminar. The delegates were from the industries, scientific organizations, Government bodies, academic institutions and consumer bodies. The need for implementing the Food Safety Management Systems in the entire food chain that may link many different types of organizations and that may stretch across multiple borders was explained to the delegates. The seminars gave insight on ISO Standard of Food Safety, namely ISO 22000 : 2005 'Food safety management systems – Requirements' for any organization in the food chain. The other benefit of ISO 22000, that it extends the successful management system approach of the ISO 9001 : 2000 quality management system standard which is widely implemented in all sectors but does not itself specifically address food safety, was also emphasized to the delegates. The dangers to the consumer which may occur due to one weak link in the food – chain can result in serious health hazards were also deliberated in the Seminars.

National Workshop on Failure Analysis of Heat Treated Industrial Components FAHC 2010

A one day national workshop on 'Failure Analysis of Heat Treated Industrial Components' FAHC 2010 was held by Metallurgical Engineering Department of BIS in association with IIT, Bombay on 14 June 2010 at Conference Hall, IIT, Bombay. Component failures lead to disastrous consequences, therefore analysis of failure of heat treated components is important to detect and correct root cause of the failure. The workshop was a step towards minimizing failures related to the heat treating operations. The workshop was a great success as more than 50 delegates attended from industries, research establishments and academia.

The technical session covered the topics, such as principles and interpretation of microstructure in heat treatment of commercially important components, role of failure analysis in design, material selection and manufacturing damage due to improper heat treatment, etc. The workshop promoted discussion and exchange of ideas related to heat treatment.

Seminar on Growth and Development of Technical Textile in India

A seminar on Growth and Development of Technical Textile in India was held at Mumbai on 18 June 2010. Around 200 delegates from technical textiles industry, trade, regulatory bodies, students from government institutes, export houses and users attended the programme. Paper on Standardization of Technical Textiles in general and Geo-textile in particular was presented. During the deliberations new subject for standardization of technical textiles were identified.

आटोमोटिव टायर, ट्यूब और रिमों के मानकीकरण पर संगोष्ठी

27 सितम्बर 2010 को अहमदाबाद और 4 मार्च 2011 को लुधियाना में 'आटोमोटिव टायर, ट्यूब और रिमों के मानकीकरण' पर विचारपरक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठियों के उद्देश्य थे :

i) भारतीय मानक ब्यूरो की संबद्ध तकनीकी समिति द्वारा आटोमोटिव टायर, ट्यूब और रिमों पर प्रकाशित मानकों के प्रति उद्योगों में जागरुकता पैदा करना;

ii) नवम्बर 2009 के गुणता नियंत्रण आदेश से भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित टायर व ट्यूबों के अनिवार्य प्रमाणन के बारे में जागरुक करना; और

iii) आटोमोटिव टायर, ट्यूब और रिम के किसी मानक को लेकर उद्योग/उपयोगकर्त्ताओं के सामने आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना।

अहमदाबाद में आयोजित संगोष्ठी में 70 और लुधियाना में आयोजित संगोष्ठी में 50 लोगों ने भाग लिया। इन भागीदारों में टायर, ट्यूब व रिमों के निर्माता, टायर डीलर संघ/संगठन, औद्योगिक संगठनों, अनुसंधान व विकास संगठनों, परीक्षण संगठनों और सरकारी एजेंसियों के व्यक्ति शामिल थे।

तकनीकी सत्रों में मानकीकरण और उसके लाभ, टायर, ट्यूब और रिमों का मानकीकरण, वातिल टायरों में नाइट्रोजन इनफ्लेशन, टायर प्रौद्योगिकी में उन्नति, और पहिए के रिमों के परीक्षण की नई प्रवृत्तियों तथा भा मा ब्यूरो प्रमाणन प्रक्रिया इत्यादि पर पेपर प्रस्तुत किए गए।

प्लम्बिंग और यांत्रिक कोड, जल वितरण और स्वच्छता प्रणाली के मानकों पर परस्पर संवाद सत्र

भारतीय मानक ब्यरो ने एएनएसआई, सीआईआई के सहयोग से 'मानक एवं अनुरूपता सहयोग कार्यक्रम' के अंतर्गत 27 अक्तूबर 2010 को नई दिल्ली में 'प्लम्बिंग एवं यांत्रिक कोड, जल वितरण और स्वच्छता तंत्र के मानक' पर परस्पर एक संवाद सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तकनीकी सत्रों के दौरान निर्माताओं के लिए मानकों का महत्त्व, कोड विकास की महत्ता, हरित प्रावधानों का विकास और पर्यावरण कोड के अनुप्रयोग पर केन्द्रित चर्चाएं की गई। इसके अतिरिक्त भारत में स्वैच्छिक मानकों के कार्यान्वयन को बढ़ाने के सुझावों, अनिवार्य मानक लागू किए जाने वाले क्षेत्र ज्ञात करना और उसके उपाय करना तथा प्रशिक्षण व शिक्षा के माध्यम से जागरुकता बढ़ाना जैसे विषयों पर केन्द्रित चर्चा भी की गई।

Seminar on Standardization of Automotive Tyres, Tubes and Rims

Interactive Seminars on 'Standardization of Automotive Tyres, Tubes and Rims' were organized on 27 September 2010 at Ahmedabad and on 4 March 2011 at Ludhiana.

The objectives of the seminars were:

i) To create awareness among the industry about the standards on Automotive Tyres, Tubes and Rims brought out by the concerned Technical Committee, of Bureau of Indian Standards;

ii) To create awareness about the mandatory BIS certification of tyres and tubes as notified by the Govt. of India by Quality Control Order of November 2009; and

iii) To discuss the problems faced by the industry/ users on any of the standards related to Automotive Tyres, Tubes and Rims.

The seminar at Ahmedabad was attended by over 70 participants and that at Ludhiana was attended by over 50 participants which covered manufacturers of automotive tyres, tubes and rims, tyre dealers federations/associations, industry associations, R&D organizations, testing organizations and other Govt. agencies.

The papers presented in the technical sessions included those on Standardization and its Benefits, Standardization of tyres, tubes and rims, Nitrogen Inflation in Pneumatic Tyres, Advancement in Tyre Technology, Testing of Pneumatic Tyres and Tubes, New Trends and Testing of Wheel Rims and BIS Certification Procedure.

Interactive Session on Standards for Plumbing and Mechanical Codes, Water Distribution and Sanitation Systems

An Interactive Session on 'Standards for Plumbing and Mechanical Codes, Water Distribution and Sanitation Systems' was organized by BIS in association with ANSI and CII under 'Standards and Conformance Cooperation Programmes' on 27 October 2010 at New Delhi. The programme was attended by more than 50 delegates.

During the technical sessions the discussions focused on importance of standards to manufacturers, importance of code development, development of green provisions and application of environmental codes in a building environment. Further, the discussions also focused on suggestions for enhancing implementation of voluntary standards in India, identifying areas where mandatory standards need to be introduced and approaches to be followed and expanding awareness through training and education.

निर्माण परियोजना प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

भा मा ब्यूरो ने परियोजना प्रबंधन के मानकीकरण की एक महत्त्वकांक्षी योजना का दायित्व लिया है जिस पर पहला मानक निकाला गया है। इस मानक में देश में निर्माण परियोजनाओं के उपयुक्त प्रबंधन के लिए निर्माण उद्योग के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विशेष परियोजना प्रबंधन के कार्यों पर मानकों की एक श्रृंखला तैयार की जा रही है। इस पर प्रकाशित मानक के प्रावधानों की और इस क्षेत्र में किए जा रहे मानकीकरण के अन्य कार्य की जानकारी के प्रसार के लिए भा मा ब्यूरो ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्ट के साथ मिल कर 30 नवम्बर 2010 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में भारतीय मानक आईएस 15883 (भाग 1): 2009 'निर्माण परियोजना प्रबंधन के दिशा-निर्देश : भाग 1 सामान्य' के विभिन्न प्रावधानों और समय प्रबंधन, लागत प्रबंधन, गुणता प्रबंधन, और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन जैसे विभिन्न निर्माण परियोजना प्रबंधनों पर तैयार/तैयार किए जा रहे मानक मसौदों पर परस्पर संवाद के विभिन्न तकनीकी सत्रों में जानकारी दी गई। इस संगोष्ठी में विभिन्न स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

प्रीपेमेंट मीटरों पर संगोष्ठी

07 दिसम्बर 2010 को नई दिल्ली में प्रीपेमेंट (पूर्व भुगतान) मीटरों पर एक अखिल भारतीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का विषय था: 'प्रीपेमेंट मीटर — मीटरिंग क्षेत्र में प्रगति'। उद्योग जगत, नियामक निकायों, परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों और उपयोगकर्त्ताओं के साथ लगभग 50 लोगों ने इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया।

संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जानकारी देना तथा नए प्रकाशित भारतीय मानक आईएस 15884 : 2010 'सक्रिय ऊर्जा के लिए प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा स्थैतिक प्रीपेमेंट (श्रेणी 1 व 2)' पर परिचर्चा करना था।

घड़ीसाजी के क्षेत्र में मानकीकरण गतिविधियों पर संगोष्ठी

15 दिसम्बर 2010 को राजकोट में 'घड़ीसाजी के क्षेत्र में मानकीकरण गतिविधियों' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में 60 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया जिसमें विशेषज्ञ, निर्माता और उपयोगकर्त्ता शामिल थे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य घड़ीसाजी पर बने भारतीय मानकों और भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर योजना के बारे में जागरुकता फैलाना था। संगोष्ठी में भाग लेने वाले लोगों में घड़ीसाजी के बारे में परस्पर बहुत अच्छी चर्चा हुई।

संगोष्ठी के तकनीकी सत्रों में कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, घड़ी केस और सहायक घटकों के विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ थे। संगोष्ठी में कुछ संस्थानों जैसे एनपीएल, दिल्ली; मै० टाइटन इंडस्ट्रीज़, हाउसर; एमएसएमई मंत्रालय, नई दिल्ली; मै० पि. ए. टाइम इंडस्ट्रीज़, हिमाचल प्रदेश;

National Seminar on Construction Project Management

BIS has taken up an ambitious project of standardization on Construction Project Management and the first standard giving guidelines for Construction Project Management has since been brought out to guide the construction industry for proper management of construction projects in the country. A series of further standards on specific project management functions are under preparation. In order to disseminate information about the provisions of the published standard and further standardization work going on in this field, a Seminar was organized by BIS jointly with the School of Planning and Architecture, New Delhi on 30 November 2010 at New Delhi. Various provisions of the Indian Standard IS 15883 (Part 1) : 2009 'Guidelines for Construction Project Management: Part 1 General' as also of the draft standards prepared/under preparation on various construction project management functions such as time management, cost management, quality management and health and safety management were explained in different interactive technical sessions. The Seminar was attended by more than 100 participants representing different stakeholders.

Seminar on Prepayment Meters

An all India Seminar on Prepayment Meters was organized on 07 December 2010 at New Delhi. The theme of the seminar was 'Prepayment meters — An advancement in metering'. About 50 participants representing industry, regulatory bodies, utilities, testing laboratories and consumers attended the seminar.

The most important objective of the seminar was to disseminate information and invite deliberations on the newly published Indian Standard IS 15884:2010 'Alternating Current Direct Connected Static Prepayment Meters for Active Energy (Class 1 & 2)'.

Seminar on Standardization Activities in the Field of Horology

Seminar on 'Standardization Activities in the Field of Horology' was organized on 15 December 2010 at Rajkot. The seminar was attended by more than 60 participants consisting of experts, manufacturers and users. The objective of the seminar was to promote awareness of Indian Standards on horology and on BIS Certification Marks Scheme. Participants had a very good interaction with each other regarding all aspects of Horology.

In the Technical Session of the seminar different speakers were present from various fields of expertise in watch, clock, watch cases and ancillary components. Some of the organizations that presented papers are NPL, Delhi; M/s Titan Industries, Hosur; Ministry of MSME, New Delhi; M/s P.A.Time Industries, Himachal Predesh;

मै० कमला डायल्स एण्ड डिवाइसिज़, मोहाली, राजकोट वॉच केसेज एण्ड एनसिलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्यों; राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इत्यादि के सदस्यों ने अपने विचार रखे।

M/s Kamala Dials & Devices, Mohali; members of Rajkot Watchcases & Ancillary Manufacturers Association; members from Rajkot Engineering Association, Rajkot Chamber of Commerce, etc and officers from BIS, New Delhi and Rajkot.

स्वचालित पॉवर फैक्टर करेक्शन पैनल पर कार्यशाला

भा मा ब्यूरो ने सीपीआरआई, बैंगलुरु के साथ संयुक्त रूप से 18 जनवरी 2011 को बैंगलुरु में ऑटोमेटिक पॉवर फैक्टर करेक्शन पैनल पर एक कार्यशाला आयोजित की। उद्योग जगत से बड़ी संख्या में तकनीकी व्यावसायिकों ने कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य एपीएफसी पैनल क्षेत्र से संबंधित लोगों को शामिल करना तथा इस विषय पर मानक बनाने की योजना तैयार करना था जो आगे चल कर उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

Workshop on Automatic Power Factor Correction Panel

A Workshop on Automatic Power Factor Correction Panel was organized on 18 January 2011 at Bengaluru jointly with CPRI, Bengaluru. Large number of technical professionals from the industry attended this workshop. The objective of the workshop was to involve all stakeholders in the field of APFC Panel and come out with the plan to prepare a standard on this subject which is expected to cater to the need of the industry in the long run.

राष्ट्रीय प्रकाश संहिता — 2010 जारी करना

भा मा ब्यूरो मुख्यालय ने 27 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय प्रकाश संहिता (एनएलसी) — 2010 जारी किया। सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने लाइटिंग उद्योग के प्रतिष्ठित व्यावसायिकों, सरकारी अधिकारियों और प्रेस के लोगों की उपस्थिति में इस कोड को औपचारिक तौर पर जारी किया। इस समारोह में प्रिंट मीडिया ने अच्छी संख्या में हिस्सा लिया और प्रमुखता दी।

Launching of the National Lighting Code — 2010

Launching of National Lighting Code (NLC) — 2010 was organized at BIS HQ, New Delhi on 27 January 2011 when this important code was formally released by Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India in the presence of large gatherings of eminent professionals form lighting industry, Government officials and press. The ceremony was well attended and well covered by the print media.

गुम्फित प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री — उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर संगोष्ठी

23 फरवरी 2011 को मुंबई में 'गुम्फित प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री— उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। गुम्फित प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग, व्यापार, नियामक निकायों, सरकार, निर्यात गृहों के लगभग 55 प्रतिनिधियों और उपयोगकर्त्ताओं ने संगोष्ठी में हिस्सा लिया। गुम्फित टैक्सटाइल पैकेजिंग सामग्री पर उपलब्ध मानकों, प्लास्टिक बुनी हुई टैक्सटाइल सामग्री निर्धारण में हुई नई प्रगति और गुम्फित प्लास्टिक पैकेजिंग से उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं पर तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए। यह अनुशंसा की गई कि उपलब्ध मानकों की गंभीर समीक्षा की जानी चाहिए और ऐसे उत्पादों के प्रमुख खरीदारों में से एक डीजीएस एण्ड डी द्वारा प्रतिपादित अपेक्षाओं को जहाँ कहीं भी संभव हो, वर्तमान मानकों में सम्मिलित किया जाए।

Seminar on Woven Plastics Packaging Material — Expectation of Consumers

A Seminar on 'Woven Plastics Packaging Material — Expectation of Consumers' was organized at Mumbai on 23 February 2011. Around 55 delegates from woven plastics packaging industry, trade, regulatory bodies, government, export houses and users attended the programme. Technical papers were presented on standard available on woven textile packaging material, new developments in evaluation of plastics woven textile material and on expectations of the consumers with regard to woven plastic packaging. It was recommended that available standard were to be taken up for critical review and wherever possible the requirements enunciated by DGS&D, one of the major buyers of such products, be incorporated in the existing standards.

द्रवीय संरचना मापयंत्रण पर संगोष्ठी

24 फरवरी 2011 को 'द्रवीय संरचना मापयंत्रण' पर संगोष्ठी आयोजित की गई। यह संगोष्ठी द्रवीय संरचना मापयंत्रण में वर्तमान मुद्दों से संबद्ध वैज्ञानिक समुदाय के भिन्न समूहों के बीच विचारों और ज्ञान के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित की गई। संगोष्ठी में 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में तेरह तकनीकी पेपर रखे गए।

द्रवीय मापयंत्रण के विभिन्न पक्षों अर्थात बांधों के लिए प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरण और उनके लाभ; भूमिगत पॉवर हाउस में मापयंत्रण; नहर मापयंत्रण; सेतु मापयंत्रण; मापयंत्रण से विश्लेषण और आंकड़ों का प्रतिपादन; मापयंत्रण द्वारा बांध की मॉनीटरिंग करना; वर्तमान बांधों में उपस्कर; भूकंपीय मापयंत्रण; बांध निगरानी में प्रवृत्तियाँ; मापयंत्रण के संस्थापन और उपकरणों के प्रचालन में सावधानियाँ; रिहंद बांध, नाथपा बांध, इंदिरा सागर बांध, व्यास बांध, तपोवन विष्णुगढ़ हायड्रोपॉवर परियोजना, पुषेप भूमिगत पॉवर हाउस, नर्मदा मुख्य नहर में मापयंत्रकों का अध्ययन और द्रवीय संरचनागत उपकरणों के क्षेत्र में मानकीकरण पर प्रस्तुतीकरण और संवाद के दौरान संगोष्ठी में चर्चा की गई।

संरचनागत विकास में मानकों के क्रियान्वयन पर कार्यशाला — सुरक्षा, गुणता और निर्माण का अच्छा प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूर्व अपेक्षा

भवन निर्माण और अन्य सिविल इंजीनियरिंग अवसंरचनाओं की आयोजना, डिजाइन और निर्माण के क्षेत्र में भारतीय मानकों की श्रृंखला का निर्धारण किया गया है। इन भारतीय मानकों की देश में व्यवस्थित एवं सुरक्षित विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इन मानकों के प्रावधानों की जानकारी देने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए भा मा ब्यूरो ने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), बैंगलुरु के नेशनल डिजाइन एण्ड रिसर्च फोरम के साथ संरचनागत विकास में 'मानक क्रियान्वयन—सुरक्षा, गुणता और निर्माण का अच्छा प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूर्वअपेक्षा' पर 9 मार्च 2011 को बैंगलुरु में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। विभिन्न तकनीकी सत्रों में विभिन्न विशेषज्ञों ने प्रस्तुति दी और भारतीय मानकों तथा विशेष प्रकाशनों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी जिसमें सामान्य भवन अपेक्षाएँ, अग्नि एवं जीवन सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के साथ-साथ अवसंरचना

Seminar on Hydraulic Structures Instrumentation

A seminar was organized on 'Hydraulic Structures Instrumentation' on 24 February 2011 at New Delhi. The seminar was organized to provide an opportunity for exchange of ideas and knowledge between diverse groups of the scientific community concerned with the current issues in Hydraulic Structures Instrumentation. Seminar was attended by more than 80 delegates. Thirteen technical papers were presented in the seminar.

Different aspects of hydraulic instrumentation that is different types of instruments used for dams and their benefits; instrumentation in underground power house; canal instrumentation; bridge instrumentation; analysis and interpretation of data from instrumentation; monitoring of dam through instrumentation; instruments in existing dams;seismic instrumentation; trends in dam surveillanc; precautions during installation and operation of instruments; case studies of instrumentations at Rihand Dam, Nathpa Dam, Indira Sagar Dam, Beas Dam, Tapovan Vishnugad Hydropower Project, Pushep Under-ground Power House, Narmada Main Canal; and standardization in the field of hydraulic structure instruments were discussed through presentation and during interaction.

Workshop on Implementation of Standards in Infrastructural Development — A Prerequisite to Ensure Safety, Quality and Good Management of Constructions

A series of Indian Standards have been formulated in the field of planning, design and construction of buildings and other civil engineering structures. These Indian Standards play an important role for orderly and safe developments in the country. With a view to disseminating information about the provisions of the these standards and help in their effective implementation, a 'Workshop on Implementation of Standard in Infrastructural Development – A Prerequisite to Ensure Safety, Quality and Good Management of Constructions' was organized by BIS jointly with the National Design and Research Forum of the Institution of Engineers (India), Bengaluru at Bengaluru on 9 March 2011. Various experts delivered presentations in different technical sessions and explained the various provisions of Indian Standards and Special Publications including those relating to general building requirements, fire and life

डिजाइन के प्रावधान थे जिसमें अवसंरचना के प्रतिरोधी डिजाइन, भवन सेवाएँ, प्लम्बिंग सेवाएँ, अबाधित परिवेश और निर्माण परियोजना प्रबंधन व निरंतरता का दृष्टिकोण जैसे नए क्षेत्र शामिल हैं। इस कार्यशाला में विभिन्न स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 लोगों ने हिस्सा लिया।

ईएमआई/ईएमसी का प्रतिरोध — कार्यनीति एवं मानकीकरण पर संगोष्ठी

11 मार्च 2011 को चेन्नई में 'ईएमआई/ईएमसी का प्रतिरोध—कार्यनीति एवं मानकीकरण' पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईएमआई/ईएमसी के क्षेत्र में मानकीकरण की गतिविधियों के बारे में स्टेकहोल्डरों में जागरुकता पैदा करना और उसकी जानकारी देने के अतिरिक्त उन्हें हमारे देश में रेडियो तरंगों के उत्सर्जन और व्यावधानों के वर्तमान परिदृश्य की प्रमुखता से जानकारी देना था। इस जानकारी में मोबाइल टॉवर, मोबाइल फोन इत्यादि जैसे उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगो का उत्सर्जन करने वाले उपकरणों और उनके मानव पर हानिकारक प्रभाव की जानकारी विशेष तौर पर शामिल थी।

इस संगोष्ठी में विभिन्न उद्योगों, शैक्षिक संस्थानों और सरकारी संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

यह संगोष्ठी काफी अधिक संवादात्मक थी और इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई :

i) अवांछित विकिरण को नियंत्रित करने के लिए विनियम बनाना।

ii) युवावस्था में जागरुकता पैदा करने के लिए मानक और ईएमआई/ईएमसी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों का हिस्सा हो।

iii) दिशा-निर्देशों में सभी आरएफ संस्थापन शामिल हों। सभी जगह संस्थापन (टॉवर) की अनुमति न दी जाए और दिशा-निर्देशों के अनुसार ये सीमित हों।

iv) संस्थापनों से निकलने वाले विकिरण पर नज़र रखने के लिए देश में मानीटरिंग प्राधिकरण की आवश्यकता है।

कृषि की अच्छी रीतियों पर संगोष्ठी

दिनांक 17 मार्च 2011 बृहस्पतिवार को कृषि की अच्छी रीतियों विषय पर एक संगोष्ठी भोपाल में आयोजित की गई।

संगोष्ठी का उद्देश्य किसान वर्ग के लाभ के लिए इंडिया-गैप मानकों के विकास के प्रति भा मा ब्यूरो की शुरुआतों सम्बन्धी जागरुकता पैदा करना, तथा शोधकर्ताओं/नीति-निर्धारकों, उद्योगपतियों, किसानों तथा इस

safety, structural design including disaster resistant design of structures, building services, plumbing services, barrier free environment and new areas such as construction project management and approach to sustainability. The Workshop was attended by around 100 delegates representing different stakeholders.

Seminar on Combating EMI/EMC — Strategies and Standardization

Seminar on 'Combating EMI/EMC – Strategies and Standardization' was held on 11 March 2011 at Chennai. The objective of this seminar was to create awareness amongst stakeholders and apprise them about the standardization activities in the field of EMI/EMC nationally as well as at international level in addition to highlighting the current scenario of radio wave emissions and interference in our country specially due to the mobile towers, mobile phones and other high frequency radio wave emitting devises like from radio and TV towers, etc and their harmful effects on human exposure.

The seminar was attended by around 100 delegates representing various industries academia and government organizations.

The seminar was very interactive and discussion took place on following issues:

i) Need for regulations to help regulate undesired radiation.

ii) The Standards & EMI/EMC shall be part of curriculum of engineering colleges to spread awareness at an young age.

iii) Guidelines should cover all RF installations. The installations (towers) should not be allowed everywhere and should be limited as per guidelines.

iv) Need for a monitoring authority in the country to monitor radiations from the installations.

Seminar on Good Agricultural Practices

A Seminar on "Good Agricultural Practices" was organized at Bhopal on Thursday, 17 March 2011.

The objective of the seminar was to create awareness of BIS initiative towards development of India-GAP Standards for the benefit of farming community and to bring together searchers/policy makers,

क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संस्थानों को एकत्रित कर उनकी जानकारी के आदान-प्रदान, वाद-विवाद, विचार-विमर्श की सुविधाओं के लिए एक मंच उपलब्ध कराना तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरों की प्रत्याशाएँ तथा फीडबैक लेना था। संगोष्ठी में विभिन्न अनुसंधान संगठनों, सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तथा किसानों जैसे इत्यादि लगभग 60 विशिष्ट लोगों ने सहभागिता की।

संगोष्ठी में दो तकनीकी सत्र थे जिन्हें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया। सहभागियों को सूचित किया गया कि कृषि की अच्छी रीतियाँ खाद्य श्रृंखला में सुरक्षा तथा गुणता को सुनिश्चित करने, सप्लाई चेन शासन संशोधित करके नए बाजार की उपलब्धियों को कब्जाना, प्रयोग के प्राकृतिक संसाधन को उन्नत करने, श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा कार्यकारी अवस्थाएँ तथा/या विकसित देशों में किसानों तथा निर्यातकों के लिए बाजार के नये अवसर बनाने के लक्ष्यार्थ है। संगोष्ठी के दौरान चर्चाओं तथा विचार-विमर्श के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि भारतीय कृषि क्षेत्र द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है उन्हें भा मा ब्यूरो द्वारा विकसित किए जा रहे इंडिया-गैप मानकों के कार्यान्वयन द्वारा प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है और इनका अधिकतम लाभ लिया जा सकता है।

दंत उपकरणों, उपस्करों, फिलिंग एवं रेस्टोरेटिव (स्वास्थ्यकर) सामग्री पर संगोष्ठी

बैंगलुरु में 18 मार्च 2011 को "दंत उपकरण, उपस्कर, फिलिंग और रेस्टोरेटिव सामग्री" पर 3 एम इंडिया लिमिटेड के सहयोग से एक संगोष्ठी आयोजित की गई।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य दंतचिकित्सा के क्षेत्र में मानकीकरण गतिविधियों तथा दंत उपस्कर उपकरणों पर विभिन्न मानकों, फिलिंग एवं रेस्टोरेटिव सामग्री, प्रोस्थॉडोन्टिक सामग्री, डेन्टल इम्पलांट, परीक्षणों की निर्धारित पारिभाषिक शब्दावली और पद्धतियों के बारे में उद्योगों/उपयोगकर्त्ताओं/अन्य स्टेकहोल्डरों में जागरुकता पैदा करना तथा इस विषय पर संबद्ध लोगों को नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों और डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पर जानकारी देना भी था।

इस संगोष्ठी में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों, डॉक्टरों और औद्योगिक संगठनों के लगभग 45 प्रतिनिधियों और विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों और हस्पतालों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

इस संगोष्ठी में यह अनुशंसा की गई कि दंतचिकित्सा पर मानकों को अनिवार्य किया जाए, छात्रों और डाक्टरों में मानकों के बारे में जागरुकता पैदा की जाए और दंत चिकित्सा में मरकरी के मिश्रण को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए।

ट्रीबोलॉजी के क्षेत्र में मानकीकरण पर संगोष्ठी

ट्रीबोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया के सहयोग से 22 मार्च 2011 को फरीदाबाद में ट्रीबोलॉजी के क्षेत्र में मानकीकरण पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी का उद्देश्य सभी स्टेकहोल्डरों के

industries, farmers and NGOs working in the field, on one platform to exchange knowledge, ignite debates and facilitate discussions as well as to capture the expectations and feedback of the various stakeholders. The seminar brought together a distinctive gathering of around 60 participants from various research organizations, government departments and agencies, and farmers.

There were two technical sessions which were addressed by the experts in the field. The participants were informed that Good Agricultural Practices aim at ensuring safety and quality of produce in the food chain, capturing new market advantages by modifying supply chain governance, improving natural resource use, worker health and working conditions, and/or creating new market opportunities for farmers and exporters in developing countries. Based on the discussions and deliberations during the seminar it was concluded that the challenges being faced by Indian agricultural sector can be tackled effectively and benefits can be maximized by implementation of India-GAP standards, being developed by BIS.

Seminar on Dental Instruments, Equipment, Filling and Restorative Material

A Seminar on "Dental Instruments, equipment, filling and restorative material" held at Bengaluru on 18 March 2011, was organized by BIS in association with 3M India Limited at Bengaluru.

The objective of the seminar was to impart awareness to the industry, users and other stakeholders about standardization activity in the field of dentistry, and also about various standards that have been formulated on dental equipment instruments, filling and restorative materials, prosthodontic material, dental implants, terminology and methods of tests. The objective was also to apprise various stakeholders about the latest International Standardization activities on the subject as well as awareness about WTO/TBT.

The seminar was attended by over 45 participants from the academia, doctors, industry representatives and representatives from various health services and hospitals.

The recommendations that emanated from the seminar were that standards on dentistry should be made mandatory, awareness about the standards be spread amongst students and doctors and use of mercury amalgam in dental practice should be phased out.

Seminar on Standardization in the Field of Tribology

Seminar on Standardization in the field of Tribology was organized in association with Tribology Society of India on 22 March 2011 at Faridabad. The objective of the seminar was to study the requirements of industries and

बीच पारस्परिक बातचीत द्वारा मानकीकरण की गतिविधियों में वास्तविक सहायता के लिए उद्योगों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं का अध्ययन करना; उद्योगों द्वारा दिए गए विषयों पर भारतीयों मानकों के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करना; उद्योगों को भा मा ब्यूरो प्रमाणन मुहर लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विषय पर नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण गतिविधियों से विभिन्न स्टेकहोल्डरों को अवगत कराना था।

तकनीकी सत्र में विभिन्न संगठनों जैसे ट्रीबोलॉजी सोसायटी ऑफ इंडिया, भा मा ब्यूरो, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड के वक्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में प्रस्तुतीकरण दिया। संगोष्ठी में 61 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और उनमें ट्रिबोलॉजी के सभी पक्षों के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई।

पेय जल शोधन के रसायनों के मानकों पर संगोष्ठी

23 मार्च 2011 को वडोदरा में 'पेय जल शोधन के मानकों' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

पेय जल का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। जल शोधन के लिए कई रसायन प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे उनका प्रयोग अशुद्धता दूर करने के लिए हो, जल को मृदु करने के लिए हो या फिर संदूषण अथवा अन्य उपचारों के लिए हो। इनके प्रयोग के बाद कुछ रसायन बाकी रह सकते हैं।

रसायनों के उचित प्रयोग की प्रासंगिकता तथा उससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रयुक्त रसायन ज्ञात करने और उनकी वैधता एवं गुणों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरुरत बदलते समय के साथ अनुभव की गई। संगोष्ठी का प्रस्तुतीकरण मुख्य रूप से विभिन्न मानकों विशेषकर पॉली-एल्यूमीनियम क्लोराइड और सक्रिय कार्बन की भूमिका पर केन्द्रित था।

चाय उद्योग में खाद्य सुरक्षा तथा गुणता — मुद्दे तथा चुनौतियों पर संगोष्ठी

दिनांक 24 गार्च 2011, बृहस्पतिवार को 'चाय उद्योग में खाद्य सुरक्षा तथा गुणता — मुद्दे तथा चुनौतियों' विषय पर एक संगोष्ठी भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के साथ संयुक्त रूप से जोरहाट में आयोजित की गई।

संगोष्ठी में आपसी विचार-विमर्श एवं विविधतापूर्ण चर्चाएँ हुई। संगोष्ठी से निम्नलिखित प्रमुख अनुशंसाएँ सामने आई :

i) चाय के लिए भारतीय मानक की विशिष्टियों में *पी एफ ए नियमावली*, 1955 के अनुसार लैड एवं कॉपर के अलावा भारी धातुओं की अतिरिक्त अपेक्षाओं तथा कीटनाशी अवशिष्टों के अधिकतम अवशिष्टों के स्तरों को शामिल करने की आवश्यकता।

ii) देश में चाय अनुसंधान संस्थानों द्वारा चाय में कीटनाशी अवशिष्टों पर डाटा उत्पन्न करना जारी रखना तथा चाय में कीटनाशी अवशिष्टों तथा आयरन भराई के आविषालुता के आकलन सहित तैयारी की महत्ता।

other stakeholders for an actual support in standardization activities through interaction between all stakeholders; to promote implementation of Indian Standards on the subject by the industry; to encourage industry to obtain BIS Certification Marks License and to apprise the various stakeholders about the latest international Standardization activities on the subject.

In the technical session speakers from various organizations like Tribology Society of India, BIS, Hindustan Aeronautics Limited, Indian Oil Corporation Limited, National Engineering Industries Limited, Bharat Heavy Electricals Limited gave presentation in their field of expertise. The seminar was attended by 61 participants and had very good interaction with each other regarding all aspects of tribology.

Seminar on Standards on Chemicals for Purification of Potable Water

The Seminar on 'Standards on chemicals for purification of potable water' was organized at Vadodara on 23 March 2011.

Potable Drinking Water has health effects on the population which cannot be neglected. Lot of chemicals are added for purification of water whether for removing impurity, softening of water, disinfection or other miscellaneous treatments. Some of the chemicals may be present in the water at the end use as well.

Keeping in mind the relevance of the judicious use of chemicals and the risks associated with them, a need was felt to identify the various chemicals used and re-evaluate their validity and competency with the changing times. The presentations in the seminar mainly focused on role of various standards especially that of poly-aluminium chloride and activated carbon.

Seminar on Food Safety and Quality in Tea Industry — Issues and Challenges

A Seminar on "Food Safety and Quality in Tea Industry — Issues and Challenges", was jointly organized with the Tea Board of India, Kolkata at Jorhat on Thursday, 24 March 2011.

There were interactive deliberations and fruitful discussions in the seminar. The major recommendations which emerged from the seminar were:

i) The need to include additional requirements for heavy metals other than lead and copper and also Maximum Residue Levels for pesticide residues as per the *PFA Rules*, 1955 in the Indian Standard Specifications for tea.

ii) Continuation of data generation on pesticide residues in tea by the tea research institutes in the country and also the importance of getting ready to equip with toxicological evaluation of pesticide residues and iron filings in tea.

iii) इन संगोष्ठियों जैसे जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे चाय उत्पादों को प्रशिक्षण देना ताकि राष्ट्रीय एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा गुणता मानकों को पूरा करने के लिए हाल के प्रौद्योगिकीय विकासों के बारे में उन्हें शिक्षित किया जा सके।

iv) चाय उत्पादों की सुरक्षा तथा गुणता सुनिश्चित करने के लिए चाय सेक्टर में इंडिया-गैप मानकों को कार्यान्वित करने की महत्ता।

नेत्र चिकित्सा उपकरणों, उपस्करों एवं इम्प्लांट पर संगोष्ठी

31 मार्च 2011 को नई दिल्ली में नेत्र चिकित्सा के उपस्करों, उपकरणों और इम्प्लांट पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस संगोष्ठी का उद्देश्य विभिन्न स्टेकहोल्डरों में इस क्षेत्र में प्रकाशित मानकों के बारे में जागरुकता पैदा करना और इस विषय पर नवीनतम मानकीकरण गतिविधियों की जानकारी देना और डब्ल्यूटीओ/टीबीटी के बारे में जागरुकता पैदा करना था। इस संगोष्ठी में 35 लोगों ने हिस्सा लिया जिसमें विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर, औद्योगिक प्रतिनिधि और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रतिनिधि शामिल थे।

संगोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने नेत्र चिकित्सा उपकरणों में मानकीकरण, उपस्करों एवं इम्प्लांट; आधुनिक ऑक्यूलर उपकरणों के मानकीकरण; इंट्राआक्यूलर लेंस तथा नेत्र चिकित्सा उपकरणों और उनकी गुणता अपेक्षाओं जैसे विषयों पर विचार रखें।

संगोष्ठी में उपयोगी अनुशंसाएँ की गई जिसमें उपस्करों और उपकरणों की क्लीनिकल वैधता जैसे अनुमोदन करना, सामग्री की जैवसक्षमता इत्यादि एफडीए के अनुसार हों।

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2010

वर्ष 2009 के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार का पुरस्कार समारोह 12 जनवरी 2011 को कनवेन्शन सेंटर, स्कोप कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 में आयोजित किया गया। माननीय प्रो० के० वी० थॉमस, कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री ने समारोह की अध्यक्षता की। श्री राकेश कक्कड़, अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, श्री डी० डी० वर्मा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रो० थॉमस ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सम्मान चिन्ह और वित्तीय प्रोत्साहन के साथ कुल 5 पुरस्कार और

iii) Imparting training to the small tea growers through awareness programmes such as these seminars so as to educate them about recent technological developments to meet national and global food safety and quality standards.

iv) Importance of implementing India-GAP standards in the tea sector in order to ensure safety and quality of tea produce.

Seminar on Ophthalmic Instruments, Equipments and Implants

A Seminar on Ophthalmic Instruments, Equipments and Implants was held on 31 March , 2011 at New Delhi.

The objective of the Seminar was to impart awareness to the various stakeholders about the standards brought out in the field, apprise them about the latest International Standardization activities on the subject and create awareness about WTO/TBT. The Seminar was attended by over 35 participants including doctors of various hospitals, industry representatives and representatives from the Department of Health and Family Welfare.

Various speakers spoke on topics like standardization in ophthalmic instruments, equipments and implants; standardization of sophisticated ocular instruments; on intraocular lenses and on materials used for ophthalmic instruments and their quality requirements.

Useful recommendations were made at the Seminar including that approval of instruments and equipments like clinical validity, biocompatibility of material, etc, be made in similar lines as given by FDA.

Rajiv Gandhi National Quality Awards 2009

The awards presentation ceremony for Rajiv Gandhi National Quality Awards for the year 2009 was organized on 12 January 2011 at Convention Centre, Scope Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003. Prof. K.V. Thomas, Hon'ble Minister of State for Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution presided over this function. Shri Rakesh Kacker, Additional Secretary, Department of Consumer Affairs, Government of India, Shri D.D. Verma, Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Consumer Affairs, Government of India and Director General, Bureau of Indian Standards also graced the function. Prof. Thomas presented the Awards and Commendation Certificates

13 प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

to the recipients. In all 5 Awards and 13 Commendation Certificates were presented along with plaques and financial incentives.

राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार 2010 के लिए संगोष्ठी

फरवरी 2011 के दौरान भुवनेश्वर, देहरादून, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कानपुर, लुधियाना, इंदौर, बैंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में 'गुणता में उत्कृष्टता प्राप्ति—राजीव गांधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार' पर नौ एकदिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

Seminars for Rajiv Gandhi National Quality Awards 2010

Nine one day seminars on 'Achieving excellence in quality – Rajiv Gandhi National Quality Awards' were organized during February 2011 at Bhubaneshwar, Dehra Dun, Ahmedabad, Guwahati, Kanpur, Ludhiana, Indore, Bengaluru and Thiruvananthapuram.

मानक संवर्धन

STANDARDS PROMOTION

राज्य स्तरीय समितियाँ एवं निविदा पूछताछ

भारतीय मानकों के क्रियान्वयन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय समितियों के माध्यम से सरकारी विभागों और क्रय एजेंसियों के साथ निकट सहयोग और परस्पर संवाद के प्रयास किए जाते हैं। पुनः मानक संवर्धन और क्रियान्वयन के संभावित अवसरों का पता लगाने के लिए समाचार-पत्रों में प्रकाशित निविदाओं की नियमित रूप से संवीक्षा की जाती है। समाचार-पत्रों में प्रकाशित निविदाओं के आधार पर कई संगठनों से आग्रह किया गया है कि वे आईएसआई मुहर लगे उत्पाद चुनें या आईएस विशिष्टियों का संदर्भ लें।

State Level Committees and Tender Enquiries

Efforts are made to have close collaboration and interaction with Government Departments and Purchase agencies through State Level Committees to implement and promote Indian Standards. Further, scrutiny of tenders in news papers is regularly done to find out possible opportunity for standards promotion and implementation. A number of organizations have been contacted based on the tender published in news papers and requested them to opt for ISI marked products or to refer IS Specification.

विश्व मानक दिवस

प्रति वर्ष 14 अक्तूबर विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विश्व भर के उन हज़ारों विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों को सम्मान

World Standards Day

Every year 14 October is celebrated as World Standards Day. It is a means of paying tribute to collaborative

देने का माध्यम है जो स्वैच्छिक रूप से तकनीकी करार तैयार करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होते हैं। इसे मनाने के लिए आईएसओ, आईईसी और आईटीयू द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक केन्द्रीय थीम पर पूरे विश्व में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष के विश्व मानक दिवस की थीम थी —**"मानक सर्वजन हिताय"।**

efforts of thousands of experts worldwide who develop the voluntary technical agreements that are published as International or National Standards. As part of celebrations, technical seminars are held throughout the world on a central theme declared by ISO, IEC and ITU jointly. The theme of this year World Standards Day was **"Standards Make the World Accessible for All".**

भा मा ब्यूरो ने अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के माध्यम से देश भर में और मुख्यालय में तकनीकी संगोष्ठियाँ आयोजित की जिनमें बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने विषय पर विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर परिचर्चा की।

BIS have organized technical seminars all over the country through ROs/BOs and at HQs where a large number of delegates deliberated over various technical issues on the subject.

सूचना एवं लघु उद्योग सहायता कक्ष

मानक संवर्धन व उपभोक्ता मामले विभाग मध्यम एवं लघु स्तर के उद्यमियों के लाभ के लिए लघु उद्योग सहायता कक्ष का संचालन कर रहा है इसमें भा मा ब्यूरो के विभिन्न क्रियाकलापों और तकनीकी पूछताछ की जानकारी दी जाती है।

Information and SSI Facilitation Cell

Standards Promotion and Consumer Affairs Department is operating an Information and SSI Facilitation Cell for the benefit of small and medium scale entrepreneurs. Information on various activities of BIS and technical queries are provided.

प्रचार

आम उपभोक्ताओं में भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में जागरुकता फैलाने और गुणता के प्रति दृढ़ चेतना पैदा करने के लिए भा मा ब्यूरो अलग-अलग प्रचार माध्यमों द्वारा कई प्रचार गतिविधियाँ करता है।

PUBLICITY

To spread awareness of the activities of Bureau of Indian Standards among common consumer and create a strong consciousness for quality, BIS undertook various publicity activities through various media.

प्रिंट मीडिया

- **स्वर्ण आभूषणों की हालमार्किंग** पर सितम्बर-नवम्बर 2010 और फरवरी-मार्च 2011 माह के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन अभियान चलाया गया।
- **आईएसआई मुहर** पर फरवरी और मार्च 2011 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन अभियान चलाया गया।
- सितम्बर 2010, नवम्बर 2010 और फरवरी 2010 के दौरान **"भारतीय मानक ऑनलाइन खरीदें"** (भारतीय मानकों की ई-बिक्री) शीर्षक से अखिल भारतीय स्तर पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया।
- अक्तूबर व नवम्बर 2010 के दौरान **टायर व ट्यूब** पर एक विज्ञापन निकाला गया। विभिन्न पत्रिकाओं में भी भा मा ब्यूरो की गतिविधियों पर विज्ञापन प्रकाशित किए गए।

Print Media

- An advertisement campaign on **Hallmarking of Gold Jewellery** was released during the months of September to November 2010 and February to March 2011 on all-India basis.
- An advertisement campaign **on ISI Mark** was released during the months of February and March 2011 on all-India basis.
- An advertisement captioned "**Buy Indian Standards Online**" (E-sale of Indian Standards) was published during September 2010, November 2010 and February 2011 on all-India basis.
- Advertisement on **Tyre & Tube** was published during October and November 2010. Advertisements on various activities of BIS were also released in different magazines.

- 15 अक्तूबर 2010 को मनाए गए विश्व मानक दिवस समारोह की कवरेज आयोजित की गई। समारोह को जी बिजनेस, जी न्यूज़, सीएनबीसी आवाज़ आकाशवाणी द्वारा कवर किया गया। इस अवसर पर भा मा ब्यूरो के अधिकारियों के 4 साक्षात्कार आयोजित किए गए जो कि जी बिजनेस, जी न्यूज़ और सहारा समय पर कई बार प्रसारित हुए। विश्व मानक दिवस समारोह की एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई जिसे प्रिंट मीडिया ने कवर किया जो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, द हिन्दू, दैनिक हिन्दुस्तान, विराट वैभव, गुजरात वैभव इत्यादि में प्रकाशित हुई।

- Organized coverage of World Standards Day celebrations held on 15 October 2010. The function was covered by Zee Business, Zee News, CNBC Awaz, All India Radio. On this occasion, 4 interviews of BIS officials were organized and the same were telecast on Zee Business, Zee News, Sahara Samay and repeated number of times. The press release on World Standards Day celebrations was issued and the print media also covered this event in newspapers such as, The Times of India, The Hindustan Times, Indian Express, The Hindu, Dainik Hindustan, Virat Vaibhav, Gujarat Vaibhav, etc.

- "राजीव गांधी नेशनल गुणता पुरस्कार 2009" की घोषणा संबंधी एक प्रेस नोट जनवरी 2011 में जारी किया गया जो द हिन्दुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दू, द इकानॉमिक टाइम्स, डीएनए मुंबई, दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, विराट वैभव, गुजरात वैभव, लोकमत टाइम्स, जरनी लाइन और हिमालयन मेल में प्रकाशित हुआ। "राष्ट्रीय प्रकाश संहिता (एनएलसी) – 2010" पर एक एक प्रेस नोट द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिन्दुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, विराट वैभव और गुजरात वैभव, मेल टुडे, लोकमत टाइम्स, द लेटस्ट डेली एक्सलियर इत्यादि में प्रकाशित हुआ।

- Press Note regarding announcement of "Rajiv Gandhi National Quality Awards 2009" was released during January 2011 and the same was carried by The Hindustan Times, The Times of India, The Hindu, The Economic Times, DNA Mumbai, Dainik Hindustan, Nav Bharat Times, Virat Vaibhav, Gujarat Vaibhav, Lokmat Times, Journey Line and The Himalayan Mail. Press Note regarding "National Lighting Code (NLC) – 2010 Released" was issued and the same was published in The Times of India, The Hindustan Times, The Indian Express, Dainik Bhasker, Nav Bharat Times, Virat Vaibhav and Gujarat Vaibhav, Mail Today, Lokmat Times, The Latest, Daily Excelsior, etc.

टीवी स्पॉट

- हालमार्किंग पर 4 टीवी स्पॉट बनाए गए जो कि डीएवीपी के माध्यम से 16 से 30 मार्च 2011 के दौरान डीडी नेशनल और 29 विभिन्न निजी चैनलों पर प्रसारित हुए।
- आईएसआई मुहर पर टीवी स्पॉट बनाए गए जो कि डीएवीपी के माध्यम से 17 से 31 मार्च 2011 के दौरान डीडी नेशनल और 35 विभिन्न निजी चैनलों पर प्रसारित हुए।
- अर्धशहरी क्षेत्रों के सिनेमा हॉलों में आईएसआई मुहर और हॉलमार्किंग पर टीवी स्पॉट दिखलाए गए।

रेडियो स्पॉट

- इस अवधि में प्रसार भारती ब्राडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से आकाशवाणी पर (विविध भारती के 40

TV Spots

- 4 TV Spots on Hallmarking were got produced and got telecast through DAVP on DD National and 29 different Private channels during 16-30 March 2011.
- TV Spots on ISI Mark were telecast on DD National and 35 different private channels through DAVP from 17 March to 31 March 2011.
- TV Spots on ISI Mark and Hallmarking were telecast in the Cinema Halls of semi-urban areas.

Radio Spots

- Radio Spots were broadcast through Prasar Bharati Broadcasting Corporation of India on All

और 22 एफएम स्टेशन) रेडियों स्पॉट प्रसारित किए गए।

बाहरी प्रचार

- अखिल भारतीय स्तर पर आईएसआई मुहर और स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर से दिसम्बर 2010 के दौरान एनीमेशन डिस्पले, बसों के पीछे लगे पैनलों, होर्डिंगों, सार्वजनिक उपादेयता वाले स्थलों और बस शैल्टरों

के माध्यम से एक जन प्रचार अभियान चलाया गया। यह अभियान महानगरों में होर्डिंग्स, रेलवे ब्रिजों/फ्लाईओवर पर लगे पैनलों, बस क्यू शेल्टर और बैकलिट पिलर रैप और कियोस्क के माध्यम से मार्च 2011 में फिर से प्रारंभ किया गया।

- अक्तूबर से दिसम्बर 2010 के दौरान मेट्रो रेल के माध्यम से भी (मेट्रो रेल के भीतर पैनलों ओर मेट्रो रेल डिस्पले) आईएसआई मुहर और हॉलमार्किंग का प्रचार-प्रसार किया गया। इस अभियान को मार्च 2011 में एक माह के लिए बढ़ाया गया।
- फरवरी और मार्च 2011 के दौरान 139 रेल सम्पर्कों पर आईएसआई मुहर और हॉलमार्किंग पर जिंगल चलाया गया।

प्रदर्शनियों में भागीदारी

- भा मा ब्यरो ने चेन्नई में आयोजित 98वीं इंडो कांग्रेस एक्सपो और डाक विभाग द्वारा 12 से 18 फरवरी तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित इंडिपैक्स 2011 विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी और देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजित विभिन्न

India Radio (40 Vividh Bharati Stations and 22 FM Stations) during this period.

Outdoor Publicity

- A publicity campaign was also undertaken to promote ISI Mark and Hallmarking of Gold Jewellery on all-India basis during October to December 2010 through Animation Display, Bus

Back Panels, Hoardings, Public Utilities & Bus shelters. This campaign was again released through Hoardings, Railway Bridge/Flyover Panels, Bus Queue Shelters and Backlit Pillar Wrap & Kiosks at Metro Cities during March 2011.

- Publicity through Metro Rail (Metro Rail Inside Panel and Metro Rail Display Board) on ISI Mark and Hallmarking was also undertaken during October to December 2010. This campaign was extended for one month during March 2011.
- Jingle on ISI Mark and Hallmarking were run on 139 Rail Sampark during February and March 2011.

Participation in Exhibitions

- BIS participated in 98th Indo Congress Expo at Chennai and INDIPEX 2011 World Philatelic Exhibition organized by Department of Posts during 12-18 February 2011 at Pragati Maidan,

प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया, जिसमें भा मा ब्यूरो के विभिन्न क्रियाकलापों पर ब्लोअप लगाए गए। इन प्रदर्शनियों में किसानों, डेयरी उपकरणों, आम उपभोक्ताओं एवं ब्यूरो गतिविधियों और स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग पर लघु फिल्में दिखाई गई। उपभोक्ता जागरण के लिए भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यों पर ब्राउशर भी वितरित किए गए।

साक्षात्कार/किस्सों का आयोजन

- हालमार्किंग पर प्रमुख (एचएमडी) के 3 साक्षात्कार आयोजित किए गए जो जून, जुलाई और अगस्त 2010 के दौरान सहारा समय पर प्रसारित हुए। हॉलमार्किंग पर एक किस्सा बनाया गया जो 6 जून 2010 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ। हेल्मेट पर एक किस्सा जो 8 जुलाई 2010 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ।

फिल्म निर्माण

- "वेल्कम टू इंडिया ! वेल्कम टू दिल्ली" शीर्षक से एक फिल्म बनाई गई जिसे दिल्ली में सितम्बर 2011 में होने वाली आईएसओ महासभा में सदस्य देशों को आमंत्रित करने के लिए सितम्बर 2010 में ओस्लो, नार्वे में हुई आईएसओ की महासभा में दिखाया गया।

भारतीय मानकों एवं अन्य प्रकाशनों की बिक्री

ब्यूरो मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के 18 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भारतीय मानकों और विशेष प्रकाशनों की बिक्री कर रहा है। पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं द्वारा भी इनकी बिक्री की जाती है। 2010-11 में पूरे भारत में ₹ 468.11 लाख की बिक्री हुई जबकि पिछले वर्ष ₹ 550.12 लाख की बिक्री (हार्ड प्रति) हुई थी। विदेशी मानकों की बिक्री से ₹ 119.2 लाख की कमीशन की कमाई हुई जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 169.0 लाख थी।

भा मा ब्यूरो ने इंटरनेट के माध्यम से मानकों की बिक्री शुरु की है। मानक भा मा ब्यूरो के पोर्टल से सॉफ्ट प्रति के रुप में भी डाउनलोड किए जा सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से हार्ड प्रति के लिए भी आदेश दिया जा सकता है। दोनों ही मामलों में पोर्टल पर भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड से किया जा सकता है। ₹ 58.2 लाख मूल्य के मानक पोर्टल से डाउनलोड किए गए और ₹ 2.87 लाख मूल्य के मानकों की हार्ड प्रति के आदेश प्राप्त हुए (₹ 58.2 लाख और ₹ 2.87 लाख को ₹ 468.11 लाख में शामिल किया गया है।)

हिंदी गतिविधियाँ

भारतीय मानक ब्यूरो ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा संबंधी सभी अनुदेशों का पालन किया। तदनुरूप, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी निम्नलिखित कार्य किए गए :

New Delhi and various exhibitions/Melas in different parts of the country where Blow-ups on various activities of BIS were displayed. Short Films on Farmers, Dairy Equipment, Common Consumers & BIS activities and Hallmarking of Gold Jewellery were screened during these exhibitions. Brochures on various activities of BIS were also distributed to visitors for consumer awareness.

Interviews/Stories Organized

- Organized 3 Interviews of Head (HMD) on Hallmarking which were telecast on Sahara Samay during June, July and August 2010. Organized story on Hallmarking which was published on 6 June 2010 in Nav Bharat Times. Organized story on Helmets which was published in The Times of India on 8 July 2010.

Production of Film

- A film titled "Welcome to India ! Welcome to Delhi" was produced and screened at ISO General Assembly meeting at Oslo, Norway during the month of September 2010 to invite member countries to participate in ISO General Assembly meeting to be held at Delhi during September 2011.

SALE OF STANDARDS AND OTHER PUBLICATIONS

The Bureau is selling Indian Standards and Special publications through 18 sales outlets at Headquarters and Regional and Branch Offices. Sale is also done through registered booksellers. The All India sales (hard copy) during 2010-11 is ₹ 46.811 million as against ₹ 55.012 million last year. The Commission earned on sale of overseas standards is ₹ 11.92 million, as against ₹ 16.90 million last year.

BIS has also started Sale of Standards through internet. The Standard can be downloaded from BIS portal in the form of Soft Copy or order for hard copy can also be placed through the portal. Payment in both the cases can be made over the portal through credit/debit card. Standards to the value of ₹ 5.82 million were downloaded from the portal and order for hard copies of Standards to the value of ₹ 0.287 million were received (₹ 5.82 million and ₹ 0.287 million is included in ₹ 46.811 million above).

HINDI ACTIVITIES

Bureau of Indian Standards is following all the directions issued by the Department of Official Language regarding official language. Accordingly the following works related to progressive use of Hindi have been done:

हिंदी कार्यान्वयन

भा मा ब्यूरो के सभी विभागों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियाँ जारी की गई। संसदीय राजभाषा समिति ने ब्यूरो के पुणे शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया। समिति ने ब्यूरो में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चारों बैठकें समय से आयोजित की गई। चारों तिमाहियों की हिन्दी की प्रगति रिपोर्ट समय पर मंत्रालय को भेजी गई। अवधि के दौरान ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में 28 हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें 538 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने भाग लिया।

ब्यूरो मुख्यालय में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर 2010 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिंदी संबंधी 7 प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के सफल सहभागियों को 43 पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो ने हिन्दी टिप्पण एवं आलेखन की नकद पुरस्कार योजना, हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना, राजभाषा शील्ड योजना आदि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रखा। 21 सितम्बर, 2010 को मदुरै तथा 15 फरवरी 2011 को नई दिल्ली में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और इसके निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही की गई। समय-समय पर कम्प्यूटरों में कार्य की अद्यतन द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई गई। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वार्षिक कार्यक्रम की सभी मदों का गंभीरता से अनुपालन किया गया।

मानक एवं सामान्य अनुवाद

मानकों के अनुवाद में तेजी लाने के लिए ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के उपाय किए। पैनल में और अधिक अनुवादों को शामिल करने की कार्यवाही की गई और तदनुसार उन्हें अनुवाद के लिए मानक भेजे गए। इस अवधि के दौरान 63 मानकों के लगभग 1000 पृष्ठों का अनुवाद किया गया तथा 310 मानकों के शीर्षकों को द्विभाषी बनाया गया। मानकों के अनुवाद कार्य के अतिरिक्त भा मा ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे अनेक प्रोफार्मों, वार्षिक रिपोर्ट, हॉलमार्किंग की सामग्री,

Hindi Implementation

Annual programme of Official Language Department was circulated to all the departments of BIS. During the period, the Parliamentary Committee on Official Language inspected Pune Branch Office. Parliamentary Committee expressed satisfaction towards the progressive use of Hindi in BIS. All the four meetings of Official Language implementation committee of HQ were conducted on time. All quarterly reports on Hindi were timely sent to Ministry. 28 work-shops on Hindi were organized at various offices of BIS in which 538 officials were trained.

Hindi fortnight was celebrated during 14-28 September 2010 at HQ in which seven competitions regarding Hindi were organized. 43 Prizes were awarded to the successful participants in these competitions. Bureau also continued to carry out all Incentive Schemes of Hindi Noting and Drafting, Hindi Incentive Allowance Scheme, Rajbhasha Shield Scheme etc. The senior officers of BIS took part in Hindi Advisory Committee meetings held at Madurai and Delhi on 21 September 2010 and 15 February 2011 respectively and follow up actions were taken on decisions taken in the meetings. The latest facilities for bilingual works were provided in all the computers from time-to-time. In order to meet the targets, all the points of Annual Programme were implemented sincerely.

Standard & General Translation

In order to accelerate translation work of Indian Standards, BIS took a number of steps. Steps were taken to increase the number of translators in the panel and standards were sent to them for translation accordingly. During the period, approximately 1000 pages of 63 standards were translated and titles of 310 standards were also made bilingual. Besides standards translation, BIS also translated around 650 pages of different types

विश्व मानक दिवस सामग्री, राजीव गाँधी राष्ट्रीय गुणता पुरस्कार की सामग्री, संसद की स्थायी समिति की बैठक की सामग्री, राजपत्र अधिसूचना, प्रशिक्षण सामग्री आदि के लगभग 650 पृष्ठों के अनुवाद का कार्य भी किया।

हिंदी पत्रिका

ब्यूरो 'मानकदूत' नामक हिंदी की एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। इस पत्रिका का प्रकाशन भी जारी रखा गया और अवधि में इस पत्रिका के चार संस्करण यथासमय तैयार किए गए। मानकदूत सलाहकार समिति की एक बैठक भी आयोजित की गई।

हिन्दी पुस्तकों की खरीद

हिन्दी पुस्तक चयन समिति की बैठक आयोजित की गई तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत लक्ष्य के अनुसार हिंदी पुस्तकें खरीदी गई।

विदेशी भाषाएँ एवं प्रकाशन

यह विभाग अपनी दो पत्रिकाओं स्टैण्डर्डस् इंडिया, जो पूर्व में 1949 से आईएसआई बुलेटिन के नाम से प्रकाशित होती थी, और 1958 से आरंभ स्टैण्डर्डस् मंथली एडीशन्स के माध्यम से तकनीकी, औद्योगिक और व्यापार के क्षेत्र में मानकीकरण के अभियान निरुपित कर रहा है एवं उसे आगे बढ़ा रहा है। स्टैण्डर्डस् इंडिया देश में और विदेशों में किए जा रहे मानकीकरण के प्रयासों की प्रेरक व्याख्या एवं समीक्षा करने वाली पत्रिका है। यह पत्रिका इस क्षेत्र में हुई नवीनतम प्रगति को सामने लाती है जिसमें विचारोत्तेजक क्रांतिक टिप्पणियाँ होती हैं जिनके कारण पत्रिका ने इस क्षेत्र में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। स्टैण्डर्डस् मंथली एडीशन एक छोटी, लेकिन आकर्षक पत्रिका है जिसमें उस माह में देश में जारी अथवा विदेशों से प्राप्त नए, वर्तमान या मसौदा चरण के मानकों में सभी संशोधनों, बदलावों और मानकों की जानकारी होती है।

विभिन्न तकनीकी विभागों से प्राप्त भारतीय मानकों/अन्य प्रकाशनों के पुनर्पुष्ट/वापिस लिए जाने/अधिसूचित होने संबंधी प्राप्त जानकारी से प्रकाशन विभाग मानकों/अन्य प्रकाशनों की प्रगति की विषय-सूची तैयार करता है। तकनीकी विभागों से प्राप्त सभी नए/पुनरीक्षित भारतीय मानकों/प्रकाशनों के साथ संशोधनों की सॉफ्ट प्रति के पीएडएफ प्रारूप का भी विभाग रख-रखाव करता है। इस जानकारी का इस्तेमाल वेबसाइट www.standardsbis.in पर भारतीय मानकों की बिक्री की इलैक्ट्रॉनिक बिक्री को अद्यतन करने के लिए किया जाता है।

विभाग निम्नलिखित शीर्षकों से कैटलॉग का वार्षिक प्रकाशित करता है।

क) 31 दिसम्बर तक अद्यतन किए गए भा मा ब्यूरो द्वारा प्रकाशित भारतीय मानक,

ख) भारतीय मानकों के रूप में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक,

ग) हिंदी में भारतीय मानक (अनुवाद),

घ) विशेष प्रकाशन, संदर्भ और गणना सहायक सामग्री, और

ङ) कैटलॉग में सूचीबद्ध सभी प्रकाशनों के अनुसार सारणी।

of materials such as Proformas, Annual Report, Hallmarking Material, World Standards Day Material, RGNQA material, Parliamentary Standing Committee Meeting material, Gazette Notifications, Training Materials, etc.

Hindi Magazine

The publication of Hindi magazine 'Manakdoot' was also continued and manuscripts for all four editions of 'Manakdoot' were prepared in due time. The meeting of Manakdoot Advisory Committee was also organized.

Purchase of Hindi Books

A meeting of Hindi Books Selection Committee was also held and target of 50 percent expenditure on purchasing Hindi books was also achieved.

FOREIGN LANGUAGES AND PUBLICATIONS

The department handles the projection and promotion of the standardization movement in scientific, technical, industrial and business circles through two monthly journals – Standards India, the erstwhile ISI Bulletin which dates back to 1949, and Standards Monthly Additions, which was started in 1958. Standards India presents a stimulating commentary and review of the standardization effort at home and abroad. Highlighting as it does the very latest progress in the field, spiced with thought provoking critical comments, it has established itself in the field as a magazine of repute. The Standards Monthly Additions is a small but sleek publication recording all amendments, alterations and information regarding standards, new, existing or in the draft stage issued at home or received from abroad during the month.

Publication Department prepares the incremental index file for Indian Standards/other publications from the information provided by the various technical departments on reaffirmation/withdrawal/gazetting of Indian Standards. Soft copy of pdf format for all new/revised Indian Standards/Publications as well as amendments provided by technical departments is also maintained in the department. This information is utilized for updating the electronic sale of Indian Standards on the website www.standardsbis.in .

A catalogue containing titles of following is published annually by the department.

a) Indian Standards published by BIS updated up to the 31st December,

b) International Standards adopted as Indian Standards,

c) Indian Standards in Hindi (translation),

d) Special publications, reference and calculation aids, and

e) Index corresponding to all publications listed in the catalogue.

प्रकाशन विभाग को भारतीय मानकों की इलैक्ट्रॉनिक बिक्री के डाटाबेस के संग्रहण के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। तकनीकी विभाग पुनर्पुष्ट और वापिस लिए गए मानकों से संबंधित जानकारी को अग्रेषित करते हैं और यह जानकारी नए एवं पुनरीक्षित भारतीय मानकों के प्रकाशन संबंधी जानकारी के साथ शामिल की जाती है। यह डाटाबेस जानकारी को अद्यतन करने और भा मा ब्यूरो कैटलॉग के मुद्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

भा मा ब्यूरो के पास सभी प्रकाशनों के कॉपीराइट हैं और भारतीय मानकों से सार निकालने के निवेदन विभाग को भेज दिए जाते हैं। तकनीकी प्रकाशन और आईएसओ : जीईएन 19 : 1999 'पुस्तकों में आईएसओ मानकों हेतु तृतीय पक्षों को कॉपीराइट उपयोग अधिकार प्रदान करने के दिशा-निर्देश' से अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर तकनीकी सत्यापन का आकलन करने के बाद विभाग कॉपीराइट शुल्क के भुगतान पर विभाग आवेदक को अनुमति प्रदान करता है।

विभाग विभिन्न भारतीय (हिंदी को छोड़ कर) और विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी और विलोमतः में तकनीकी दस्तावेज़ो, मानकों और अन्य सामग्री का अनुवाद उपलब्ध कराता है। विभिन्न समितियों और उद्योग जगत से नियमित रूप से इसके निवेदन प्राप्त होते रहते हैं। विभाग उन देशों से संवाद को भी सुगम बनाता है जहाँ जर्मन और फ्रेंच भाषा बोली जाती है।

Publications Department has been made the nodal department for compilation of the database for electronic sale of Indian Standards. Technical Departments forward their information related to reaffirmation as well as withdrawal standards and the same is included along with the information related to publication of the new and revised Indian Standards. This database is utilized for updating the information as well as for printing of BIS Catalogue.

BIS has the copyright of all its publications and requests for reproducing extracts from Indian Standards are forwarded to the department. After technical verification and calculations based on the procedures adopted from ISO : GEN 19 : 1999 'Guidelines for Granting Copyright Exploitation Rights to Third Parties for ISO Standards in Books', the department grants permission to the applicant on payment of the copyright charges.

Translation services are provided by the department for translation of technical documents, standards and other material from various Indian (other than Hindi) and foreign languages into English or vice-versa. Regular requests are received from various technical committees as well as from the industry. The department also facilitates interaction with countries where German or French language is spoken.

प्रमाणन

उत्पाद प्रमाणन

भा मा ब्यूरो एक उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है जो कि *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों द्वारा नियंत्रित की जाती है। उत्पाद पर मानक मुहर (आईएसआई के रूप में लोकप्रिय) का होना यह दर्शाता है कि उत्पाद संबद्ध भारतीय मानक के अनुरूप है। किसी विनिर्माता को लाइसेंस प्रदान करने से पूर्व भा मा ब्यूरो, विनिर्माता के पास आवश्यक अवसंरचना तथा क्षमता की उपलब्धता का होना सुनिश्चत करता है और संबद्ध भारतीय मानक के अनुरुप बने उत्पाद की सतत रूप से जांच करता है। उत्पादन स्थल और बाजार से भी नमूने लिए जाते हैं और स्वतंत्र प्रयोगशाला में संबद्ध भारतीय मानक से उनकी अनुरूपता की जांच सुनिश्चित कराई जाती है।

प्रमाणन योजना मूलत: स्वैच्छिक प्रकृति की है, परंतु जनहित में बहुत सी वस्तुओं को *भा मा ब्यूरो अधिनियम* के अतिरिक्त सरकार के विभिन्न वैधानिक उपायों जैसे *खाद्य अपमिश्रण अपनिवारण अधिनियम*, *अनिवार्य वस्तुएँ अधिनियम*; *भारतीय विस्फोटक अधिनियम*; परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड; *पर्यावरण संरक्षण अधिनियम*; *शिशुओं हेतु दुग्ध विकल्प, दूध पिलाने की बोतल और शिशु आहार अधिनियम*, आदि के माध्यम से इसे अनिवार्य बनाया गया है। अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल कुछ

CERTIFICATION

PRODUCT CERTIFICATION

BIS operates a product certification scheme, which is governed by the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986 and rules and regulations framed there under. Presence of Standard Mark (popularly known as ISI Mark) on product indicates conformity to the relevant Indian Standard. Before granting licence to any manufacturer, BIS ascertains the availability of required infrastructure and capability of the manufacturer to produce and test the product conforming to the relevant Indian Standard on a continuous basis. Samples are also drawn from the production line as well as from market and got tested in independent laboratories to ensure their conformance to the relevant Indian Standard.

The certification scheme is basically voluntary in nature but for a number of items, in public interest, it has been made mandatory by the government through various statutory measures such as the *Prevention of Food Adulteration Act*, the *Essential Commodities Act*, the *Indian Explosive Act*, the Atomic Energy Regulation Board; the *Environment Protection Act*, the *Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food Act*, besides the *BIS Act*. Some of the items brought under mandatory certification are LPG Cylinders; Milk Powder;

वस्तुओं जैसे एलपीजी सिलिंडर; दूध पाऊडर; संघनित दूध नवजात शिशुओं के लिए धान्य आधारित आहार; मलाई रहित दूध पाऊडर; शिशुओं के लिए दूध के विकल्प, डॉक्टरी थर्मामीटर; पैकेजबंद पेयजल और प्राकृतिक खनिज जल, बिजली की इस्तरी; निमज्जय वाटर हीटर; केबल; स्विच; बल्ब; सर्किट ब्रेकर; ऊर्जा मीटर; शुष्क बैटरियाँ; इस्पात पाइप; तेल दाब; स्टोव; एक्सरे उपकरण; दूध पिलाने की प्लास्टिक की बोतलें; सीमेंट; इस्पात एवं इस्पात के उत्पाद; सामान्य प्रयोजन के डीज़ल इंजिन इत्यादि।

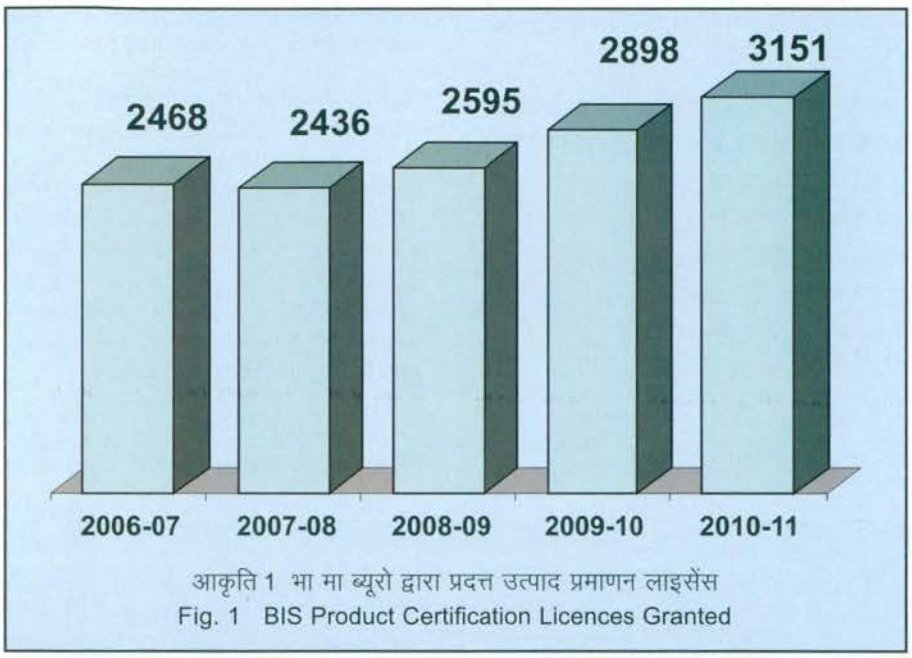

आकृति 1 भा मा ब्यूरो द्वारा प्रदत्त उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस
Fig. 1 BIS Product Certification Licences Granted

Condensed Milk; Cereal Food for Infant; Skimmed Milk Powder, Infant Milk Substitute, Clinical Thermometers; Packaged Drinking Water and Natural Mineral Water; Electrical Iron; Immersion Water Heater; Cables; Switches; Bulbs; Circuit Breakers; Energy Meters, Dry Batteries; Steel Tubes; Oil Pressure Stoves; X-Ray Equipment; Plastic Feeding Bottles, Cement; Steel and Steel Products, Diesel Engine for General Purpose etc.

वर्ष 2010-11 में भा मा ब्यूरो की उत्पाद प्रमाणन योजना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान कुल 3151 नए लाइसेंस दिए गए जिनमें पहली बार याजना में शामिल किए गए 5 उत्पाद भी शामिल हैं। ये उत्पाद हैं, खुले सिरे वाले स्लगिंग रैंच (पाना) – आई एस 4508; रींग स्लगिंग रैंच (पाना) – आईएस 4509; दाबित सिरेमिक टाइलें – आईएस 15265, नम्य पीवीसी पाइपें – आईएस 15622, वर्मिनकल्चर के लिए उच्च घनत्व की पॉलीथीलिन (एचडीपीई) गुम्फित बेड – आईएस 15907.

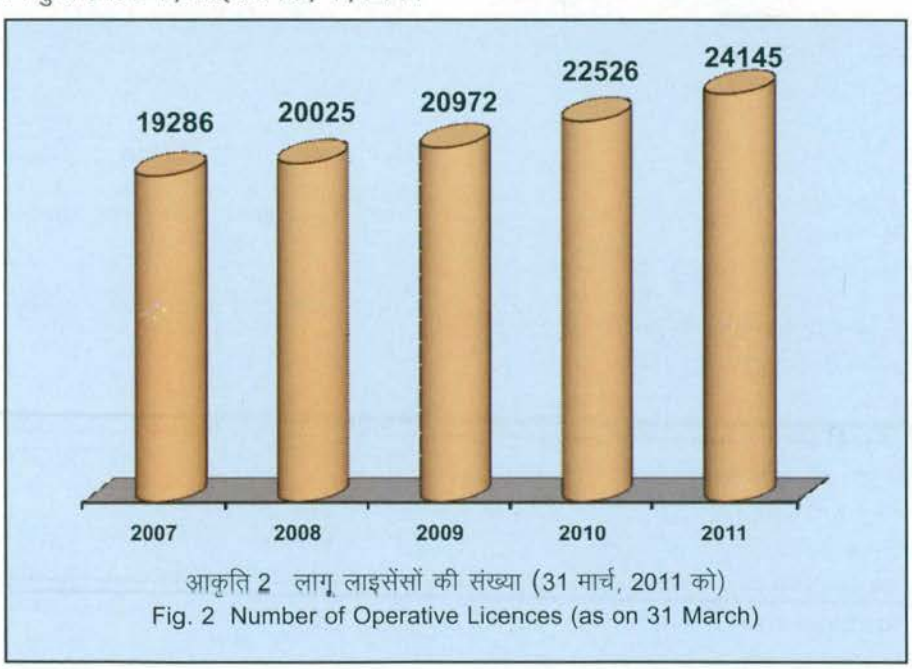

आकृति 2 लागू लाइसेंसों की संख्या (31 मार्च, 2011 को)
Fig. 2 Number of Operative Licences (as on 31 March)

Considerable progress was made in BIS product certification scheme during 2010-11. During the year 3151 new licences were granted, which include 5 products covered for the first time under the scheme. These products are Open Ended Slugging Wrenches (Spanners) – IS 4508; Ring Slugging Wrenches (Spanners) – IS 4509, Pressed Ceramic Tiles – IS 15265, Flexible PVC Pipes – IS 15622, High Density Polyethylene (HDPE) Woven Beds for Verminculture – IS 15907.

भा मा ब्यूरो प्रमाण मुहर योजना के अंतर्गत शामिल कुल मानकों की संख्या 1045 है।

The total number of Indian Standards which have been covered under BIS Certification Marks Scheme are 1045.

31 मार्च 2011 को लागू लाइसेंसों की संख्या बढ़कर 24145 हो गई है।

Total number of operative licences as on 31 March 2011 rose to 24145.

उत्पाद प्रमाणन योजना कें अंतर्गत प्रचालन लाइसेंसों/आवेदकों का आकलन

लाइसेंसों के प्रचालन को मॉनीटर करने के लए वर्ष के दौरान 21613 निरीक्षण दौरे किए गए और स्वतंत्र परीक्षण के लिए 20347 नमूने लिए गए। सीमित श्रम शक्ति के कारण भा मा ब्यूरो ने निगरानी निरीक्षण का कार्य बाहरी ऐजेंसियों को आउटसोर्स किया है। एजेंट नियुक्त किए गए हैं और उनके साथ करार किए गए। प्रशिक्षण दिया गया है और विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की गई है। आशा है कि इससे लाइसेंसधारियों को बेहतर सेवाएँ मिलेगी और उपभोक्ता हितों की रक्षा होगी।

Assessment of Operative Licences/Applicants under Product Certification Scheme

In order to monitor the operation of licences, a total number of 21613 inspection visits were organized during the year and 20347 samples were drawn for independent testing. Due to constraint of man power, BIS has outsourced the surveillance inspections to the outside agencies. Agents have been appointed and agreement has been signed with them. Training has been imparted and detailed guidelines have been issued. By this, it is expected to provide better services to the licensees and protect consumer's interest.

प्रमाणन कार्य की समीक्षा

भारतीय मानक ब्यूरो की प्रमाणन मुहर योजना के प्रचालन के बारे में फीडबैक प्राप्त करने के लिए प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लाइसेंसधारियों के साथ नियमित तौर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान लाइसेंसधारकों के साथ 8 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में पैकेजबंद पेय जल; रबड़ की सीलिंग रिंग, एफएलपी आवेष्टक; आरसीसी पाइपें; हेल्मेट; विद्युत सुरक्षा मानक; केबल; एलपीजी सिलिंडर, रेगुलेटर और वाल्व; एलपीजी स्टोव;इस्पात उत्पाद; रोगाणुनाशी द्रव; फुटवियर; मोटर इत्यादी जैसे क्षेत्र शामिल थे।

Review of Certification Operation

In order to acquire feedback on the operation of the BIS Certification Marks Scheme, review meetings with the licensees representing significant fields of operations are organized on a regular basis. In 2010-11, 8 review meetings with licensees were organized covering the areas of Packaged Drinking Water; Rubber sealing rings; FLP Enclosures; RCC pipes; Helmets; Electrical safety standard; Cables; LPG cylinders, regulators and valves; LPG stoves; Steel products; Disinfectant fluid; Footwear; Motors etc

आयातित उत्पादों का प्रमाणन

भा मा ब्यूरो वर्ष 1999 से आयातित वस्तुओं के प्रमाणन के लिए दो योजनाएँ संचालित कर रहा है जिनमें से एक विदेशी विनिर्मातों के लिए है ओर दूसरी भारतीय आयातको के लिए हैं। इस योजना के प्रावधानों के अंतर्गत विदेशी विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो की मानक मुहर अपने उत्पादों पर लगाने के लिए भा मा ब्यूरो में प्रमाणन के लिए आवेदन कर सकते हैं। भारतीय आयातक देश में आयात किए जा रहे उत्पादों पर भा मा ब्यूरो की मानक मुहर लगाने के लिए प्रमाणन हेतु आवेदन कर सकते हैं। वर्ष के दौरान इस्पात एवं इस्पात से संबद्ध उत्पादों, केबल, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, डीज़ल इंजिन/पम्प, टायर व ट्यूब और शिशु आहार जैसे उत्पादों के लिए 58 लाइसेंस स्वीकृत किए गए। ये लाइसेंस फिलिपाइंस, आयरलैंड, जापान, चीन, बंग्लादेश, नेपाल, थाइलैंड, सिंगापुर, दुबई, इटली, नीदरलैंड, फ्रांस, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और स्पेन के लिए स्वीकृत किए गए जिससे विदेशी विनिर्माता योजना के अंतर्गत प्रचालनगत लाइसेंसों की संख्या 169 हो गई है।

Certification of Imported Products

BIS is operating two schemes for certification of imported goods, one for foreign manufacturers and the other for Indian importers since the year 1999. Under the provisions of this scheme, foreign manufacturers can seek certification from BIS for marking their product with BIS Standard Mark and Indian importers can also seek BIS certification for applying BIS Standard Mark on the product being imported into the country. During the year 58 licences were granted for products such as Steel and Steel related products, Cables, Bleaching Powder, Cement, Diesel Engines/Pumps, Tyres & Tyre Tubes and Infant food products in Countries like, Philippines, Ireland, Japan, China, Bangladesh, Nepal, Thailand, Singapore, Dubai, Italy, Netherlands, France, Taiwan, USA, Indonesia, Germany, S. Korea, Sri Lanka and Spain taking the number of total licences in operation under Foreign Manufacturers Scheme to 169.

स्वर्ण एवं चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग योजना

हॉलमार्किंग योजना में प्रगति

अवधि के दौरान हॉलमार्किंग योजना ने प्रगति की है। 31 मार्च 2011 को स्वर्णाभूषणों की हॉलमार्किंग के लाइसेंसों की संख्या बढ़ कर 8098 हो गई जबकि 31 मार्च 2010 को इनकी संख्या 7393 थी। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2011 के दौरान स्वर्णाभूषणों/शिल्पों की 247.77 लाख वस्तुओं की हॉलमार्किंग की गई। इस दौरान भा मा ब्यूरो मान्यता प्राप्त एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्द्रों की संख्या 31 मार्च 2011 को 149 (31 मार्च 2010 को) से बढ़ कर 160 हो गई।

चांदी के आभूषणों/शिल्पों की हॉलमार्किंग के लिए चांदी के लाइसेंसों की प्रचालन संख्या 31 मार्च 2011 को 463 थी।

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान हॉलमार्किंग से ₹ 1043.50 लाख की आय हुई।

हॉलमार्किंग का प्रचार

स्वर्ण आभूषणों के व्यापार में उपभोक्ताओं को प्रभावी सुरक्षा देने के उद्देश्य से हॉलमार्किंग को प्रोत्साहन देने के लिए, भा मा ब्यूरो ने अपने

क्षेत्रीय एवं शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से ज्वैलरों/उपभोक्ताओं के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। अवधि के दौरान ऐसे 27 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हॉलमार्किंग पर दूरदर्शन और निजी चैनलों पर टी वी स्पॉट प्रसारित किए गए। नुक्कड़ नाटकों का भी आयोजन किया गया।

उपभोक्ताओं/ज्वैलरों में स्वर्णाभूषणों पर हॉलमार्किंग के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश के समाचार-पत्रों में 179 विज्ञापन जारी किए।

प्रबंध पद्धति प्रमाणन

भा मा ब्यूरो ने प्रबंध पद्धतियों के संगत मानकों के अनुसार निम्नलिखित प्रमाणन सेवाएँ प्रदान करना जारी रखा:

क) आईएस/आईएसओ 9001 : 2008 के अनुसार गुणता प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणन योजना।

HALLMARKING SCHEME OF GOLD/SILVER JEWELLERY

Progress of Hallmarking Scheme

The scheme for Hallmarking has further grown during the period. The number of licences for Hallmarking of gold jewellery has grown from 7393 as on 31 March 2010 to 8098 as on 31 March 2011. An average of 59 licences per month was granted during this period. 247.77 lakhs articles of gold jewellery/artefacts have been hallmarked during 1 April to 31 March 2011. During this period, the number of BIS recognized assaying and hallmarking centres has increased from 149 (as on 31 March 2010) to 160 as on 31 March 2011.

The number of operative silver licences for Hallmarking of silver jewellery/artefacts was 463 as on 31 March 2011.

Income from Hallmarking activity was ₹ 1043.50 lakhs during the period 1 April 2010 to 31 March 2011.

Publicity about Hallmarking

To promote hallmarking in the country for effective consumer protection in gold jewellery trade, awareness programmes for jewelers/consumers are organized by

BIS through its various Regional and Branch Offices across the country. Twenty seven such awareness programmes have been organized during the year. T.V. spots on Hallmarking on Doordarshan and private channels were telecasted. Nukkad Nataks were also organized.

179 advertisements have been released in various newspapers across the country for spreading awareness among the consumers/jewellers about the benefits of hallmarking on Gold Jewellery during the year.

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

BIS continued to provide the following Certification services as per the corresponding standards for management systems:

a) Quality Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 9001 : 2008.

ख) आईएस/आईएसओ 14001 : 2000 के अनुसार पर्यावरण प्रबंध पद्धति (क्यूएमएस) प्रमाणम योजना।

ग) आईएस 15000 : 1998 के अनुसार खाद्यजनित हानि विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिन्दु (एचएसीसीपी)।

घ) आईएस 18001 : 2000 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति (ओएचएसएमएस) प्रमाणन योजना।

ड) आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य निरापदता प्रबंध पद्धति (एफएसएमएस) प्रमाणन योजना।

च) आईएस 15700 : 2005 के अनुसार सेवा गुणता प्रबंध पद्धति (एक्सक्यूएमएस) प्रमाणन योजना।

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना (क्यूएमएससीएस) *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत सितम्बर 1991 में आरंभ की गई थी। यह योजना आईएसओ/आईईसी 17021 मानक 'अनुरूपता मूल्यांकन - प्रबंध पद्धतियों का ऑडिट करने वाले और प्रमाणन प्रदान करने वाले निकायों की अपेक्षाओं के अनुसार प्रचालित की जाती है।

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के दौरान 94 गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2011 को प्रचालन लाइसेंसों की कुल संख्या 876 हो गई। इनमें औद्योगिक क्षेत्र जैसेकि रसायन, धातु एवं धातु उत्पाद, सीमेंट निर्माण, डेयरी संयंत्र, विद्युत उत्पादन, इंजीनियरिंग सेवाएँ, खनन, मशीनरी, पेट्रोलियम, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल वस्त्रादि और सेवा क्षेत्र जैसे शिक्षा, वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, परिवहन इत्यादि आते हैं।

पर्यावरण प्रबंध प्रमाणन पद्धति योजना

भा मा ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 14001 के अनुसार पर्यावरण पद्धति प्रमाणन योजना (ईएमएस) प्रारंभ की थी। यह भी आईएसओ/आईईसी 17021 में निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार प्रचालित है। अवधि के दौरान 19 ईएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए जिससे 31 मार्च 2011 को प्रचालन लाइसेंसों की संख्या 159 हो गई। इन लाइसेंसों में एकीकृत इस्पात संयंत्र, ताप बिजली संयंत्र, विमान उद्योग, परमाणु बिजली घर, वस्त्रादि, प्लास्टिक, सीमेंट, निर्माण, बिजली और दूरसंचार केबल, पेट्रोलियम परिशोधन,कीटनाशी, औद्योगिक एवं विस्फोटीय रसायन, रेलवे वैगन वर्कशाप, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, खनन, जन प्रशासन (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकगत क्षेत्र शामिल हैं।

व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने आई एस 18001 : 2000 के अनुसार व्यवसाय में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन पद्धति प्रमाणन योजना (ओएचएसएमएस)

b) Environmental Management System (QMS) Certification Scheme as per IS/ISO 14001 : 2000.

c) Hazards Analysis & Critical Control Point (HACCP) Scheme as per IS 15000 : 1998.

d) Occupational Health & Safety Management System (OHSMS) Certification Scheme as per IS 18001 : 2000.

e) Food Safety Management System (FSMS) Certification Scheme as per IS/ISO 22000 : 2005.

f) Service Quality Management System (SQMS) Certification Scheme as per IS 15700 : 2005.

Quality Management Systems Certification Scheme

BIS Quality Management System Certification Scheme (QMSCS) was launched in September 1991 under the provisions of the *Bureau of Indian Standards Act*, 1986. The Scheme is being operated in accordance with standard ISO/IEC 17021 "Conformity Assessment – Requirements for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems".

94 Quality Management Systems Certification licences were granted during 1 April 2010 to 31 March 2011 making a total of operative licences to 876 as on 31 March 2011 covering industrial sectors such as chemicals, metal and metal products, cement, construction, dairy plants, electricity generation, engineering services, mining, machinery, petroleum, plastic, pharmaceuticals, textiles, and service sectors such as education, financial sector, health sector, insurance, information technology, telecommunications, transport, etc.

Environmental Management Systems Certification Scheme

The Environmental Management Systems (EMS) Certification Scheme launched by BIS as per IS/ISO 14001. It is also operated as per International criteria laid down in ISO/IEC 17021. During the period, 19 EMS new licenses have been granted making a total of operative licenses to 159 as on 31 March 2011. These licenses cover technology areas like Integrated Steel Plants, Thermal Power Plants, Aeronautical Industries, Atomic Power Stations, Textiles, Plastic, Cement, Construction, Electrical and Telecommunication Cables, Petroleum Refinery, Insecticides, Industrial and Explosive Chemicals, Railway Wagon Workshops, Pharmaceuticals, Machinery, Mining, Public Administration (Pollution Control Board), etc.

Occupational Health & Safety Management Systems Certification Scheme

BIS launched Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) certification as per

जनवरी 2003 में आरंभ की थी। इससे कोई संगठन उसकी गतिविधियों से प्रभावित होने वाले उसके कर्मचारियों और अन्य के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करने के लिए ऐसे महत्त्वपूर्ण खतरों और जोखिमें से जुड़ी विधायी अपेक्षाओं एवं जानकारी को ध्यान में रखते हुए नीति और उद्धेश्य तय कर सकता है, योजना बना सकता है और प्रबंधन कर सकता है जिन खतरों और जोखिमों को संगठन नियंत्रित कर सकता हो और जिनका प्रभाव कर्मचारियों पर पड़ने की संभावना है। अवधि के दौरान 5 ओएचएसएमएस लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार 31 मार्च 2011 को कुल प्रचालित लाइसेंसो की संख्या 49 हो गई। इन लाइसेंसों में ताप बिजली घर, सिरेमिक उद्योग, साइकिल उद्योग, गैस पॉवर स्टेशन और स्वास्थ्य सेवाएँ तथा कर्मचारी विकास केन्द्र शामिल हैं।

एचएसीसीपी स्टैंड-एलोन

भा मा ब्यूरो आईएस 15000 के अनुसार स्टैंड-एलोन एचएसीसीपी प्रमाणन योजना भी प्रदान करता है। 31 मार्च 2011 को 2 एचएसीसीपी स्टैंड-एलोन लाइसेंस प्रचालन में थे।

खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने आईएस/आईएसओ 22000 : 2005 के अनुसार खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना एफएसएमएस प्रारंभ की थी। इस पद्धति को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे खाद्य श्रृंखला में आने वाले सभी प्रकार के संगठन खाद्य सुरक्षा प्रबंध पद्धति को क्रियान्वित कर सकते हैं। एफएसएमएस के कार्यान्वयन से निम्नलिखित लाभ होंगे:

क) खाद्य उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता में वृद्धि;

ख) उत्पादों/सेवा के दायित्व के दावों के जोखिमों में कमी;

ग) ग्राहक की संविदागत अपेक्षाओं को संतुष्ट करती है;

घ) खाद्य उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित होना;

ङ) अधिक स्वास्थ्य सुरक्षा;

च) अंतर्राष्ट्रीय मानकों और लागू विनियामक अपेक्षाओं के प्रति अनुरूपता प्रदर्शन;

छ) लागू खाद्य निरापदता से संबंधित संवैधानिक और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में राहायता करना; और

ज) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभावी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।

31 मार्च 2011 को 5 एफएसएमएस लाइसेंस प्रचालन में थे।

सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना

भा मा ब्यूरो ने सेवा गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन (एसक्यूएमएस) अप्रैल 2007 में आरंभ किया था। यह आईएस 15700 : 2005 'गुणता प्रबंध

IS 18001 : 2000, in January 2003, which essentially enables an organization to define, plan and manage a policy and objectives, taking into account legislative requirements and information about significant hazards and risks, which the organization can control and over which it can be expected to have an influence, to protect its employees and others, whose health and safety may be affected by the activities of the organization. During the period, 5 OHSMS licenses have been granted making a total of operative licences to 49 as on 31 March 2011. The licences cover technology areas like thermal power plants, ceramic industry, cycle industry, gas power station, health services and employee development centre.

HACCP Stand-alone

BIS also offers a stand-alone HACCP Certification Scheme as per IS 15000. As on 31 March 2011, 2 HACCP Stand-alone licences were in operation.

Food Safety Management Systems Certification Scheme

BIS has launched Food Safety Management System (FSMS) as per IS/ISO 22000 : 2005. This system is designed to allow all types of organizations within the food chain to implement a food safety management system. Implementation of FSMS would help to achieve the following benefits:

a) Increased international acceptance of food products;

b) Reduces risk of produce/service liability claims;

c) Satisfies customer contractual requirements;

d) Ensures safety of food products;

e) Greater health protection;

f) Demonstrates conformance to International Standards and applicable regulatory requirements;

g) Helps to meet applicable food safety related statutory and regulatory requirements; and

h) Ensures to compete effectively in national and international markets

As on 31 March 2011, 5 FSMS licences were in operation.

Service Quality Management Systems Certification Scheme

The BIS Service Quality Management Systems (SQMS) Certification has been launched during April 2007. This is based on the Indian Standard on Service Quality by Public Service Organization, namely IS 15700 : 2005

पद्धतियाँ - जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा देने की गुणता अपेक्षाएं' पर आधारित है। यह मानक निम्नलिखित तीन मुख्य घटकों पर ध्यान देता हैं:

- परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से व्यावहारिक नागरिक अधिकार पत्र तैयार करना।
- दी जाने वाली सेवाएँ, सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया और उनका नियंत्रण तथा सेवा प्रदान करने की अपेक्षाएँ ज्ञात करना।
- शिकायत निपटान की प्रभावी प्रक्रिया।

भा मा ब्यूरो ने आईएस 15700 : 2005 के कार्यान्वयन को वरीयता क्षेत्र के तौर पर रखा है और आज तक निम्नलिखित संगठनों को एसक्यूएमएस प्रमाणन दिया गया है:

क) न्यू दिल्ली जनरल पोस्ट ऑफिस, गोलडाकखाना भवन, नई दिल्ली

ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड;

i) आय कर सेवा केन्द्र, पुणे

ii) आय कर सेवा केन्द्र, कोच्चि

ग) डिपॉर्टमेन्ट ऑफ इलैक्ट्रिकल इंसपेक्टोरेट, तिरुवनंतपुरम

घ) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड

i) दिल्ली केन्द्रीय उत्पाद - I सेवाएँ

ii) दिल्ली सेवा कर सेवाएँ

iii) सीमा शुल्क (आईएवंजी) सेवाएँ

सरकारी क्षेत्र में उपरोक्त प्रमाणन को सेवा को सेवोत्तम के नाम से भी जाना जाता है।

भा मा ब्यूरो प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं का प्रत्यायन

आरवीए द्वारा क्यूएमएस और ईएमएस का प्रत्यायन

भा मा ब्यूरो गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन को 26 प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड की राड वूर एक्रेडिटेटी (आरवीए) द्वारा प्रत्यायित किया गया है। निर्दिष्ट अपेक्षाओं की अनुपालन की पुष्टी के लिए योजना का नियमित रूप से ऑडिट किया जाता है। आरवीए ने मई 2010 में भा मा ब्यूरो की क्यूएमएस गतिविधियों का निगरानी ऑडिट किया।

भा मा ब्यूरो ने चार क्षेत्रों के लिए ईएमएस प्रमाणन के आरवीए प्रत्यायन हेतु आवेदन किया है। इसके लिए वार्षिक निगरानी मूल्यांकन के दौरान मई 2010 में आरवीए ने मूल्यांकन किया। मध्य क्षेत्रीय एवं पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मूल्यांकन में कार्यालय मूल्यांकन ओर साक्ष्य ऑडिट तथा एमएससीडी का कार्यालय मूल्यांकन भी शामिल था।

मूल्यांकन के आधार पर आरवीए ने निम्नलिखित 4 क्षेत्रों के लिए प्रत्यायन प्रदान किया है:

क) वस्त्र एवं वस्त्रादि उत्पाद;

ख) रसायन एवं रसायन उत्पाद एवं फाइबर;

'Quality Management Systems – Requirements for Services Delivery by Public Service Organizations'. This standard focuses mainly on the following 3 key elements:

- Formulation of a realistic Citizen's Charter through a consultative process,
-
processes, their control and delivery requirements, and
- An effective process for complaints handling.

BIS has kept the implementation of IS 15700 : 2005 as a Thrust Area and as on date following organizations have been awarded with SQMS certification:

a) New Delhi General Post Office, Goldakkhana Building, New Delhi

b) Central Board of Director Taxes

i) Aay Kar Seva Kendra, Pune

ii) Aay Kar Seva Kendra, Kochi

c) Department of Electrical Inspectorate, Thiruvananthapuram

d) Central Board of Excise & Custom

i) Delhi Central Excise – I Services

ii) Delhi Service Tax Services

iii) Customer (I&G) Services

The above certification is also known as SEVOTTAM in government sector.

Accreditation of BIS Management Systems Certification Schemes

Accreditation of QMS and EMS by RvA

BIS Quality Management Systems Certification is accredited by Raad voor Accreditatie (RvA), Netherlands for 26 major economic sectors. The scheme is regularly audited by RvA to confirm compliance to the laid down requirements. RvA carried out surveillance assessment of BIS QMS activities in May 2010.

BIS applied for RvA accreditation of EMS certification for four sectors. Assessments were done by RvA team during the yearly surveillance assessment in the month of May 2010. The assessment covered Office Assessments and Witness Audits under CRO & WRO and also Office Assessment of MSCD.

Based on the assessment, RvA has granted accreditation of EMS for the following 4 sectors:

a) Textile and textile products;

b) Chemical and chemical products and fibres;

ग) कंक्रीट, सीमेंट, चूना, प्लास्टर इत्यादि; और

घ) बिजली आपूर्ति।

प्रत्यायन 1 नवम्बर 2013 तक वैध है।

यूनिडो परियोजना

यूनिडो ने एशिया की विकासशील अर्थव्यवस्था में आईएसओ 9001 के प्रभाव पर एक परियोजना चलाई है। भारत में परियोजना चलाने के लिए भा मा ब्यूरो ने प्रचालन सहायता प्रदान की है। परियोजना के चरण - III के अंग के रूप में सभी इच्छुक पक्षों को फीडबैक देने के लिए 3-4 मार्च 2011 के बीच दिल्ली, 4 मार्च 2011 को बंगलोर और 5 मार्च 2011 को मुंबई तीन कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

लीड ऑडिटर कोर्स में भा मा ब्यूरो अधिकारियों को प्रशिक्षण

1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 के बीच भा मा ब्यूरो के 18 अधिकारियों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विभिन्न लीड ऑडीटर कोर्स में प्रशिक्षण दिया गया:

एलए कोर्स	प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या
क्यूएमएस	1
एसक्यूएमएस	17

भा मा ब्यूरो प्रबंध पद्धति के लिए ऑडिटिंग कार्मिक

अवधि के दौरान 58 ऑडिटिंग कार्मिकों (भा मा ब्यूरो ऑडीटर एवं उप-संविदाकार) पंजीकृत हुए और 53 ऑडिटिंग अधिकारियों को विभिन्न प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजनाओं (क्यूएमएस/ईएमएस/ओएचएस/एचएसीसीपी/एफएसएमएस) के अंतर्गत 53 ऑडीटिंग कार्मिकों को अपग्रेड किया गया। 31 मार्च, 2011 को प्रबंध प्रमाणन पद्धति योजना को अंतर्गत नीचे दी गई संख्या में ऑडीटर और उप-संवीदाकारों को पंजीकृत किया गया है :

गतिविधि	ऑडीटर	उप-संविदाकार-ऑडीटर
क्यूएमएस	259	75
ईएमएस	105	29
ओएचएस	41	16
एफएसएमएस	42	—
एचएसीसीपी	32 (विशेषज्ञ)	2
एसक्यूएमएस	47	—

c) Concrete, cement, lime, plaster, etc; and

d) Electricity supply.

The accreditation is valid up to 1 November 2013.

UNIDO Project

UNIDO has organized a project on impact of ISO 9001 in developing Asian Economy. BIS has provided logistics support to carry out the project in India. As a part of the project in Phase-III, three work-shops were organized to provide feedback to all the interested parties during 3-4 March 2011 at Delhi, on 4 March at 2011 Bangalore and on 5 March 2011 at Mumbai.

Training of BIS Officers in Lead Auditor Course

During the period 1 April 2010 to 31 March 2011, 18 BIS officers were given training in various Lead Auditor Courses as given below:

LA Course	No. of Officers Trained
QMS	1
SQMS	17

Auditing Personnel for BIS Management Systems

During this period, 58 auditing personnel (BIS auditors and sub-contractors) have been registered and 53 auditing personnel have been upgraded under various Management Systems Certification Schemes (QMS/EMS/OHS/HACCP/FSMS). As on 31 March 2011, the following number of auditors and subcontractors are registered with BIS for Management Systems Certification Scheme:

Activity	Auditor	Subcontractor-Auditor
QMS	259	75
EMS	105	29
OHS	41	16
FSMS	42	—
HACCP	32 (Expert)	2
SQMS	47	—

ऑडीटर बैठक

अवधि के दौरान पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में 3 ऑडीटर बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में भा मा ब्यूरो के अधिकारियों और पद्धति प्रमाणन ऑडिट करने के लिए पंजीकृत उपसंविदाकारों-ऑडीटरों ने भाग लिया।

लाइसेंसधारियों की समीक्षा बैठक

प्रमाणन मानकों की अपेक्षाओं में बदलाव के बारे में भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारियों में जागरूकता पैदा करने एवं भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों से प्रत्यक्ष फीडबैक प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो अपने लाइसेंसधारियों के साथ सभी क्षेत्रों में वर्ष में एक बार नियमित रूप से बैठकें आयोजित करता है। अवधि के दौरान लाइसेंसधारकों की तीन बैठकें पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय और दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित की गई तथा लाइसेंसधारकों से संतोषजनक फीडबैक प्राप्त हुए हैं।

प्रवर्तन गतिविधि

भा मा ब्यूरो मानक मुहर (आईएसआई मुहर) गुणता का चिन्ह है और छह से भी अधिक दशकों में इसने अपनी एक ब्रांड छवि बना ली है क्योंकि उपभोक्ता हमेशा गुणता वाले उत्पाद पसंद करता है। इसलिए उपभोक्ता और संगठित क्रेता गैर-आईएस उत्पादों की तुलना में आईएसआई मुहर वाले उत्पादों को प्राथमिकता देतें हैं। आईएसआई मुहर की बढ़ती लोकप्रियता के साथ आईएसआई मुहर के दुरूपयोग की घटनाएँ भी बढ़ रही है क्योंकि धोखेबाज विनिर्माता भा मा ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त किए बिना घटिया स्तर के उत्पादों पर आईएसआई मुहर लगा कर उपभोक्ताओं को धोखा दे रहे हैं।

1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 के दौरान आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाली फर्मों पर देश भर में 135 छापे मारे गए। इन छापों में पैकेजबंद पेयजल, जीएलएस बल्ब, ब्लॉक-बोर्ड और प्लाईवुड उत्पाद, पीवीसी केबल, स्विच व सॉकेट, बिजली के उपकरण, सबमर्सिबल पम्प, सीमेंट,पशु आहार, आयोडाइज़्ड नमक, इस्पात की नलियाँ, छत के पंखे, एचडीपीई नलियाँ इत्यादि जैसे विभिन्न नकली उत्पाद ज़ब्त किए गए। प्रवर्तन मामलों पर यथासमय कार्रवाई और न्यायालय में दोषियों के विरुद्ध अभियोजन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भा मा ब्यूरो ने प्रेस विज्ञप्तियों का व्यापक प्रचार करते हुए कई प्रेस विज्ञिप्तियाँ जारी की ताकि आईएसआई मुहर का दुरूपयोग करने वाले विनिर्माताओं के विरूद्ध उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाई जा सके। जनता में अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से भा मा ब्यूरो के सभी शाखा कार्यालयों को यह परामर्श दिया गया कि वे माननीय अदालतों द्वारा दोषियों के खिलाफ सुनाए गए निर्णयों का व्यापक प्रचार करें और दुरूपयोग रोकने के लिए इसे एक भय के रूप में दुरुपयोग करने वालों के सामने रखें।

Auditors' Meet

During the period 3 Auditors' Meet were organized viz at Eastern Regional Office, Northern Regional Office and Southern Regional Office which were attended by BIS officers and subcontractor-auditors who are registered for carrying out system certification audits.

Licensees' Review Meeting

For the purpose of creating awareness among our licensees about change in the requirements of certification standards and for obtaining first hand feed back from the licensees of BIS, about our services, Licensees Review Meets are held once in a year in all the regions. During this period, three Licensees' Meet were organized in ERO, NRO and SRO and we have received satisfactory feed backs from the licensees.

ENFORCEMENT ACTIVITY

The BIS Standard Mark (ISI Mark) is a quality mark and also has established its brand image for more than six decades as the consumer is always inclined towards quality products. Therefore, the consumer as well as the organized purchaser prefers ISI Marked products. With the growing popularity of ISI Mark, instances of misuse of ISI Mark are also on the rise as the unscrupulous manufacturers are trying to cheat the consumers by producing sub-standard products with ISI Mark without obtaining the licence from BIS.

During the period 1 April 2010 to 31 March 2011, BIS has carried out 135 enforcement raids all over the country. During these raids various spurious products including many household products such as Packaged Drinking Water, GLS Lamps, Block Board and Plywood products, PVC Cables, Switches & Sockets, Electrical Appliances, Submersible pumps, Cement, Cattle feeds, Iodized salt, Steel Tubes, Ceiling fan, HDPE Pipes etc were seized. Efforts are being made for timely processing of the enforcement cases and also launching prosecution against the offenders in the Courts of law.

Apart from above, BIS has also issued number of press releases about the enforcement raids by giving wide publicity with an intention to create awareness among the consumers about the unscrupulous manufacturers who are misusing ISI Mark. All the Branch Offices of BIS have been advised to give wide publicity on pronouncement of judgements by the Hon'ble Courts against the offenders to create more awareness among the consumers and also to make it as a deterrent to the misuser.

प्रयोगशाला सेवाएँ

भा मा ब्यूरो ने 1962 में साहिबाबाद की केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना की शुरुआत से अब तक आठ प्रयोगशालाएँ स्थापित की हैं। परिणामत: चार क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ - मोहाली, कोलकाता, मुम्बई एवं चैनई एवं तीन शाखा कार्यालय में प्रयोगशालाएँ पटना, बैंगलुरु व गुवाहाटी स्थापित की कई। भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं का प्रयोजन भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन मुहर योजना की गतिविधियों में सहायता करना है। भा मा ब्यूरो की इन प्रयोगशालाओं में लाइसेसियों, आवेदकों से प्राप्त नमूनों एवं खुले बाजार से प्राप्त नमूनों का भी परीक्षण किया जाता है। भा मा ब्यूरो की प्रयोगशालाओं में रसायन, खाद्य, विद्युत एवं यांत्रिक विषयक क्षेत्रों के उत्पादों के परीक्षण की सुविधा है। केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद में विद्युत विषयक क्षेत्रों की इन-हाउस केलीब्रेशन सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला सेवाएँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के साथ गति बनाये हुए हैं, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, मोहाली एवं साहिबाबाद की प्रयोगशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार अंशशोधन एवं परीक्षण प्रयोगशाला हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा प्रत्यायित किया गया।

भा मा ब्यूरो ने देशभर में स्थित आठ प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय मानकों के अनुरुप तत्संबंधी भा मा ब्यूरो द्वारा प्रमाणित उत्पादों की अनुरूपता परीक्षण से संबंधित कार्य करना जारी रखा। 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 की अवधि के दौरान परीक्षण करने वाली जनशक्ति के लगातार घटने के बावजूद व्यापक रेंज वाले उत्पादों की 19282 परीक्षण रिपोर्टें जारी की जबकि वार्षिक लक्ष्य 19800 परीक्षण रिपोर्टों का था। परीक्षण करने वाले परीक्षण कार्मिकों की स्वीकृत संख्या 180 की तुलना में वर्तमान में यह संख्या 105 है। इसमें से कुछ परीक्षण कार्मिक नॉन परीक्षण गतिविधियों जैसे कि खरीद, भवन रख-रखाव और प्रयोगशाला मान्यता योजना आदि कार्य में लगे हैं।

स्वर्ण रेफ़रल एसेइंग प्रयोगशाला

स्वर्ण रेफ़रल एसेइंग प्रयोगशाला दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, चेन्नई में स्थापित है और इस प्रयोगशाला ने दिसम्बर, 2010 से ही स्वर्ण आभूषण के नमूनों का परीक्षण शुरू कर दिया है। इसने स्वर्ण आभूषणों के नमूने लेने के परीक्षण के अंतर प्रयोगशाला कम्पेरिजन कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस रेफ़रल प्रयोगशाला ने 31 मार्च, 2011 तक 33 परीक्षण रिपोर्टें जारी की हैं।

प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

कार्यकारी समिति के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित के संबंध में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए स्थायी समीति का गठन किया गया।

- आँशिक परीक्षण सुविधाओं को पूरा करना
- वर्तमान परीक्षण सुविधाओं का उन्नयन

LABORATORY SERVICES

BIS has established eight laboratories beginning with the establishment of Central Laboratory in 1962. Subsequently, four regional laboratories were established at Mohali, Kolkata, Mumbai and Chennai and three branch office laboratories at Patna, Bengaluru and Guwahati. The purpose of establishing BIS laboratories is to support the activities of BIS product certification marks scheme wherein the samples generated from the licensees/applicants and also from the open market are tested in these BIS laboratories. The BIS laboratories have facilities for testing of products in the field of chemical, food, electrical and mechanical discipline. In-house calibration facilities in the field of electrical discipline are available at Central Laboratory, Sahibabad.

In order to ensure that BIS laboratory services are keeping pace with the developments at the International level, the laboratories at Mumbai, Kolkata, Chennai, Mohali, and Sahibabad have been accredited by the National Accreditation Board for Calibration and Testing Laboratories (NABL) as per the international standard IS/ISO/IEC 17025.

The network of eight BIS laboratories spread throughout the country, continued to provide testing services and test related activities to undertake conformity testing of BIS certified products against relevant Indian Standards. For the period from 1 April 2010 to 31 March 2011, BIS laboratories have issued 19282 test reports covering wide range of products against annual target of 19800 test reports, despite constant depletion of testing personnel. The strength of testing personnel involved in the testing is now 105 against the sanctioned strength of 180. Out of this, some testing personnel are involved in non-testing activities like purchase, building maintenance and lab recognition scheme etc.

GOLD REFERRAL ASSAYING LABORATORY

Gold Referral Assaying Laboratory has been set up at Southern Regional Office Laboratory, Chennai and it has already started testing of Gold Jewellery samples since December 2010. It has also participated in Inter Laboratory Comparison programme for testing of samples of Gold Jewellery. The Referral lab has issued 33 test reports till 31 March 2011.

MODERNIZATION PROGRAMME OF LABORATORIES

On directions of Executive Committee, the Standing Committee for modernization of Labs was constituted with following terms of reference:

- Completion of partial testing facilities
- Upgradation of existing testing facilities

- नई परीक्षण सुविधाएँ विकसित करना
- अवसंरचना

स्थायी समिति ने विभिन्न मुहर विभागों के साथ पारस्परिक समन्वय से अपनी दो बैठकों में कुल 403 परीक्षण उपस्करों की सिफारिश की। सक्षम प्राधिकारी ने पर्याप्त निधियों का अनुनोदन किया। आधुनिकीकरण कार्यक्रम में अतिरिक्त जनशक्ति की भी आवश्यकता है अर्थात् वैज्ञानिक/ तकनीकी अधिकारी परीक्षण कार्मिक आधारभूत स्टाफ सहित शामिल है। जहाँ संभव हो, यह भी प्रस्तावित किया गया कि कुछ सेवाओं को आऊटसोर्स किया जाए।

इस प्रक्रीया मे लगभग 4.40 करोड़ रु० के उपस्कर भा मा ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा पहले ही खरीदे जा चुके हैं तथा उनके संस्थापन के लिए अवसंरचना विकसित किया गया। 1.21 करोड़ रु० से अधिक के अतिरिक्त उपस्करों के लिए और आदेश दिए गए हैं।

क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को स्कैन की गई रिपोर्टों का प्रेषण

भा मा ब्यूरो की प्रयोगशाला द्वारा परीक्षित नमूनों की सभी रिपोर्टें सभी शाखा कार्यालयों को जल्दी भेजने के लिए हार्ड कापी की बजाय स्कैन इंटरनेट के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रमुखत: समय, पैसे की बचत हुई व हार्ड प्रतिओं का संभावित दुरूपयोग भी नहीं हो सकता।

उत्पात परीक्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

i) भा मा ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय/शाखा कार्यालय द्वारा जब भी अनुरोध किया गया तब भा मा ब्यूरो प्रयोगशालाओं ने अद्यतन भारतीय मानकों के अनुसार भा मा ब्यूरो उत्पाद प्रमाणन लाइसेंसधारियों/आवेदकों के तकनीकी कार्मिकों हेतू उत्पाद परीक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए।

ii) विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अनेक विद्यार्थियों को 6-8 सप्ताह की अवधि का प्रयोगशाला में प्रशिक्षण उनके ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में दिया गया।

iii) विद्यार्थियों के समूह ने केन्द्रीय प्रयोगशाला का उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के भाग के रूप में दौरा किया, जिनको भा मा ब्यूरो गतिविधियों की जानकारी दी, जिनमें मानक बनाने की प्रक्रिया, प्रमाणन योजना, हालमार्किंग तथा अन्य गुणता शिकायत निवारण की क्रियाविधि आदि शामिल हैं।

गुणता आश्वासन गतिविधियाँ

गुणता पद्धति की प्रभावी मानीटरिंग के लिए प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया गया तथा आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 : 2005 मानक पर आधारित प्रलेखों को कार्यान्वित किया गया। इस क्षेत्र की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

क) विभिन्न गुणता आश्वासन परीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत नमूनों का परीक्षण किया गया।

- Creation of new testing facilities
- Infrastructure

In its two meetings held after interactions with various Marks Departments, a total of 403 test equipments were recommended by the Standing Committee. Adequate funds were approved by the Competent Authority. The Modernization Programme also involves the requirements of additional manpower that is, Scientific/Technical Officers, Testing Personnel along with supporting staff. Wherever possible, it was proposed for some of the services to be outsourced.

In this process equipment to the tune of around ₹ 4.40 crore have already been procured by various BIS labs and infrastructure developed for their installation. Further orders for additional equipment worth more than ₹ 1.21 crores have been placed.

SCANNED TEST REPORTS TO REGIONAL/BRANCH OFFICES

All reports of samples tested by BIS labs are scanned and sent through Internet to all Branch Offices instead of hard copies for quicker transmission. This has led to major saving of time, money and probable misuse of hard copies.

TRAINING PROGRAMME ON PRODUCT TESTING

i) As and when requested by BIS ROs/BOs, BIS laboratories organize training programmes on product testing for technical personnel of BIS product certification licensees/applicants in line with latest Indian Standards.

ii) Many students from various Universities and Colleges were given training in the Laboratory as part of their Summer Training Programme for duration of 6-8 weeks.

iii) Group of students who visited Central Laboratory (CL) as part of their Consumer Awareness Programme were apprised of the BIS activities including process of Standard Formulation, Certification Scheme, Hallmarking, quality complaint redress mechanisms etc.

QUALITY ASSURANCE ACTIVITIES

For effective monitoring of Quality System, the laboratories have updated and implemented the documents based on Standard IS/ISO/IEC 17025 : 2005. The highlights of the achievements are as below:

a) Samples tested under different Quality Assurance testing programme.

ख) प्रेशर कुकर, सीमेंट, यूपीवीसी पाइप, बिस्कुट, एचएसडी सरिये, पीबीसी रोधी केबल आदि उत्पादों के विभिन्न मानदंडों के लिए दक्षता परीक्षण और आईएलसी कार्यक्रम में सहभागिता।

ग) अवधि के दौरान अधिकारियों/तकनीकी कार्मिकों ने आईएस/आईएसओ/आईईसी 17025 के अनुसार प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

घ) ग्राहक से फीडबैक एकत्रित की जाती है और उनकी संतुष्टि के अनुरुप उचित कार्रवाई की जाती है।

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला मान्यता योजना

भा मा ब्यूरो प्रयोगशाला की वर्तमान क्षमता हमारे सभी उत्पाद प्रमाणन योजना के परिणामस्वरूप उत्पन्न नमूनों के परीक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, अत: भा मा ब्यूरो उन सभी बाहरी प्रयोगशालाओं को मान्यता दे रहा है जो तकनीकी रूप से सक्षम हो और प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति (एलक्यूएमएस) को कार्यान्वित करने और निर्दिष्ट परीक्षण पद्धतियों के अनुसार परीक्षण करने में समर्थ हो। भा मा ब्यरो प्रयोगशाला मान्यता योजना 2010 के अनुसार यह मान्यता प्रदान और प्रचालित की जाती है। अब तक 115 बाहरी प्रयोगशालाएँ हैं (सरकारी प्रयोगशाला - 54, अर्ध-सरकारी प्रयोगशाला - 01 और निजी प्रयोगशाला - 60) जिन्हें भा मा ब्यूरो ने मान्यता दी है। उक्त के अलावा भा मा ब्यूरो द्वारा जब और जहाँ अपेक्षित होने पर 25 सरकारी प्रयोगशाला (विशेषज्ञ प्रयोगशाला/अन्य प्रयोगशाला) की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

10 से 28 जनवरी, 2011 को एनआईटीएस द्वारा प्रयोगशाला गुणता प्रबंध पद्धति पर पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 19 से 22 जनवरी, 2011 के दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने भा मा ब्यूरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं का तीन समूह में दौरा किया। प्रशिक्षण के भाग के रूप में प्रशिक्षणार्थियों को आनसाइट प्रदर्शन के लिए भा मा ब्यूरो मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में ही ले जाया गया।

सतकर्ता गतिविधियाँ

भा मा ब्यूरों में सतकर्ता गतिविधियों का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

भा मा ब्यरो में सतकर्ता विभाग का अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी है। उसकी सहायता के लिए चार सतर्कता अधिकारी, तथा दो क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारी, पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्रों में तैनात हैं। इन्हें सभी सतर्कता विभागों का सतर्कता का समग्र कार्य सौंपा गया है। यह विभाग अन्य अभिकरणों यथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के साथ निकट समन्वय में काम करता है। सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ वार्षिक कार्य योजना के अनुसार चलाई जाती हैं, जिनका निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। इस विभाग के प्रमुख क्रियाकलाप सतर्कता के निवारक, खोजी और दंडात्मक पहलूओं के इर्द-गिर्द घूमते हैं।

b) Participation in proficiency testing and ILC programmes for various parameters of products like Pressure cooker, Cement, UPVC Pipes, Biscuits, HSD Bars, PVC Insulated Cables etc.

c) Officers/Technical personnel attended the training programme on Laboratory Quality Management System as per IS/ISO/IEC/17025.

d) The customer feedbacks are collected and appropriate action taken to the satisfaction of the customers.

BIS LABORATORY RECOGNITION SCHEME

As the existing capacity of the BIS laboratories is not sufficient to test all the samples generated from our Product Certification Scheme, BIS is recognizing outside laboratories that are technically competent and capable of implementing Laboratory Quality Management System (LQMS) and performing test as per the specified test methods. The recognition is granted and operated as per BIS Laboratory Recognition Scheme 2000. There are 115 outside laboratories which are BIS recognized as on date (Government labs-54, Semi-Government labs-01 and Private labs-60). Besides above, facilities of 25 Government laboratories (specialized labs/other labs) are being utilized by BIS as and when required.

INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME

In pursuance to first International Training Programme on Laboratory Quality Management System organized by NITS from 10 to 28 January 2011, the trainees visited different labs of BIS in Regions in three groups during 19 to 22 January 2011. As a part of training, the trainees were taken to BIS Recognized Labs also for onsite exposure.

VIGILANCE ACTIVITIES

SCOPE AND NATURE OF VIGILANCE ACTIVITIES IN BIS

Vigilance Department of BIS is headed by Chief Vigilance Officer and assisted by four Vigilance Officers and two Regional Vigilance Officers posted in the Western and Southern regions. Vigilance Department is entrusted with the responsibility of managing all vigilance related activities. The department functions in close coordination with other agencies such as the Central Vigilance Commission (CVC); the Central Bureau of Investigations (CBI); the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution; and the Department of Personnel & Training (DOPT). The activities of Vigilance Department are organized in accordance with an Annual Action Plan, which is formulated every year. The key functions of the department revolve around the preventive, the detective, and the punitive aspects of vigilance.

सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :

क) ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा दी गई वार्षिक सम्पत्ति विवरणियों और उनके द्वारा चल तथा अचल संपत्तियों में अंतिम लेन-देन की सूचना देने पर उनकी संवीक्षा/ जांच करना;

ख) विभाग/कर्मचारी के अनुरोध पर पदोन्नति, पासपोर्ट, विदेशों में कार्य करने पर विचार करने और बाहर के पदों के लिए भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों के आवेदन भेजने के लिए सतर्कता की अनुमति देना;

ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सीबीआई/मंत्रालय के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से सर्तकता विभाग में प्राप्त स्रोत सूचना और शिकायतों की जाँच करना और गहराई से जाँच-पड़ताल करना। जाँच-पड़ताल के आधार पर मिले परिणाम से, यदि आवश्यक हो, शिकायत दर्ज करना; या केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर दोषी अधिकारी (अधिकारियों) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई आरंभ करना;

घ) भा मा ब्यूरो के कर्मचारियों को सीसीएस (आचरण), नियम, (सीसीए) नियम और लागू अन्य विभिन्न संबंधित नियमों/विनियमों तथा मैनुअलों के विभिन्न प्रावधानों और सतकर्ता कार्य के महत्व से अवगत कराने के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए यह विभाग तत्संबंधी विषयों पर कार्यशालाएँ और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है;

ङ) निवारक सतर्कता के रूप में ब्यूरो के विभिन्न कार्यकलापों के सतर्कता ऑडिट आयोजित करना और कमियों को दूर करने के लिए अंतराल को भरने एवं स्व-निर्णय की संभावना को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित सुधारों का सुझाव देना; और

च) भ्रष्टाचार का कोई मामला होने पर सीधे फीडबैक प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो के लाइसेंसधारियों/आवेदकों, उपभोक्ता संगठनों और उद्योग संघों के साथ बैठकें आयोजित करना और व्यवस्थित सुधार करना तथा अधिक पारदर्शिता आरंभ करने के सुझाव देना।

1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 के दौरान सतर्कता विभाग ने जयपुर शाखा कार्यालय, कानपुर शाखा कार्यालय तथा उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला, मोहाली के तीन निवारक सतर्कता ऑडिट किए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रक्रियाविधियों के अनुपालन न करने/अनियमितताओं के कुछ मामलों के संबंध में सतर्कता जाँच-पड़ताल की जा रही है। भा मा ब्यूरो लाइसेंसधारकों के यहाँ अठारह निगरानी निरीक्षण किए गए। लम्बित सतर्कता जाँचों पर कार्रवाई की गई एवं चल रही विभागीय जाँचों की नियमित मॉनीटरिंग की गई।

The work undertaken by Vigilance Department is as follows:

a) Scrutinize Annual Property Returns and transactions in movable and immovable properties, as and when filed by the employees of the Bureau;

b) Grant vigilance clearances for considering promotions, issuance of passport, foreign assignments and forwarding applications of BIS employees for outside posts as and when requested by the department/employee;

c) Examine source information and complaints received either directly from complainant or through the CVC/CBI/Ministry and conduct thorough investigations. On the basis of the outcome of the investigation, a decision is taken to either file the complaint or initiate disciplinary proceedings against the delinquent official(s) on the basis of the CVC's advice;

d) In order to apprise BIS employees about various provisions of the CCS (Conduct) Rules, the CCS (CCA) Rules and various other related Rules/ Regulations and Manuals in operation; and to increase awareness about the importance of vigilance activity among the BIS employees, the department conducts workshops and awareness programmes on relevant subjects;

e) Vigilance Department also conducts audits of various activities and functional areas of BIS as part of preventive vigilance and suggest systemic improvements to bridge gaps and remove scope for discretion; and

f) Vigilance Department organizes meetings with BIS licensees/applicants, consumer organizations and manufacturers' associations for gathering direct feed-back relating to instances of corruption, if any, and elicit suggestions for introducing systematic improvements and greater transparency.

During the period of 1 April 2010 to 31 March 2011, Vigilance Department conducted three preventive vigilance audits at Jaipur Branch Office, Kanpur Branch Office and NRO Laboratory, Mohali of the BIS. Vigilance investigations are being undertaken on a few instances of non-compliance of procedures against various officials. Eighteen surveillance inspections of BIS licences were also carried out. Pending vigilance investigations were pursued and ongoing departmental inquiries were regularly monitored.

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार भा मा ब्यूरो में सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 25 अक्तूबर से 1 नवम्बर, 2010 के दौरान मनाया गया। महानिदेशक, भा मा ब्यूरो ने 25 नवम्बर, 2010 को मुख्यालय में सभी कर्मचारियों को शपथ दिलाई। भा मा ब्यूरो के सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार विरोधी विषय पर बैनर/पोस्टर/ स्लोगन विशेष तौर पर प्रदर्शित किए गए। इसके अतिरिक्त व्याख्यान, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद-विवाद, क्विज इत्यादि अन्य गतिविधियाँ भी आयोजित की गई। भा मा ब्यूरो के विभिन्न कार्यालयों में इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। भा मा ब्यूरो के देशभर के सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशाला और निरीक्षण कार्यालयों में सतर्कता जागरुकता सप्ताह आयोजित किया गया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाने की रिपोर्ट उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई।

अप्रैल, 2010 में भा मा ब्यूरो द्वारा आरटीआई पर आयोजित प्रशिक्षण में सतर्कता विभाग के अधिकारी ने भाग लिया।

भा मा ब्यूरो का सतर्कता विभाग आईएसओ 9001 प्रमाणित है। आईएसओ 9001 : 2008 के अनुसार गुणता मैनुअल और प्रक्रियाएँ पुनरीक्षित की गई तथा जून 2010 में मैसर्स ब्यूरो वेरिटास द्वारा सफल ऑडिट किया गया।

As per the directions of the Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week was observed in BIS from 25 October to 1 November 2010. The DG, BIS administered a pledge to all the BIS employees in Head Office on 25 November 2010. Banners/posters/ slogans on the theme of anti-corruption were prominently displayed in all BIS offices. Besides, other activities such as lectures, essay competitions, debates, quiz, etc, were also organized and prizes were distributed to the winners of these competitions at various BIS offices. The Vigilance Awareness Week was also observed in all the Regional/Branch/Laboratories and Inspection Offices of BIS in country. Report of the observation of Vigilance Awareness Week has been sent to Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Central Vigilance Commission.

One officer from Vigilance Department attended training on RTI conducted by BIS in April 2010.

Vigilance Department of BIS is ISO 9001 certified. The quality manual and procedures were revised as per ISO 9001:2008 and a successful audit was carried out by M/s Bureau Veritas in June 2010.

तकनीकी सूचना सेवाएँ

भा मा ब्यूरो उद्योगों, आयातकों, निर्यातकों, व्यक्तियों तथा सरकारी एजेंसियों को उनकी पूछताछ के उत्तर में तकनीकी सूचना सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस प्रयास में इस अवधि के दौरान 700 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया गया।

पहचान संख्याओं को प्रायोजित करना

भा मा ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आवेदनों पर जारीकर्ता पहचान संख्या (आईआईएन), संस्थान पहचान कोड (आईआईसी), पंजीकृत आवेदन प्रोवाइडर आईडेंटिफायर (आरआईडी) और विश्व निर्माता आईडेंटिफायर (डब्ल्यूआईएम) कोड के पंजीकरण को प्रायोजित करने के प्राधिकरण का कार्य करता है।ये आवेदन बैकिंग/वित्तीय संस्थानों, उद्योग संस्थानों इत्यादि से प्राप्त होते हैं। अवधि के दौरान निम्नलिखित संबंधी आवेदनों पर कार्य किया।

TECHNICAL INFORMATION SERVICES

BIS provided Technical Information Services to Industry, importers, exporters, individuals and government agencies in response to their enquiries. In this endeavour, more than 700 enquiries were responded during the period.

SPONSORSHIP OF IDENTIFICATION NUMBERS

BIS acts as the Sponsoring Authority in registering applications with international institutions requesting for Issuer Identification Number (IIN), Institution Identification Codes (IIC), Registered Application Provider Identifier (RID), and World Manufacturer Identifier (WMI) Code. These applications are received from banking/financial institutions, industry, institutions, etc. During the period, applications with respect to the following were processed.

जन शिकायतें

भा मा ब्यूरो प्रमाणित उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों को निवारण के लिए हर माह समीक्षा व निगरानी की जाती है। 2010-11 वर्ष के दौरान 22 शिकायतें दर्ज की गई और कुल 16 शिकायतों को निपटाया गया। भा मा ब्यूरो के जन शिकायत निपटान तंत्र के अंतर्गत शिकायतों का निपटान एक निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतकर्ता की संतुष्टी के अनुरुप करने के प्रयास किए जाते हैं।

उपभोक्ता हितों के लिए प्रकाशित ब्राउशर

भा मा ब्यूरों ने उपभोक्ता हितों के विषयों पर कई ब्राउशर प्रकाशित किए। इनमें से कुछ ब्राउशर क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालयों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित कराए।

सिटीजन चार्टर

वर्तमान सिटीजन चार्टर को आईएस 15700 'गुणता प्रबंध पद्धति — जन सेवा संगठनों द्वारा सेवा गुणता' की अपेक्षाएँ मॉडल सिटीजन चार्टर के अनुरूप प्रकाशित किया गया है। सिटीजन चार्टर में मॉडल सिटीजन चार्टर के अनुरूप पुनः पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है।

उपभोक्ता नीति पर आईएसओ समिति (कोपोलको)

भा मा ब्यूरो ने उपभोक्ता नीति पर आईएसओ समिति की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा। डॉ० (श्रीमती) स्नेह भाटला, उपमहानिदेशक भा मा ब्यूरो के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मई 2010 मे बाली, इंडोनेशिया में हुई आईएसओ कोपोलको 2010 और संबंधित गतिविधियों/ बैठकों में भाग लिया।

ग्यारहवीं योजनागत परियोजनाएँ

ग्यारहवीं योजनागत योजनाएँ

भा मा ब्यूरो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित 4 योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

- **पुरानी योजना (10वीं योजना से चालू)**
  - स्वर्ण हॉलमार्किंग योजना
- **नई योजनाएँ**
  - राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली
  - मानव संसाधन विकास एवं शैक्षणिक संस्थानों में क्षमता निर्माण
  - उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास एवं क्षमता निर्माण

PUBLIC GRIEVANCES

Complaints regarding BIS certified products received from consumers are being reviewed and monitored every month for redress. Twenty two complaints were registered and 16 complaints were redressed during the year 2010-11. Under BIS Public Grievance Redress mechanism, efforts are made to redress the grievances to the satisfaction of the complainant within the stipulated time frame.

Brochures Published for the Benefit of Consumers

BIS has published a number of brochures on the subjects of consumers' interest. Some of them have been published in regional languages also by concerned ROs/BOs.

CITIZEN CHARTER

The existing Citizen's charter has been brought out in line with IS 15700 'Quality Management Systems – Requirements for Service Quality by Public Service Organizations'. The action for further revision of Citizen Charter in line with model citizen charter is under progress.

ISO COMMITTEE ON CONSUMER POLICY (COPOLCO)

BIS continued to actively participate in the activities of ISO Committee on Consumer Policy. ISO COPOLCO 2010 and related events/meetings held in May 2010 at Bali, Indonesia was attended by Indian Delegation led by Dr. (Smt.) Sneh Bhatla, Deputy Director General, BIS.

XIth PLAN PROJECTS

XIth PLAN SCHEMES

BIS is implementing following 4 Central Sponsored Schemes under XIth Five year Plan (2007-12) on behalf of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. These are as follows:

- **Old Scheme (Continuing from Xth Plan)**
  - Gold Hallmarking Scheme
- **New Schemes**
  - National System of Standardization
  - HRD & Capacity Building in educational institutions
  - Consumer Education and Training, HRD and Capacity Building

स्वर्ण हॉलमार्किंग योजना

भा मा ब्यूरो इस योजना का प्रचालन दसवीं योजना से कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उपभोक्ताओं को स्वर्ण की शुद्ध गुणता मिले तथा उन्हें जौहरियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इस योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना

अवसंरचना तैयार करने हेतू केन्द्रीय सहायता देने की सरकार की योजना के अंतर्गत भा मा ब्यूरो ने 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 अवधि के दौरान 4 केन्द्र और स्थापित किए हैं। 31 मार्च, 2011 को योजना के तहत केंद्रों की संख्या (10वीं योजना के 2 सहित) 27 है।

शिल्पकारों/एसेइंग एवं हॉलमार्किंग कार्मिकों को प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के अंतर्गत शिल्पकारों के लिए तेरह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि शिल्पकारों को हॉलमार्किंग की अवधारणा, आभूषण निर्माण में सही टांके लगाने और अच्छी निर्माण रीतियों की जानकारी दी जा सके। श्रमशक्ति की दक्षता बढ़ाने और विधियों तथा दिशा-निर्देशों की अधिक जानकारी के लिए इस वित्तीय वर्ष में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

भा मा ब्यूरो अधिकारियों को एसेइंग और हॉलमार्किंग पर प्रशिक्षकों के कार्यक्रम का प्रशिक्षण

पहला आवासीय 'प्रशिक्षको के लिए प्रशिक्षण' कार्यक्रम 14-16 फरवरी, 2011 को कोचीन में आयोजित किया कया। यह सभी क्षेत्रों से लिए गए उन भा मा ब्यूरो अधिकारियों के लिए था जो सभी क्षेत्रों के एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों के मूल्यांकन के लिए आडिटर के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आडिटरों की ऑडिट दक्षता को बढाना था।

प्रचार

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत 2010-11 में डीएवीपी के माध्यम से स्वर्ण हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत 50 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता अनुदान से दूरदर्शन और निजी चैनलों पर हॉलमार्किंग टीवी स्पॉट

GOLD HALLMARKING SCHEME

BIS is operating this scheme since Xth Plan. The main objective is that consumers should get pure quality of gold and to protect them from cheating by Jewellers. The scheme has following components:

Setting Up of Gold Hallmarking/Assaying Centres In India

Under the Government Scheme for Central Assistance for creating infrastructure, 4 more Centres, have been set up during the period 1 April 2010 to 31 March 2011. The total number of centres under scheme as on 31 March 2011 is 27 (including 2 from Xth Plan).

Training for Artisans/Assaying and Hallmarking Personnel

For the financial year 2010-2011, thirteen such programmes have been organized. Artisans training programmes are organized to make artisans aware of the concept of hallmarking, use of correct solders and good manufacturing practices in jewellery making. Two training programmes for personnel of Assaying and Hallmarking centres have been organized in this financial year for creating competency of manpower and greater knowledge of procedure and guidelines.

Training of Trainers Programme for BIS Officers on Assaying and Hallmarking

The first residential 'Training of Trainers' programme for BIS Officers on Assaying and Hallmarking was conducted at Cochin on 14-16 February 2011 for BIS officers functioning as auditors for assessment of Assaying & Hallmarking centres drawn from all the regions. The programme was aimed at enhancing the auditing skills of auditors.

Publicity

With Central Assistance grant of ₹ 50 lakhs during 2010-11 for publicity of Gold Hallmarking Scheme through DAVP, under the XIth plan T.V. spots on Hallmarking on Doordarshan and private channels were telecasted during

16 मार्च, 2011 से 31 मार्च 2011 तक टेलीकास्ट किए गए। दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय तथा पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक (संख्या 160) आयोजित किए गए जो तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनिंदा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हॉलमार्किंग के लिए स्थानीय भाषाओं में प्रचार के लिए थे।

16 March 2011 to 31 March 2011. Nukkad Nataks (160 nos.) were organized by SRO and ERO for the Publicity of Hallmarking through local languages in selected Rural and Semi-urban areas of Tamilnadu and West Bengal.

राष्ट्रीय मानकीकरण की पद्धति

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार ने मानकीकरण पद्धति को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय निकाय प्लान योजना अनुमोदित की है जिनके उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i) विभिन्न स्टेकहोल्डरों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकीकरण प्रक्रम में उनके यात्रा खर्चों के निधिकरण द्वारा प्रतिभागिता को बढ़ाना।

ii) नवीनतम प्रौद्योगिक अग्रिमताओं की दृष्टि से वर्तमान मानक अपग्रेड करने तथा नये मानकों के विकास के लिए विभिन्न तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास संगठनों का आर एंड डी गतिविधियों के लिए निधियाँ प्रदान करना।

iii) मानक विकसित करने वाले विभिन्न संगठनों से सूचना एकत्रित करना ताकि उन्हें एक ही बिंदु पर समेकित सामान्य डाटाबेस प्रदान किया जा सके तथा डब्ल्यूटीओ-टीबीटी जाँच बिंदु वेब को विकसित करना ताकि एक बिन्दु से अलग-अलग सूचना दी जा सके।

2010-2011 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियाँ रहीं:

- भा मा ब्यूरो के मानक विकसित करने के लिए विभिन्न तकनीकी समितियों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए संगठनों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 3 आर एंड डी परियोजनाओं को आरंभ किया गया।
- भा मा ब्यूरो तकनीकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 117 तकनीकी समिति के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- आईएसओ अथवा आईईसी तकनीकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 18 तकनीकी समिति के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

National System of Standardization

Central Government of India has approved a Central Sector Plan Scheme for Establishment of a National System of Standardization during XIth Five year plan with following objectives:

i) To increase participation of various stakeholders in international and national standardization process by funding their travel expenses.

ii) To provide funds for R&D activities to various technical/R&D organizations for upgrading existing standards as well as development of new standards in view of latest technological advancements.

iii) To pool in information from various organizations developing standards so as to provide a consolidated common database at a single point and to make WTO-TBT Enquiry point web enabled so as to disseminate information from a single point.

The following were the achievements during 2010-11:

- 2 training programmes for organizations represented in various technical committees of BIS for developing standards were organized.
- 3 R&D projects have been initiated.
- 117 technical committee members were financed for participation in BIS technical committee meetings.
- 18 technical committee members were financed for participation in ISO or IEC technical committee meetings.

- हार्डवेयर और वेब स्पेस की खरीद की गई बेंडविड्थ अपग्रेड किया गया। राष्ट्रीय मानक और नियामक डाटाबेस से संबंधित वेबसाइट विकसित की जाती है। यह पोर्टल विभिन्न उत्पादों का एक विंडो के माध्यम से मानकों और तकनीकी विनियमों से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु मानकों विकसित करने वाले संगठनों की 26 वेबसाइट है।
- डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पर दो जागरुकता कार्यक्रम आयोजित।

- Hardware and Web space purchased. Bandwidth upgraded. Website pertaining to National Standards and Regulatory Database, that is, www.standardsdata.in is developed. This portal has given reference to 26 websites of standards developing organizations to provide information relating to Standards and Technical Regulations for various products through single window.
- Two Awareness Programmes on WTO/ TBT organized.

उपभोक्ता शिक्षा और प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास

यह परियोजना उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक मंत्रालय की ओर से निष्पादित की जा रही है। परियोजना का मूल उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को उन विभिन्न उपभोक्ता विषयों पर शिक्षित, जागरूक एवं प्रशिक्षित करना है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य निरापदता, अस्पताल अपशिष्ट का प्रबंधन एवं प्रहस्तन, सुरक्षित पेय जल, स्वच्छता एवं अपशिष्ट निपटान तथा जन सेवा देने वालों के लिए (आईएस 15700 के अनुसार) इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भा मा ब्यूरो के एनआईटीएस और 6 क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है।

एनआईटीएस को सुदृढ़ करने के कार्यक्रम के अंतर्गत बिल्डिंग के आधुनिकीकरण और एनआईटीएस के ढाँचे को विश्वस्तरीय बनाने का काम शुरू किया गया है। वर्ष 2010–2011के दौरान भा मा ब्यूरो कार्यालयों कोलकाता, मुम्बई, भोपाल, जयपुर, चेन्नई और बंगलौर में 6 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। भा मा ब्यूरो ने ऊपर उल्लिखित विभिन्न विषयों पर 50 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रशिक्षण कार्यकमों में 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

छः राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों (एसआईआरडी) को उपभोक्ता सुरक्षा एवं उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 1.5 लाख रु० की दूसरी एवं अंतिम किस्त दी गई। सात एसआईआरडी (सहायता प्राप्त कुल 24 एटीआई/एसआईआरडी में से) ने 25 प्रशिक्षण कार्यक्रमों आयोजित किए तथा 1000 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रशिक्षित एवं जागरुक किया।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण

यह प्लान योजना प्रगति पर है। अवधि के दौरान कृषि सेक्टर, तकनीकी सेक्टर, प्रबंध सेक्टर, आईटी सेक्टर और खाद्य एवं होटल प्रबंध

Consumer Education and Training, HRD & Capacity Building

The project is being executed on behalf of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. The basic objective of this project is to educate and make Indian consumers aware and trained on various consumer related subjects such as Consumer Protection, Food Safety; Management & Handling of Hospital Waste; Safe Drinking Water, Sanitation & Waste Disposal and Public Service Delivery (as per IS 15700). To attain this object Training Facilities at NITS and 6 ROs/BOs of BIS are being strengthened.

Under the programme for strengthening NITS, the modernization of the building and infrastructure of NITS to make it a world-class facility has been started. During the year 2010-11, 6 training centres were set up in BIS offices at Kolkata, Mumbai, Bhopal, Jaipur, Chennai and Bangalore. 50 Training Programmes were conducted by BIS (NITS/ROs/BOs) on various subjects as indicated above. Over 1000 persons were trained during these training programmes.

Six State Institutes for Rural Developments (SIRDs) were disbursed the second and final instalment of ₹ 1.5 lakhs for conducting Training Programmes on Consumer Protection and Consumer Awareness. Seven SIRDs (out of total 24 ATIs/SIRDs assisted), conducted 25 training programmes and made over 1000 trained and aware consumers.

Human Resource Development/Capacity Building in Educational Institutions under Quality Infrastructure for Consumer Protection

Implementation of the Plan Scheme is under progress. During the period five working groups were constituted

सेक्टर को शामिल करने के लिए पाँच कार्यकारी समूहों का गठन किया गया। वर्ष के दौरान कृषि सेक्टर, आईटी सेक्टर और प्रबंध सेक्टर में पाठ्यक्रम के विकास के लिए कार्यकारी समूह की बैठके हुई हैं।

to cover Agriculture Sector, Technical Sector, Management Sector, IT Sector, and Food and Hotel Management Sector. Working group meetings for development of curriculum in Agriculture Sector, IT Sector and Management Sector took place during the year.

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ

ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) और अंतर्राष्ट्रीय विद्युत-तकनीकी आयोग (आईईसी) के नीति-निर्धारक निकायों और तकनीकी समितियों की गतिविधियों में भाग लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के परिदृश्य में अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। अन्य देशों के साथ क्षेत्रीय और द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की दिशा में भी ब्यूरो ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ)

भारतीय मानक ब्यूरो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ के संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य है और उसने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में सक्रिय भाग लेना जारी रखा। भा मा ब्यूरो आईएसओ के नीति बनाने की निकायों जैसे कि विकासशील देश के विषयों की समिति (डेवको), अनुरूपता मूल्यांकन की समिति (कासको) तथा उपभोक्ता नीति की समिति (कोपोलको) में भी है। आईएसओ समितियों/उपसमितियों में भा मा ब्यूरो की सहभागिता का ब्यौरा निम्नलिखित है:

तकनीकी समितियाँ		*उपसमितियाँ*	
पी-सदस्य	ओ-सदस्य	पी-सदस्य	ओ-सदस्य
90	98	198	220
कुल = 188		**कुल = 418**	
कुल योग = 606			

INTERNATIONAL ACTIVITIES

The Bureau continued its activities in the field of International Standardization by way of active participation in the various activities of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC). The Bureau also continued its activities in the field of regional and bilateral cooperation with other countries. The details of some of the important activities are highlighted below:

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO)

BIS is one of the founder members of the International Organization for Standardization (ISO) and continues to take active part in international standardization. BIS is also member on the policy making bodies of ISO such as the Committee on Developing Country Matters (DEVCO), Committee on Conformity Assessment (CASCO) and Committee on Consumer Policy (COPOLCO). The details of BIS participation in ISO Committees/Subcommittees are as under:

Technical Committees		Sub-committees	
P-Member	O-Member	P-Member	O-Member
90	98	198	220
TOTAL = 188		**TOTAL = 418**	
GRAND TOTAL= 606			

भा मा ब्यूरो के पास 2 तकनीकी समितियों (आईएसओ/टीसी 113 हाइड्रोमीटरी और आईएसओ/टीसी 120 चमड़ा) तथा 6 उपसमितियों का दायित्व भी है।

भा मा ब्यूरो के अनेक अधिकारियों और उद्योग के प्रतिनिधियों ने आईएसओ की विभिन्न तकनीकी और नीतिगत स्तर की बैठकों में भाग लिया जहाँ भारत एक 'सहभागिता पी सदस्य' है और

BIS is also holding Secretarial responsibilities for 2 Technical Committees (ISO/TC 113 Hydrometry and ISO/TC 120 Leather) and 6 Subcommittees.

A number of BIS officers and industry representatives participated in various technical and policy level meetings of ISO where India is

जहाँ भारत के पास सचिवालय का पदनामित उत्तरदायित्व है। आईएसओ तकनीकी समिति (टीसी)/उपसमिति (एससी)/ कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजी) कार्यों में भागीदारी से संबंधित डाटाबेस के प्रबंधन के लिए भा मा ब्यूरो आईएसओ वैश्विक निर्देशिका का सफलतापूर्वक उपयोग भी कर रहा है।

'Participating (P) Member' and continued with the designated responsibilities, wherever India holds the secretariat. BIS has also been successfully utilizing the ISO Global Directory for managing the database with regard to participation in ISO Technical Committees (TCs)/ Sub-committees (SCs)/ Working Groups (WGs) work.

ओस्लो, नार्वे में आईएसओ महासभा—श्री राजीव अग्रवाल, सचिव (उपभोक्ता मामले) उपभोक्ता मामले मंत्रालय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल ने विकासशील राष्ट्रों के मुद्दों की समिति डेवको, तकनीकी प्रबंध बोर्ड (टीएमबी) और आईएसओ महासभा (जीऐ) की 12–17 सितम्बर, 2010 को हुई बैठकों में भाग लिया।

भा मा ब्यूरो द्वारा 19–24 सितम्बर, 2011 के दौरान नई दिल्ली, भारत में आईएसओ महासभा 2011 की मेजबानी की जा रही है।

तकनीकी प्रबंध बोर्ड (टीएमबी)—श्री अलिंदा चंद्रा, अपरमहानिदेशक ने आईएसओ के शीर्षस्थ तकनीकी निकाय आईएसओ तकनीकी प्रबंध बोर्ड की बैठक में 2009–11 अवधि के निर्वाचित सदस्य के रूप में भाग लेना जारी रखा।

क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी (आरएलओ)—भा मा ब्यूरो के महानिदेशक, श्री शरद गुप्ता वर्ष 2010–12 अवधि के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी बने रहे। दक्षिण एशिया क्षेत्र में आठ देश अर्थात भूटान, बंग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत शामिल हैं। क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी के रूप में भा मा ब्यूरो के महानिदेशक ने अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण और सम्बद्ध गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्र के राष्ट्रों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को ज्ञात करने और विश्लेषण करने तथा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण पर जागरुकता पैदा करने के लिए सक्रिय सहयोग देने का दायित्व पूरा किया। इस आरएलओ के कार्यालय को आईएसओ द्वारा अक्तूबर 2010 से बंद कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आईईसी)

आईईसी में राष्ट्रीय प्रतिभागिता को सुदृढ़ किया गया और भा मा ब्यूरो ने आईईसी की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भा मा ब्यूरो विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों/घटकों के प्रमाणन से संबद्ध आईईसीईई, आईईसीक्यू, आईईसीएक्स का भी सदस्य है। आईईसी समितियों/उपसमितियों में जिनमें भारत पी सदस्य है, में ब्यूरो की सक्रिय भागीदारी बनी रही।

ISO General Assembly at Oslo, Norway – An Indian delegation led by Shri Rajiv Agarwal, Secretary (Consumer Affairs), MoCA participated in the meetings of Committee on Developing Country Matters (DEVCO), Technical Management Board (TMB) and ISO General Assembly (GA) held during 12-17 Sep. 2010.

ISO General Assembly 2011 is being hosted by BIS during 19-24 September 2011 in New Delhi, India.

Technical Management Board (TMB) – Shri Alinda Chandra, ADG continued to participate in the meetings of the ISO Technical Management Board (TMB), the apex technical body of ISO, as an elected member for the 2009-2011 term.

Regional Liaison Officer (RLO) - Shri Sharad Gupta, DG, BIS continued to be the Regional Liaison Officer (RLO) for the South-Asia region for the term 2010-2012. The South-Asia region comprises of eight countries, viz., Bhutan, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Iran, Afghanistan, Sri Lanka and India. As the RLO, DG, BIS discharged the responsibility of identifying and analyzing the needs requirements of countries in the region with respect to international standardization and related activities and to contribute actively for raising awareness on international standardization in the region. The office of the RLO has been discontinued by ISO since October 2010.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC)

The national participation in IEC was strengthened and BIS participated actively in the various activities of IEC.

BIS is also member of IECEE, IECQ, IECEx related to certification of electrical and electronic products/ components. Active participation in the IEC Committees/ Sub-committees where India is P member was continued.

- भारतीय प्रतिनिधि दल ने 2010 में सियेटल, यूएसए में हुई आईईसी जनरल बैठक और अन्य संबंधित बैठकों में भाग लिया। परिषद की बैठक के दौरान, आईईसी ने 2013 में भारत में आईईसी जीएम की बैठक को रखने के लिए भारतीय आमंत्रण को स्वीकार किया एवं पुष्टि की।

क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो ने मानकों और अनुरूपता आकलन से जुड़े क्षेत्रों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क और पास्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों पर अनुपालनात्मक कार्रवाई करना जारी रखा।

पास्क: श्री अलिंदा चंद्रा, अपरमहानिदेशक ने 30 मार्च से 3 अप्रैल, 2011 तक थाईलैंड में हुई पास्क की 34वीं बैठक में भा मा ब्यूरो का प्रतिनिधित्व किया। भा मा ब्यूरो मार्च, 2011 में पास्क ईसी का भी सदस्य बन गया है।

सार्क: भा मा ब्यूरो अधिकारियों ने नवम्बर, 2010 में नेपाल में हुई सार्क मानक समन्वयन बोर्ड एसएससीबी की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन बैठकों में व्यापार सुविधा को सुदृढ़ करने के संबंध में मानकों और अनुरूपता आकलन की भूमिका की महत्वपूर्णता पर बल दिया गया।

आगे, भा मा ब्यूरो अधिकारियों ने अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की सार्क बैठक में भी भाग लिया जो 13–14 मार्च, 2011 को ढाका, बंग्लादेश में हुई। बैठक के दौरान अनुरूपता आकलन को मान्यता की बहुपक्षीय व्यवस्था पर मसौदा समझौता और क्षेत्रीय मानकों के कार्यान्वयन पर मसौदा समझौता को अंतिम रूप दिया गया।

द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम

भा मा ब्यूरो-सीआईआई-एएनएसआई के द्विपक्षीय करार के बाद औपचारिक तौर पर मानक पोर्टल जारी किया गया और कार्यशाला/संगोष्ठी आयोजित की गई। भा मा ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के निकट सहयोग से ब्राजील, बंग्लादेश, केन्या, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, ओमान, यूएसए, इजराइल, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, रशिया और सउदी अरब जैसे देश के साथ द्विपक्षीय निकट सहयोग जारी रखा। भा मा ब्यूरो ने वाणिज्य मंत्रालय द्वारा समन्वित ईयू-बीटीआईए वार्ताओं में अपनी भागीदारी भी जारी रखी।

विदेशी शिष्टमंडलों के दौरे

वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों, अन्य राष्ट्रीय मानक निकायों और संबद्ध संस्थानों ने भामा ब्यूरो का दौरा किया और मानकों तथा अनुरूपता आकलन के क्षेत्र में सहयोग के लिए चर्चा की। विभिन्न देशों के मानक निकायों के प्रतिनिधियों के कुछ महत्वपूर्ण दौरे निम्नानुसार थे :

- 10 जून, 2010 को न्यूजीलैंड के शिष्टमंडल ने भामा ब्यूरो का दौरा किया;

- Indian delegation attended IEC General Meeting and other associated meetings held in Seattle, USA in 2010. During the council meeting, IEC accepted and confirmed the Indian invitation to hold IEC GM in 2013 in India.

REGIONAL CO-OPERATION PROGRAMME

BIS continued to take follow-up actions on Regional Cooperation Programmes such as SAARC and PASC in the areas related to Standards and Conformity Assessment.

PASC: Shri Alinda Chandra, Additional Director General, represented BIS in the 34th meeting of PASC held at Bangkok, Thailand from 30 March to 3 April 2011. BIS has also become a member on PASC EC in March 2011.

SAARC: BIS officers participated actively in the meetings of the SAARC Standards Coordination Board (SSCB) held in Nepal in November 2010. The meetings emphasized the importance of the role of the standards and conformity assessment in the context of strengthening of trade facilitation.

Further, BIS officers also participated in the SAARC meeting of Inter Governmental Expert Group held from 13-14 March 2011 at Dhaka, Bangladesh. During the meeting, draft Agreement on Multilateral Arrangement on Recognition of Conformity Assessment and draft Agreement on Implementation of Regional Standards were finalized.

BILATERAL CO-OPERATION PROGRAMMES

Subsequent to the tripartite agreement of BIS-CII-ANSI the Standards Portal was formally launched and workshops/seminars were held. BIS continued to work towards closer bilateral cooperation with countries such as Brazil, Bangladesh, Thailand, Iran, Ethiopia, Singapore, Taiwan, Egypt, Jordan, Ghana, Kenya, Greece, South Korea, Oman, USA, Israel, Uzbekistan, Ukraine, Russia and Saudi Arabia in close association with Ministry of Commerce and Ministry of External Affairs. BIS also continued its participation in the EU-BTIA negotiations coordinated by Ministry of Commerce.

VISIT OF FOREIGN DELEGATES

During the year, various officials from International Standards Bodies, other National Standards Bodies and related organizations visited BIS and held discussions for cooperation in the field of standards and conformity assessment. Some of the important visits from the representatives of the standards bodies of the various countries were as under:

- Delegation from New Zealand visited BIS on 10 June 2010,

- 18 जून, 2010 को नामिबिया का शिष्टमंडल भा मा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला;
- 20 अगस्त, 2010 को इंडोनेशिया के तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 25-26 नवम्बर, 2010 को दक्षिण कोरिया के शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 30 नवम्बर, 2010 को चेकोस्लोवाकिया गणराज्य के दो सदस्यों के शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 10 दिसम्बर, 2010 को जापान के शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 20 जनवरी, 2011 को घाना के शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 27 जनवरी, 2011 को कनाडा के दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 7 फरवरी, 2011 को यूएसए के चार सदस्यीय शिष्टमंडल ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया;
- 21-22 फरवरी, 2011 को आईएसओ के केंद्रीय सचिवालय ने भा मा ब्यूरो का दौरा किया।

डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ बिन्दु

वाणिज्य और उद्योग एमओसी एंड आई मंत्रालय द्वारा यथा नामित भा मा ब्यूरो ने डब्ल्यूटीओ/टीबीटी पूछताछ बिन्दु के रूप में अपने क्रियाकलाप जारी रखे। डब्ल्यूटीओ/टीबीटी करार के अंतर्गत राष्ट्रीय हित के कई मुद्दों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ निकट अंर्तसहयोग बनाए रखा गया। विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं से संबंधित जानकारी को डाउनलोड किया गया और देश में बड़ी संख्या में स्टेकहोल्डरों में उसे बांटा और प्रचारित किया गया। भामा ब्यूरो के स्टेकहोल्डरों/ तकनीकी विभागों के अनुरोध पर देशों के राष्ट्रीय पूछताछ बिन्दु की अधिसूचना के पूरे पाठ को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। स्टेकहोल्डरों के सहायतार्थ विभिन्न देशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं को भा मा ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

भा मा ब्यूरो, डब्ल्यूटीओ से संबंधित सभी विषयों पर वाणिज्य मंत्रालय के संपर्क में रहा और विभिन्न दस्तावेजों तथा डब्ल्यूटीओ मे हुए परामर्शों पर भारत के दृष्टिकोण का निर्धारण करने में सहायक रहा। टीबीटी समझौते से संबंधित विभिन्न विषयों पर वाणिज्य मंत्रालय को आवश्यक सूचना प्रदान की गई।

भारत और विदेशों से संबद्ध हितों की राष्ट्रीय एवं अन्य देशों के मानकों एवं अनुरूपता आकलन पद्धति से संबंधित सभी उपयुक्त प्रश्नों का उचित जवाब दिया गया। इस अवधि के दौरान कुल 1665 टीबीटी अधिसूचनाओं का प्रसार किया गया।

भा मा ब्यूरो अधिकारियों ने डब्ल्यूटीओ, जेनेवा में एनएएमए वार्ताओं में भाग लिया। भारत में मानक सेटिंग प्रोसेस पर जेनेवा में डब्ल्यूटीओ एनएएमए संस्थाओं को प्रस्तुति भी दी गई।

- Delegation from Namibia met with senior officers of BIS on 18 June 2010,
- A three member delegation from Indonesia visited BIS on 20 August 2010,
- Delegation from South Korea visited BIS from 25-26 November 2010,
- Delegation comprising of two members from Czech Republic visited BIS on 30 November 2010,
- Delegation from Japan visited BIS on 10 December 2010,
- Delegation from Ghana visited BIS on 20 January 2011,
- A two member delegation from Canada visited BIS on 27 January 2011,
- A four member delegation from USA visited BIS on 7 February 2011, and
- Delegation from ISO Central Secretariat visited BIS on 21-22 February 2011.

WTO/TBT ENQUIRY POINT

BIS continued to perform its activities as the WTO/TBT Enquiry Point, as designated by Ministry of Commerce & Industry (MoC&I). Close interaction with MoC&I on various issues of National interest under WTO/TBT Agreement was maintained. The information with regard to the Notifications issued by various countries were downloaded, segregated and disseminated to a large number of stakeholders within the country. Arrangements were made for providing the full text of Notifications from the National Enquiry Point of the countries, if the same was requested by stakeholders/technical departments of BIS. The notifications issued by various countries are also being uploaded on the BIS website.

BIS has been interacting with Ministry of Commerce on all issues related to WTO and helping in formulating India's view points on various documents and consultations being held at WTO. Necessary inputs were provided to Ministry of Commerce on various issues relating to TBT Agreement.

All queries pertaining to Standards and Conformity Assessment Systems, both national and of other countries, from concerned interests were suitably replied. A total of 1665 TBT Notifications were disseminated during the period.

BIS officers participated in NAMA negotiations at WTO Geneva. A presentation was also given on Standard Setting Process in India to WTO NAMA members at Geneva.

कम्प्यूटरीकरण और कार्यालय स्वचालन समृद्ध आईटी ढाँचा

क) एनआईसी-मुख्यालय में स्थित भा मा ब्यूरो हार्डवेयर के पुनःस्थापन के लिए प्रस्ताव को प्रारंभ किया गया है।

ख) बेंडविड्थ भा मा ब्यूरो-वीपीएन नेटवर्क की वृद्धि करने के उद्देश्य के लिए, एनआईसी से सम्पर्क किया गया, एनआईसी ने भा मा ब्यूरो के देशभर में विभिन्न कार्यालयों को निकनेट के माध्यम से सम्पर्कता प्रदान करने की सहमति दे दी है।

ग) विभिन्न कार्यालयों की अपेक्षाओं के अनुसार 92 अतिरिक्त कम्प्यूटर, 80 यूपीएस खरीदे गए। भा मा ब्यूरो-मुख्यालय के सभी कम्प्यूटरों में एक नया एंटीवायरस साफ्टवेयर संस्थापित किया गया।

वेबसाइट

क) संबंधित विभागों क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों इत्यादि की इनपुट के आधार पर जानकारी में वृद्धि करके/उसे अद्यतन करके वेबसाइट की विषय सामग्री को समृद्ध और पुर्नडिजाइन किया गया। प्रवर्तन के संशोधित प्रोफार्मा को वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची, डब्ल्यूटीओ-टीबीटी सूचना लाइब्रेरी एडीशन को नियमित तौर पर अद्यतन किया जा रहा है।

ख) एनआईटीएस वेबसाइट पर चार वेब पेज को विकसित करके होस्ट किया गया।

साफ्टवेयर विकास

क) भा मा ब्यूरो अधिकारियों के उपयोग के लिए फ्लाई पर भा मा ब्यूरो प्रकाशनों की वाटरमार्कर्ड प्रति का सृजन करने के उद्देश्य के लिए साफ्टवेयर को विकसित किया गया।

ख) एसेइंग और हॉलमार्किंग केन्द्रों की मान्यता का प्रबंध करने हेतु साफ्टवेयर को भी विकसित किया गया।

मानकों की ई-बिक्री

क) भा मा ब्यूरो ब्रिकी पोर्टल (www.standardsbis.in) में ग्राहकों द्वारा भारतीय मानकों की साफ्ट प्रति को डाउनलोड करने के लिए (₹ 50000 की राशि से अधिक के लिए) पोर्टल के माध्यम से आर्डर देने में सुविधा हेतु डिमांडड्राफ्ट द्वारा भुगतान करने के लिए प्रावधान बनाया गया।

ख) भा मा ब्यूरो के ग्राहकों को डीवीडी पर भारतीय मानकों को लीज करने के उद्देश्य के लिए संविदाकारी के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ग) भा मा ब्यूरो के प्रकाशनों, विषय क्षेत्र की तैयारी और सभी भारतीय मानकों के संदर्भ को डिजीटाइज करने के लिए संविदाकार चुना गया ताकि ये सभी भा मा ब्यूरो के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जा सके ।

वर्कफ्लो अनुप्रयोग का विकास

क) भा मा ब्यूरो के मुख्य कार्यकारी क्षेत्र अर्थात प्रमाणन, मानक निर्माण, प्रवर्तन, प्रयोगशाला और हॉलमार्किंग इत्यादि के वर्कफ्लो अनुप्रयोग के विकास के लिए एनआईसी की मदद से कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।

COMPUTERIZATION AND OFFICE AUTOMATION ENRICH IT INFRASTRUCTURE

a) The proposal for replacement of BIS hardware located at NIC-HQ has been initiated.

b) In order to enhance the bandwidth BIS-VPN Network, NIC was approached. NIC has agreed to provide connectivity through NICNET to various offices of BIS across the country.

c) Additional 92 computers, 80 UPS have been procured as per requirements of various offices. A new antivirus software has been installed in all computers of BIS-HQ.

WEBSITE

a) The content of website has been enriched and redesigned by addition/updation of information based on inputs from concerned departments/ ROs/BOs etc. Revised proformas of enforcement, list of hallmarking centres, WTO-TBT information, Library additions is being updated regularly.

b) Four web pages for NITS website were developed and hosted on NITS website.

SOFTWARE DEVELOPMENT

a) Software was developed to create watermarked copy of BIS publications on the fly for use of BIS officers.

b) Software for managing recognition of assaying and hallmarking centres was also developed.

E-SALE OF STANDARDS

a) Provision made in BIS sales portal (www.standardsbis.in) to enable the customers to make payment through Demand Draft, for order placed through BIS sales portal, for downloading of soft copy of Indian Standards. (For amount more than ₹ 50000/-)

b) Agreement was signed with contractor for the purpose of leasing of Indian Standards on DVD to customers of BIS.

c) A contractor was chosen for digitizing the publications of BIS, preparation of scope and reference of all Indian Standards, so that the same may be made available to customers of BIS.

DEVELOPMENT OF WORKFLOW APPLICATION

a) With the help of NIC steps have been initiated for development of workflow application for major functional areas of BIS viz Certification, Standard Formulation, Enforcement, Labs, and Hallmarking etc.

ख) भा मा ब्यूरो के मुख्य कार्यकारी क्षेत्रों के लिए यूजर ग्रुप सृजित किए गए हैं।

सीएमएमएस पैकेज में सुधार

क) सीएमएमएस अनुप्रयोग में नई विशेषताओं में आवेदन शुल्क रसीद जारी करना और अस्थायी आवेदन की पावती, अस्थायी आवेदन की मॉनिटरिंग, विभिन्न फार्म और रिपोर्ट में लाईसेंस मंजूरी की क्रियाविधि की समाविष्टि, लाइसेंस की मंजूरी की क्रियाविधि, दोहरे संख्या के मानकों की प्रविष्टियाँ इत्यादि शामिल हैं।

ख) किसी भी आवश्यकता के लिए सीएमएमएस बेकअप लेने को सरलीकृत और स्वचालित किया गया।

परियोजना प्रबंध

परियोजना प्रबंध और कार्य विभाग का संबंध मुख्य रूप से भा मा ब्यूरो के नये भवनों के निर्माण सहित सभी इंजीनियरी परियोजनाओं से है।

वर्तमान में विभाग द्वारा निम्नलिखित मुख्य परियोजनाओं का रख-रखाव किया जा रहा है :

क) **राजकोट कार्यालय बिल्डिंग**—वर्तमान में भा मा ब्यूरो का राजकोट कार्यालय किराये की बिल्डिंग में कार्य कर रहा है। अब ब्यूरो द्वारा अपने कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए राजकोट नगर निगम से 861.5 वर्ग मीटर मापन का प्लॉट प्राप्त किया गया है। यह बिल्डिंग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, राजकोट द्वारा योजना की अग्रिम अवस्था में है।

ख) **उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ बिल्डिंग**—भा मा ब्यूरो ने हाल ही में उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय बिल्डिंग के निर्माण के लिए चंडीगढ में संघ-राज्य क्षेत्र से 5372.9 वर्ग यार्ड मापन का एक प्लाट प्राप्त किया है। यह बिल्डिंग परियोजना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, चंडीगढ द्वारा योजना के अंतर्गत है।

ग) **जम्मू कार्यालय की बिल्डिंग**—भा मा ब्यूरो का जम्मू कार्यालय उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय परिसर चंडीगढ के अंतर्गत कार्य कर रहा है। अब जम्मू एवं काश्मीर क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भा मा ब्यूरो ने जम्मू-कश्मीर एसआईडीओ से प्राप्त प्लाट पर अपने जम्मू कार्यालय बिल्डिंग का निर्माण करने की योजना बनाई है। यह बिल्डिंग केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, जम्मू द्वारा योजना के अंतर्गत है।

घ) **भा मा ब्यूरो मुख्यालय में केंद्रीय वायु प्रशीतन और ई एंड एम सेवा का उन्नयन**—यह परियोजना केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादन के अधीन है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा परियोजना डिजाइन और योजना के पूर्ण होने के उपरांत उनके द्वारा निष्पादन के लिए विभिन्न संविदाकारों की नियुक्ति के लिए कार्य को निविदा करने का प्रक्रम प्रगति में है।

b) User groups have been created for major functional areas of BIS.

IMPROVEMENTS IN CMMS PACKAGE

a) The new features in CMMS application include issue of application fee receipt and acknowledge for temporary application, monitoring of temporary application, incorporation of procedure for grant of licenses in various forms and reports, procedure for grant of license, entries of dual numbered standards etc.

b) The process of taking CMMS backup for any exigency has been simplified and automated.

PROJECT MANAGEMENT

The Project Management & Works department mainly deals with all engineering projects including construction of new buildings of BIS.

The following major projects are being handled by the department at present:

a) **Rajkot Office Building**—At present BIS Rajkot Branch Office is functioning in a rented building. Now a plot measuring 861.5 sq.m has been acquired by the Bureau from Rajkot Municipal Corporation for construction of it's own office building. The building is in advance stage of planning by CPWD, Rajkot.

b) **NRO Chandigarh Building**—BIS has recently acquired a plot measuring 5372.9 sq.yards from U T Administration at Chandigarh for construction of Northern Regional Office Building. The building project is under planning by CPWD, Chandigarh.

c) **Jammu Office Building**—Jammu Office of the Bureau has been functioning in NRO premises at Chandigarh. Now to encourage industrial activities in J & K Region, BIS has planned to construct its Jammu Office Building at Jammu on a plot acquired from JKSIDCO. The building is under planning by CPWD, Jammu.

d) **Central Air-conditioning and Up-gradation of E & M Services at BIS HQs**—The project is under execution through CPWD. After completing design and planning of the project by CPWD, the process of tendering the work for appointment of various contractors for execution is under progress by them.

मानव संसाधन विकास

दिनांक 31 मार्च, 2011 को भा मा ब्यूरो में कुल 1639 व्यक्ति कार्यरत थे। वर्ष 2010-2011 के दौरान भा मा ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों में कार्मिकों की तैनाती नीचे दी गई है :

गतिविधि	31 मार्च 2011 तक कार्मिकों की श्रेणीवार तैनाती		
	क	क (नॉन-कैडर) एवं ख, ग, घ	कुल
कॉरपोरेट	18	33	51
मानक निर्धारण	66	96	162
प्रमाणन	278	675	953
प्रयोगशालाएँ	49	94	143
तकनीकी सहायता सेवाएँ	23	154	177
प्रशासन एवं वित्त	2	148	150
प्रतिनियुक्ति		3	3
योग	**436**	**1203**	**1639**

दिनांक 31 मार्च, 2011 के अनुसार समूहवार संख्या इस प्रकार है :

समूह	अनुसूचित जाति/अनु०ज०जा०/ अन्य पिछड़े वर्गों/विकलांगों/ एक्ससर्विसमैन का प्रतिनिधित्व	कुल
क	112	439
क (नॉन-कैडर)	12	31
ख	127	491
ग	126	378
घ	137	300
Total	**514**	**1639**

कर्मचारी कल्याण

भा मा ब्यूरो की अपने कर्मचारियों के लिए समूह बीमा योजना, हॉली डे होम, डॉक्टर की सेवाएँ, रिफ्रेशमेंट कूपन, बाल छात्रवृत्ति योजना जैसी कल्याण सुविधाएँ जारी रखी गई हैं।

अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए वर्तमान में मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन निम्नलिखित हॉली डे होम अस्तित्व में हैं:

क) भा० मा० ब्यूरो मुख्यालय — शिमला

ख) उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय — मनाली

ग) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय — पुरी

घ) दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय — कोडईकनाल

ङ) पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय — खंडाला

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

As on 31 March 2011, a total of 1639 persons were on roll in BIS. The deployment of personnel in the various activities of BIS during 2010-11 is given below:

Activity	Group-wise Deployment of Personnel as on 31 March 2011		
	A	A (Non Cadre) & B, C, D	Total
Corporate	18	33	51
Standards Formulation	66	96	162
Certification	278	675	953
Laboratories	49	94	143
Technical Support Services	23	154	177
Administration and Finance	2	148	150
On Deputation		3	3
Total	**436**	**1203**	**1639**

As on 31 March 2011, the Group-wise strength is as under:

Group	SC/ST/OBC/PH/Ex Ser. REPRESENTATION	Total
A	112	439
A (Non cadre)	12	31
B	127	491
C	126	378
D	137	300
Total	**514**	**1639**

STAFF WELFARE

Welfare measures adopted by BIS for its employees such as Group Insurance Scheme, facility of Holiday Homes, Doctor Services, refreshment coupons, Children Scholarship Scheme etc. were continued.

Presently the following Holiday Homes are functional under Headquarters and Regional Offices as a welfare measure for its employees:

a) BIS HQ – Shimla

b) NRO – Manali

c) ERO – Puri

d) SRO – Kodaikanal

e) WRO – Khandala

भा मा ब्यूरो कार्मिकों को प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास के लिए भा मा ब्यूरो ने अपने प्रयास जारी रखे। मानव संसाधन के विकास के एक अंग के रूप में भा मा ब्यूरो के कार्मिकों को एनआईटीएस में आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें (भारत में) विभिन्न अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेज कर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है।

TRAINING OF BIS PERSONNEL

BIS continued to make its efforts on development of human resource. As a part of the development of human resource, BIS personnel are imparted training through in-house training programmes at NITS and also by deputing them to the training programmes being organized by various agencies (within India).

वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा

लगातार बाईसवें वर्ष अर्थात् 2010-2011 में भी भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) ने भारत सरकार की किसी बजटीय सहायता के बिना अपना व्यय तथा देयताएं स्वयं पूरी कर आत्मनिर्भर बना रहा। वर्ष 2010-2011 के दौरान कुल आय (ब्याज को छोड़कर) ₹ 22624.16 लाख थी जबकि गत वर्ष यह ₹ 19811.03 लाख थी जिसके परिणामस्वरूप 14.20% की वृद्धि हुई। इस आय में सबसे बड़ा हिस्सा आईएसआई प्रमाणन मुहर शुल्क का था जो गत वर्ष के ₹ 17376.40 लाख की तुलना में ₹ 20012.25 लाख रहा अर्थात् 15.17% की वृद्धि हुई। ऐसा लाइसेंसों की संख्या 22526 (31-03-2010 को) से बढ़ कर 24145 (31-03-2011) होने के कारण हुआ।

वर्ष 2010-2011 के दौरान कुल व्यय ₹ 15401.71 लाख हुआ, जबकि 2009-2010 में यह ₹ 15338.88 लाख था और इसमें 0.41% की वृद्धि हुई। 2009-2010 में जब वेतन आयोग की दूसरी किस्त के बकाया राशि का भुगतान किया गया तब 2010-2011 में वेतन एवं भत्ते कम थे। तथापि अन्य प्रशासनिक खर्चे में भी वृद्धि हुई।

कार्यकारी समिति की 17-05-2010 को हुई 94वीं बैठक में लिए गए निर्णयानुसार ₹ 8255.15 लाख की राशि (अर्थात् कुल ₹ 15401.71 लाख का व्यय निकाल कर कुल ₹ 23656.86 लाख की आय) को आय एवं व्यय लेखा में "पेंशन/ग्रैच्युटी देयता निधि लेखा में कमी में अंशदान" की शक्ल में प्रभारित किया गया।

FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

For the Twenty second consecutive years that is 2010-11, Bureau of Indian Standards (BIS) continued to be self reliant in meeting its expenditure and other liabilities. Total income (excluding income from investment) during the year 2010-11 was ₹ 22624.16 lakhs against ₹ 19811.03 lakhs in the previous year resulting in an increase of 14.20% The largest contribution to the income was from ISI Certification Marking Fee which stood at ₹ 20012.25 lakhs against ₹ 17376.40 lakhs in the previous year that is an increase of 15.17%. This is due to increase in number of operative licences from 22526 (as on 31.3.2010) to 24145 (as on 31.3.2011).

The total revenue expenditure during the year 2010-11 stood at ₹ 15401.71 lakhs as against ₹ 15338.88 lakhs during 2009-10 registering an increase of 0.41%. The Pay & Allowances in 2010-11 were lesser as the payment of second instalment of arrears of Sixth Pay Commission was paid in 2009-10. However there is an increase in other Administrative Expenses.

In consonance with the decision of the Executive Committee taken in its 94th meeting held on 17.5.2010, the amount of ₹ 8255.15 lakhs (that is total income of ₹ 23656.86 lakhs LESS total operating expenditure of ₹ 15401.71 lakhs) has been charged to Income & Expenditure Account as "Contribution towards Shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account" and credited to "Pension/Gratuity Liability Fund Account".

वर्ष 2009-2010 की तुलना में 2010-2011 के दौरान आय और व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :
A Comparative Statement of Income & Expenditure during the year 2010-11 vis-a-vis 2009-10 is as under:

(₹ लाख में/₹ in lakhs)

		2010-11	2009-10	वृद्धि/गिरावट Increase/Decrease (%)
	आय INCOME			
1	बिक्री/सेवाओं से आय Income from Sales/Services	21310.96	18761.14	13.59
2	शुल्क/अंशदान Fees/Subscription	205.87	200.03	2.92
3	रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय Income from Royalty, Publications etc	945.35	735.14	28.59
4	अन्य आय Other Income	161.98	114.72	41.20
	उप-योग/Sub-Total	**22624.16**	**19811.03**	14.20
5	निवेशों से आय Income from Investment	1032.70	2539.33	
	योग/TOTAL	**23656.86**	**22350.36**	
	व्यय EXPENDITURE			
1	स्थापन व्यय Establishment Expenses	10198.56	11144.16	(-)8.49
2	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि Other Administrative Expenses etc	4865.94	3894.17	24.95
3	अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय Expenditure on Gants, Subsidies etc	—	—	
4	मूल्यह्रास Depreciation	337.21	300.55	12.20
	उप-योग/Sub-Total	**15401.71**	**15338.88**	0.41
5	पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान Contribution towards Shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund A/c	8255.15	7011.48	
	योग/TOTAL	**23656.86**	**22350.36**	
	पूंजीगत निधि में अग्रनीत अधिशेष Surplus carried to Capital Fund	—	—	

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2011 का पक्का चिट्ठा BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2011

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

	अनुसूची SCHEDULE	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
कार्पस निधि एवं देनदारियाँ CORPUS FUND AND LIABILITIES			
कार्पस/पूंजी निधि Corpus/Capital Fund	1	2,45,18,35,662	2,44,90,79,352
रिजर्व और निधियाँ Reserves & Surpluses		—	—
उद्दिष्ट/अक्षय निधि Earmarked/Endowment Fund	2	7,22,63,79,525	5,93,82,82,006
प्रतिभूत ऋण और उधार Secured Loans and Borrowings		—	—
अप्रतिभूत ऋण और उधार Unsecured Loans and Borrowings		—	—
आस्थगित क्रेडिट देनदारियाँ Deferred Credit Liabilities		—	—
वर्तमान देनदारियाँ और प्रावधान Current Liabilities and Provisions	3	7,73,99,679	6,13,05,940
योग Total		**9,75,56,14,866**	**8,44,86,67,298**
परिसम्पत्तियाँ ASSETS			
अचल परिसम्पत्तियाँ Fixed Assets	4	79,95,36,139	46,18,17,755
निवेश : उद्दिष्ट अक्षय निधि Investments : from Earmarked/Endowment Funds	5	1,52,16,97,059	1,42,20,11,537
निवेश : अन्य Investments : Others	6	—	—
वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि Current Assets, Loans, Advances etc	7	7,43,43,81,668	6,56,48,38,006
विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न करने तक) Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		—	—
योग Total		**9,75,56,14,866**	**8,44,86,67,298**
सार्थक लेख सम्बन्धी नीतियां Significant Accounting Policies	16		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा पर टिप्पणियाँ Contingent Liabilities and Notes on Accounts	17		
निवेश का विवरण Details of Investment	18		

हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-	हस्ता/- Sd/-
(शरद गुप्ता)	**(अल्का पंडा)**	**(एच. आर. आहूजा)**	**(वी. पी. गोयल)**
(SHARAD GUPTA)	**(ALKA PANDA)**	**(H.R. AHUJA)**	**(V.P. GOEL)**
महानिदेशक	अपर महानिदेशक	उपमहानिदेशक (वित्त)	निदेशक (लेखा)
Director General	Addl. Director General	Dy. Director General (Finance)	Director (Accounts)

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 2 — उद्दिष्ट/अक्षय निधि SCHEDULE 2 — EARMARKED/ENDOWNMENT FUNDS

	हालमार्किंग केन्द्रों को स्थापित करने की योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले में मंत्रालय से सहायता- Assistance from MOCA under scheme for setting up of Hallmarking Centres	उपभोक्ता संरक्षण के लिए परियोजना गुणता आधारभूत ढांचे के अंतर्गत उपभोक्ता मामले मंत्रालय से सहायता (ग्यारहवीं योजना) Assistance from MOCA under the Project: Quality Infrastructure for consumer protection (XIth Plan)	सी.डब्ल्यू.एफ. के अंतर्गत उपभोक्ता मंत्रालय से सहायता Assistance from MOCA under C.W.F.	अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मंत्रालय से अनुदान Grant from Ministry of Non-Conventional Energy Sources	सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	नई पेंशन योजना New Pension Scheme	पेंशन ग्रेच्यूटी देयता लेखा Pension/Gratuity Liability Fund Account	योग TOTALS	
								चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क) निधियों का रोकड़ शेष a) Opening balance of the funds	5,325,774	43,666,092	412,070	334,357	914,795,978	20,967,199	4,952,780,536	5,938,282,006	4,954,512,018
ख) निधियों में जमा b) Additions to the Funds:									
i) सहायता/अनुदान Assistance/Grants	5,000,000	18,439,000						23,439,000	47,800,000
ii) निधि खाते से किए गए निवेशों पर ब्याज से आय Income from Interest on Investments made on account of funds	181,450	764,326	4,583		73,824,720	956,614	551,583,040	627,314,733	493,946,266
iii) अन्य जमा Other Additions:									
– संबद्ध निधि में अंशदान – Contribution to the respective fund					161,148,556	8,213,800	82,222,177	251,584,533	276,645,009
– पेंशन / ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी में अंशदान – Contribution towards shortfall in Pension/ Gratuity Liability Fund A/c							825,515,271	825,515,271	701,148,225
योग (क+ख) TOTAL (a+b)	**10,507,224**	**62,869,418**	**416,653**	**334,357**	**1149,769,254**	**30,137,613**	**6,412,101,024**	**7,666,135,543**	**6,474,051,518**
ग) निधियों के उद्देश्यों के लिए उपयोग/खर्च : c) Utilization/ Expenditure towards objectives of funds:									
i) पूंजीगत खर्च – अचल संपत्तियाँ Capital Expenditure – Fixed Assets		2,415,573		334,357				2,749,930	2,206,128
ii) राजस्व खर्च Revenue Expenditure :									
– कर्मचारियों/पेंशनरों को भुगतान – Payments to employees/pensioners					108,620,830	27,394,371	268,195,851	404,211,052	516,809,134
– हालमार्किंग केन्द्रों को सहायता – Assistance to Hallmarking Centres	2,800,302							2,800,302	7,692,409
– आर एंड डी परियोजना R&D Projects		10,574,100						10,574,100	0
– अन्य राजस्व खर्च Other Revenue Expenditure	6,047,359	13,373,275						19,420,634	9,061,841
कुल राजस्व खर्च Total Revenue Expenditure	8,847,661	23,947,375	0	0	108,620,830	27,394,371	268,195,851	437,006,088	533,563,384
योग (ग) TOTAL (c)	**8,847,661**	**26,362,948**	**0**	**334,357**	**108,620,830**	**27,394,371**	**268,195,851**	**439,756,018**	**535,769,512**
वर्ष के अंत में निवल शेष (क + ख – ग) NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a + b – c)	**1,659,563**	**36,506,470**	**416,653**	**0**	**1,041,148,424**	**2,743,242**	**6,143,905,173**	**7,226,379,525**	**5,938,282,006**

31 मार्च 2011 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

(राशि ₹ में Amount in ₹)

अनुसूची 3 — चालू देनदारियाँ और उपबंध SCHEDULE 3 — CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
क) चालू देनदारियाँ **A) CURRENT LIABILITIES**		
1. सामान और सेवाओं के लिए फुटकर लेनदारियाँ : Sundry Creditors for Goods and Services :		
क) अंतःदेशीय a) Inland	**39,298,451**	22,166,486
ख) विदेश b) Abroad	**11,725,606**	8,760,420
2. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम : Advances received from Customers :		
क) बिक्री a) Sales	**707,645**	576,022
ख) प्रमाणन b) Certification	**4,253,633**	7,549,213
3. सांविधिक देनदारियाँ: Statutory Liabilities:		
अन्य – देय सेवाकर Others – Service Tax Payable	**900,423**	760,726
4. अन्य चालू देनदारियाँ: Other Current Liabilities:		
क) बयाना/धारण मूल्य a) Earnest Money/Retention Money	**18,323,636**	18,125,643
ख) लेखा देय कर्मचारी b) Accounts Payable Employees	**791,281**	1,968,198
ग) गुजरात सरकार (एबीओ बिल्डिंग लेखा) c) Govt. of Gujarat (ABO Building A/c)	**1,399,004**	1,399,232
योग (क) Total (A)	**77,399,679**	61,305,940
ख) उपबंध **B) PROVISIONS**	—	—
योग (क+ख) Total (A+B)	**77,399,679**	61,305,940

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2011 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 4 — विवरण SCHEDULE 4 — DESCRIPTION

		सकल ब्लाक GROSS BLOCK				मूल्य ह्रास DEPRECIATION				निवल ब्लाक NET BLOCK	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation As at beginning of the year	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation at the year end	वर्ष के दौरान प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान कटौती पर On Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती पर On Deductions during the year	वर्ष के अंत में योग Total up to the year-end	चालू वर्ष के अंत तक As at the Current year-end	पूर्व वर्ष के अंत तक As at the Previous year-end
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	क. स्थायी परिसम्पत्तियाँ: A. FIXED ASSETS:										
1.0	**भूमि LAND:**										
1.1	भूमि-जम्मू Land-Jammu	49,467	0	0	49,467	0	0	0	0	49,467	49,467
1.2	भूमि-राजकोट Land-Rajkot	41,096,467	0	0	41,096,467	0	0	0	0	41,096,467	41,096,467
1.3	भूमि-गुवाहटी Land-Guwahati	21,643,849	0	0	21,643,849	0	0	0	0	21,643,849	21,643,849
1.4	भूमि-चंडीगढ़ Land-Chandigarh	0	341,281,348	0	341,281,348	0	0	0	0	341,281,348	0
	योग (1) TOTAL (1)	**62,789,783**	**341,281,348**	**0**	**404,071,131**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404,071,131**	**62,789,783**
2.0	**भवन BUILDING**										
2.1	मुख्यालय, दिल्ली Headquarters, Delhi	14,608,101	0	0	14,608,101	11,869,963	275,074	0	12,145,037	2,463,064	2,738,138
2.2	चेन्नई-I Chennai-I	1,133,556	0	0	1,133,556	951,027	16,283	0	967,310	166,246	182,529
2.3	चेन्नई-II Chennai-II	9,262,130	0	0	9,262,130	6,756,614	250,552	0	7,007,166	2,254,964	2,505,516
2.4	केन्द्रीय प्रयोगशाला, साहिबाबाद Central Laboratory, Sahibabad	14,365,960	0	0	14,365,960	11,516,663	284,930	0	11,801,593	2,564,367	2,849,297
2.5	मुम्बई Mumbai	7,674,627	0	0	7,674,627	5,078,261	223,247	0	5,301,508	2,373,119	2,596,366
2.6	कोलकाता-I Kolkata-I	3,112,636	0	0	3,112,636	2,495,343	42,051	0	2,537,394	575,242	617,293
2.7	कोलकाता-II Kolkata-II	10,033,560	0	0	10,033,560	6,442,270	305,129	0	6,747,399	3,286,161	3,591,290
2.8	मुख्यालय की बिल्डिंग का विस्तार – मानक भवन में आडिटोरियम Ext.of HQ Building – Auditorium in Manak Bhawan	1,442,902	0	0	1,442,902	1,258,998	18,576	0	1,277,574	165,328	183,904
2.9	नौएडा में प्रशिक्षण संस्थान Training Institute at Noida	111,232,700	0	0	111,232,700	38,282,839	2,519,986	0	40,802,825	70,429,875	72,949,861
2.10	भोपाल Bhopal	15,882,997	0	0	15,882,997	9,410,786	647,221	0	10,058,007	5,824,990	6,472,211
2.11	जयपुर Jaipur	46,208,680	0	0	46,208,680	10,816,595	2,039,481	0	12,856,076	33,352,604	35,392,085
2.12	फरीदाबाद Faridabad	13,388,106	0	0	13,388,106	7,442,377	594,917	0	8,037,294	5,350,812	5,945,729
2.13	बैंगलुरु Bengaluru	140,025,320	0	0	140,025,320	2,193,940	1,974,546	0	4,168,486	135,856,834	137,831,380
2.14	आवसीय फ्लैट Residential Flats	62,296,310	0	0	62,296,310	32,869,368	1,471,347	0	34,340,715	27,955,595	29,426,942
	योग (2) TOTAL (2)	**450,667,585**	**0**	**0**	**450,667,585**	**147,385,044**	**10,663,340**	**0**	**158,048,384**	**292,619,201**	**303,282,541**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

31 मार्च 2011 को पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 4 — विवरण SCHEDULE 4 — DESCRIPTION

		सकल ब्लाक GROSS BLOCK				मूल्य ह्रास DEPRECIATION				निवल ब्लाक NET BLOCK	
		वर्ष के प्रारंभ में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation As at beginning of the year	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती Deductions during the year	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन Cost/Valuation at the year end	वर्ष के दौरान प्रारंभ में As at the beginning of the year	वर्ष के दौरान कटौती पर On Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती पर On Deductions during the year	वर्ष के अंत में योग Total up to the year-end	चालू वर्ष के अंत तक As at the Current year-end	पूर्व वर्ष के अंत तक As at the Previous year-end
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.0	**संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर PLANT, MACHINERY AND EQUIPMENTS**										
3.1	प्रयोगशाला उपस्कर – योजना निधि Laboratory Equipment – Plan Funds	143,207,701	0	1,280,832	141,926,869	138,823,554	606,323	1,258,924	138,170,953	3,755,916	4,384,147
3.2	प्रयोगशाला उपस्कर – भा मा ब्यूरो निधि Laboratory Equipment – BIS Funds	60,143,408	10,190,176	1,400,799	68,932,785	23,314,388	6,782,133	272,904	29,823,617	39,109,168	36,829,020
3.3	रिप्रोग्राफीय और जीरॉक्स उपस्कर Reprographic and Xerox Equipment	55,986	0	0	55,986	55,876	17	0	55,893	93	110
3.4	मुख्यालय बिल्डिंग का विस्तार–अग्नि शमन योजना Ext.of HQ Building – Fire Fighting Project	2,801,090	0	0	2,801,090	2,545,506	29,308	0	2,574,814	226,276	255,584
3.5	विश्व बैंक परियोजना उपस्कर World Bank Project Equipment	24,998,624	0	0	24,998,624	21,803,759	453,893	0	22,257,652	2,740,972	3,194,865
3.6	अग्नि सुरक्षा उपायों का परिवर्धन Additional Fire Safety Measures	3,255,717	0	0	3,255,717	2,443,141	121,886	0	2,565,027	690,690	812,576
3.7	प्रयोगशाला उपस्कर (अनुदान – एन सी ई एस मंत्रालय) Laboratory Equipments (Grant – Min. of NCES)	1,315,643	334,357	0	1,650,000	449,942	152,273	0	602,215	1,047,785	865,701
	योग (3) TOTAL (3)	**235,778,169**	**10,524,533**	**2,681,631**	**243,621,071**	**189,436,166**	**8,145,833**	**1,531,828**	**196,050,171**	45,670,900	**46,342,003**
4.0	**वाहन VEHICLES**	3,287,043	0	0	3,287,043	2,400,137	132,030	0	2,532,167	754,876	886,906
5.0	**फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर परिधीय FURNITURE, OFFICE EQUIPMENTS &COMPUTER PERIPHERALS**										
5.1	फर्नीचर, कार्यालय उपस्कर और कम्प्यूटर परिधीय Furniture, Office Equipments & Computer Peripherals	134,405,401	20,561,264	5,358,867	149,608,798	102,334,598	12,460,611	2,469,768	112,325,441	37,283,357	32,071,803
5.2	एकीकृत कम्प्यूटीकरण परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर (एनआईसी) Computers under Integrated Computerization Project (NIC)	80,592,882	0	1,024,110	79,568,772	80,120,546	266,276	1,022,189	79,364,633	204,139	472,336
5.3	एन आई टी एस पर सी डब्ल्यू एफ में से परिसम्पत्तियाँ Assets out of CWF at NITS	11,215,824	0	0	11,215,824	6,754,482	508,233	0	7,262,715	3,953,109	4,461,342
5.4	अचल परिसम्पत्तियाँ – ग्यारहवीं योजना Fixed Assets – XIth Plan	3,258 693	2,415,573	0	5,674,266	573,460	870,578	0	1,444,038	4,230,228	2,685,233
	योग (5) TOTAL (5)	**229,473,800**	**22,976,837**	**6,382,977**	**246,067,660**	**189,783,086**	**14,105,698**	**3,491,957**	**200,396,827**	**45,670,833**	**39,690,714**
6.0	**पुस्तकालय की पुस्तकें LIBRARY BOOKS**	23,935,684	697,446	0	24,633,130	23,717,272	674,056	0	24,391,328	241,802	218,412
	क) चालू वर्ष का योग A) TOTAL OF CURRENT YEAR	**1,005,932,064**	**375,480,164**	**9,064,608**	**1,372,347,620**	**552,721,705**	**33,720,957**	**5,023,785**	**581,418,877**	**790,928,743**	**453,210,359**
	पूर्व वर्ष का योग PREVIOUS YEAR	815,918,308	193,980,105	3,966,349	1,005,932,064	552,721,705	0	0	552,721,705		
	ख) प्रगति में पूंजीगत कार्य B) CAPITAL WORK IN PROGRESS									**8,607,396**	**8,607,396**
	योग (क + ख) TOTAL (A + B)									**799,536,139**	**461,817,755**

31 मार्च 2011 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 5 — उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निवेश SCHEDULE 5 — INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUND	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	244,635,849	179,499,358
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	123,567,076	117,863,625
3. डिबेंचर और बंधपत्र Debentures and Bonds	840,785,540	811,939,960
4. आरबीआई विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,708,594
5. अन्य जमा – सावधि जमा Other Deposits – Fixed Deposits	—	—
योग TOTAL (1)	**1,521,697,059**	**1,422,011,537**
प्रत्येक उद्दिष्ट/अक्षय निधि के प्रति अनुसूची 5 में दिये गये निवेश निम्नानुसार हैं: The Investments given in Schedule 5 held against each earmarked/endowment fund are as under:		
1. पेंशन देयता निधि लेखा Pension Liability Fund Account		
1.1 डिबेंचर और बंध-पत्र Debentures and Bonds	576,455,400	576,455,400
2. कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund of Employees :		
2.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	244,635,849	179,499,358
2.2 राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government Securities	123,567,076	117,863,625
2.3 डिबेंचर और बंध-पत्र Debentures and Bonds	264,330,140	235,484,560
2.4 आरबीआई विशेष जमा RBI Special Deposits	312,708,594	312,708,594
2.5 जमा अन्य Other Deposits	—	—
योग (2) TOTAL (2)	**945,241,659**	**845,556,137**
योग (1)+(2) TOTAL (1)+(2)	**1,521,697,059**	**1,422,011,537**

अनुसूची 6 — निवेश – अन्य SCHEDULE 6 — INVESTMENTS – OTHERS	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. निवेश – अन्य (कार्पस/पूंजीगत निधि से सामान्य निवेश) Investment – Others (General Investments towards the Corpus/Capital Fund)	—	—
योग TOTAL	—	—

31 मार्च 2011 का पक्के चिट्ठे की अनुसूची का भाग
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2011

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 7 — चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि SCHEDULE 7 — CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
क. चालू परिसम्पत्तियाँ A. CURRENT ASSETS		
1. वस्तुसूची Inventories		
क) प्रयोगशाला उपकरण और स्टोर का समान a) Laboratory apparatus and stores	1,318,330	1,384,583
ख) लेखन सामग्री और कैंटीन b) Stationery and Canteen	3,685,985	2,224,120
ग) मरम्मत एवं रख-रखाव उपभोग्य सामग्री c) Repair & Maintenance Consumables	908,018	1,183,881
घ) स्वर्ण आभूषण d) Gold Jewellery	762,018	762,018
योग (1) Total (1)	**6,674,351**	5,554,602
2. फुटकर लेनदारियाँ Sundry Debtors		
क) प्रकाशनों की बिक्री a) Sale of Publications:		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	1,284,478	1,448,060
ii) अन्य others	101,330	8,548
ख) प्रमाणन b) Certification:		
i) छह माह से अधिक Exceeding six months	3,419,506	3,649,549
ii) अन्य Others	12,541,147	6,769
ग) वसूली योग्य लेखा c) Accounts Recoverable		
i) वसूली योग्य लेखा (कर्मचारी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.13 देखें) Accounts Recoverable (employees) (see Note No. 2.13 of Schedule 17)	245,255	307,427
ii) सरकारी विभागों (एमओएफ, एमईए एवं एमसीए) से वसूली योग्य Recoverable from Government Departments(From MOF, MEA & MCA)	5,164,929	5,367,054
iii) वसूली योग्य लेखा (अन्य) (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.12 देखें) Accounts Recoverable (Others) (see Note No. 2.12 of Schedule 17)	23,811,617	14,324,055
योग (2) Total (2)	**46,568,262**	25,111,462
3. हाथ में रोकड़ शेष (अग्रदाय सहित) Cash Balance In Hand (Including Imprest)	629,117	655,566
4. बैंक में शेष Bank Balances		
क) अनुसूची बैंकों में a) With Schedule Banks		
i) चालू खातों में On Current Accounts	89,518,971	93,251,671
ii) बचत खातों में On Saving Accounts	63,958,544	37,721,553
iii) जमा खातों में (सावधि जमा) On Deposit Accounts (Fixed Deposits)		
क) निवेश – ईयरमार्क निधि A) Investment – Earmarked Funds:		
I) सामान्य भविष्य निधि General Provident Fund	48,980,000	27,000,000
II) अहमदाबाद शाखा कार्यालय भवन परियोजना खाता ABO Building Project A/c	1,300,000	1,300,000
III) नई पेंशन योजना निधि खाता New Pension Scheme Fund A/c	2,743,242	20,967,199
IV) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाता Pension/Gratuity Liability Fund A/c	5,567,449,773	4,376,325,136
ख) निवेश – अन्य (कार्पस/पूंजीगत निधि की ओर सामान्य निवेश) B) Investment – Others (General Investments towards Corpus/Capital Fund)	926,160,361	924,671,232
योग (4) Total (4)	**6,700,110,891**	5,481,236,791
5. चैक हस्तांतरण में Cheques in Transit	0	572,196
6. फ्रैंकिंग मशीन शेष Franking Machine Balance	137,684	221,645
योग (क) TOTAL (A)	**6,754,120,305**	5,513,352,262

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

अनुसूची 7 — चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि SCHEDULE 7 — CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
ख. चालू परिसम्पत्तियाँ तथा अन्य परिसंपत्तियाँ B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. स्टाफ को ऋण Loans to Staff for		
i) वाहन खरीद के लिए Purchase of Conveyance	5,509,993	6,785,703
ii) आवास निर्माण के लिए House Building	13,631,446	16,620,276
iii) कम्प्यूटर के लिए Computer	2,621,287	2,380,212
योग (1) Total (1)	**21,762,726**	25,786,191
2. अग्रिम और वसूली योग्य अन्य राशियाँ अथवा प्राप्त की जाने वाली राशि Advance and other amounts recoverable or for value to be received		
क) बाहरी पार्टियों को पूंजीगत लेखा और अन्य a) On Capital Account & others to outside parties:		
i) एकीकृत कम्प्यूटीकरण परियोजना (एनआईसी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.9 देखें) Integrated Computerization Project (NIC) (see Note No.2.9 of Schedule 17)	4,945,846	4,945,846
ii) एसी परियोजना–के.लो.नि.वि. (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.10 देखें) AC Project – CPWD (see Note No. 2.10 of Schedule17)	2,000,000	2,000,000
iii) भूमि चंडीगढ़ Land Chandigarh	—	82,466,340
iv) अन्य (क्षे. कार्या./शा. कार्या./मुख्यालय) Others (Ros/Bos/HQ)	13,217,730	11,688,889
v) उपभोक्ता कल्याण निधि (एनबीसीसी) Consumer Welfare Fund (NBCC)	332,260	332,260
vi) 11वीं योजना परियोजना स्कीम (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.7 देखें) XIth Plan Project Schemes (see Note No. 2.7 of Schedule 17)	25,000,000	25,923,253
योग (2क) Total (2a)	**45,495,836**	127,356,588
ख) पूर्व प्रदत्त व्यय b) Prepaid Expenses	1,002,231	1,007,217
ग) स्टाफ को निम्नलिखित के लिए अग्रिम c) Advances to Staff for		
i) त्यौहार Festival	805,862	881,165
ii) प्राकृतिक आपदाएँ Natural Calamities	155,850	189,550
iii) यात्रा व्यय Travelling Expenses	2,510,043	3,891,666
iv) छुट्टी यात्रा Leave Travel	587,212	1,131,814
v) सामान्य भविष्य निधि से स्टाफ को अग्रिम Advances from GPF to Staff	16,752,058	20,168,248
योग (2ग) Total (2c)	**20,811,025**	26,262,443
ग) पंजीयक – छोटे मामले न्यायालय – मुम्बई (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 1.3 देखें) d) Registrar – Small Causes Court – Mumbai (see Note No. 1.3 of Schedule 17)	18,360,598	18,360,598
घ) भुगतान किया गया प्रतिभूति जमा e) Security Deposits	3,211,700	2,967,240
योग (2) Total (2)	**88,881,390**	175,954,086
3. प्राप्त आय Income Accrued		
क) उद्दिष्टों/अक्षय निधियाँ एवं अन्य से निवेश a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds & Others		
i) भा मा ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	505,603,478	798,596,900
ii) सामान्य भविष्य निधि GP Fund	27,750,734	22,008,800
योग (3) Total (3)	**533,354,212**	820,605,700
4. प्राप्ति योग्य दावे Claim Receivable		
क) आयकर वापसी a) Income Tax Refund	34,235,792	27,306,093
ख) सेवाकर सेनवेट क्रेडिट b) Service Tax CENVET Credit	1,592,293	1,108,559
ग) हितकारी निधि (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.16 देखें) c) Benevolent Fund (see Note No. 2.16 of Schedule 17)	434,950	725,115
योग (4) TOTAL (4)	**36,263,035**	29,139,767
योग (ख) TOTAL (B)	**680,261,363**	1,051,485,744
योग (क + ख) TOTAL (A + B)	**7,434,381,668**	6,564,838,006

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 8 — बिक्री/सेवाओं से आय SCHEDULE 8 — INCOME FROM SALE/SERVICES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. सेवाओं से आय Income from Services		
क) उत्पाद प्रमाणन a) Product Certification	2,001,224,903	1,737,640,484
ख) स्वर्ण हालॅमार्किंग प्रमाणन b) Gold Hallmarking Certification	104,098,648	111,694,715
ग) पद्धति प्रमाणन c) Systems Certification	24,514,730	24,732,698
घ) प्रयोगशालाओं में व्यावसायिक परीक्षण d) Commercial Testing in Laboratories	1,257,288	2,045,795
योग TOTAL	2,131,095,569	1,876,113,692

अनुसूची 9 — शुल्क/अंशदान SCHEDULE 9 — FEE/SUBSCRIPTION	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. सम्मेलन, परामर्श व प्रशिक्षण शुल्क Conferences, Consultancy & Training Fees	17,228,680	16,454,865
2. पुस्तकालय सदस्यता शुल्क Library Membership Fee	3,230,400	3,372,800
3. स्टैंडर्डस इंडिया जर्नल का चंदा Subscription for Standards India Journal	127,600	175,160
योग TOTAL	20,586,680	20,002,825

अनुसूची 10 — निवेशों से आय
SCHEDULE 10 — FEE/SUBSCRIPTION

	ईयरमार्क निधि से निवेश INVESTMENT FROM EARMARKED FUND		निवेश – अन्य INVESTMENTS – OTHERS	
	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
(निवेश से आय उद्दिष्ट/अक्षय निधि से निम्नलिखित निधि में अंतरित) Income on Invest. From Earmarked/Endowment Fund transferred to fund				
1. ब्याज Interest	552,539,654	493,946,266	102,979,118	253,641,790
2. किराया Rent	—	—	291,276	291,254
योग TOTAL	552,539,654	493,946,266	103,270,394	253,933,044
(उद्दिष्ट/अक्षय निधि को अंतरित) (TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS) [संदर्भ अनुसूची 2, मद ख(ii), कालम 6 एवं 7] [Refer Schedule 2, Item b(ii)-col 6 & 7]	552,539,654	493,946,266		

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा की अनुसूची का भाग

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 11 — रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय SCHEDULE 11 — INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION ETC.	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. भारत में आईएसओ और आईईसी के प्रकाशनों की बिक्री से आय Retrocession from ISO and IEC on Sale of their Publications in India	46,099,897	12,985,729
2. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पर भा मा ब्यूरो प्रकाशनों की बिक्री से आय Proceeds towards Sale of BIS Publications on Electronic Media	—	6,232,045
3. भारतीय मानकों की बिक्री से आय Income from Sale of Indian Standards	46,777,573	52,185,908
4. विदेशी निकायों के प्रकाशनों की बिक्री पर मार्जिन Margin on Sale of Publications of Overseas Bodies	1,334,917	1,766,224
5. भारतीय मानकों के पुनरुत्पादन से रॉयल्टी Royalty from reproduction of Indian Standards	322,700	343,600
योग TOTAL	94,535,087	73,513,506

अनुसूची 12 — अर्जित ब्याज SCHEDULE 12 — INTEREST EARNED	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
बचत लेखा से On Saving Account	713,258	125,574
योग TOTAL	713,258	125,574

अनुसूची 13 — अन्य आय SCHEDULE 13 — OTHER INCOME	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. विविध आय Miscellaneous Income		
क) वाहन, कम्प्यूटर व आवास गृह निर्माण ऋण से ब्याज a) Interest from Conveyance, Computer & House Building Loans	3,009,571	3,014,939
ख) सीजीएचएस अंशदान b) CGHS Contribution	1,279,725	770,860
ग) स्टाफ क्वर्टरों से लाइसेंस शुल्क c) Licence Fee Staff Quarters	279,562	355,068
घ) भर्ती शुल्क d) Recruitment Receipts	—	2,128,270
ङ) मुख्यालय में अन्य विविध आय e) Other Miscellaneous Income at HQ	4,732,056	1,035,285
च) क्षे. कार्या./शा. कार्या. से विविध आय f) Miscellaneous Income at ROs/BOs	4,808,151	2,017,424
छ) प्रयोगशालाओं में विविध आय g) Miscellaneous Income at Laboratories	640,171	642,202
ज) सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.15 देखें) h) Surplus in GPF Accounts (see Note 2.15 of Schedule 17)	735,953	1,383,288
योग TOTAL	15,485,189	11,347,336

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 14 — स्थापना व्यय SCHEDULE 14 — ESTABLISHMENT EXPENSES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. वेतन और भत्ते Pay & Allowances		
क) वेतन आदि a) Salaries & Wages	496,922,809	693,871,331
ख) भत्ते और बोनस b) Allowances and Bonus	370,874,295	285,789,569
योग (1) TOTAL (1)	**867,797,104**	**979,660,900**
2. सेवा निवृत्ति लाभ Retirement Benefits		
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते में वार्षिक अंशदान (अनुसूची 17 की टिप्पणी संख्या 2.2.2 देखें) a) Yearly Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund A/c (see Note No.2.2.2 of Schedule 17)	82,222,177	94,824,710
ख) अंशदायी नई पेंशन योजना में अंशदान b) Contribution to Contributory New Pension Scheme	4,106,900	3,584,350
योग (2) TOTAL (2)	**86,329,077**	**98,409,060**
3. अन्य स्टाफ लाभ OTHER STAFF BENEFITS		
क) सीजीएचएस और अन्य चिकित्सा लाभ – कर्मचारी a) CGHS and other Medical Benefits – Employees	34,295,779	14,430,930
ख) चिकित्सा लाभ – पेंशनधारी b) Medical Benefits – Pensioners	12,482,032	10,748,185
ग) स्टाफ कल्याण c) Staff Welfare	7,169,932	6,506,074
घ) छुट्टी यात्रा रियायत d) Leave Travel Concession	11,781,951	4,660,932
योग (3) TOTAL (3)	**65,729,694**	**36,346,121**
योग (1+2+3) TOTAL (1+2+3)	**1,019,855,875**	**1,114,416,081**

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 15 — अन्य प्रशासनिक व्यय SCHEDULE 15 — OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
1. यात्रा व्यय TRAVELLING EXPENSES		
क) विदेश a) Overseas	9,725,017	6,713,670
ख) अधिकारी और स्टाफ b) Officers and Staff	36,422,794	33,982,154
ग) समिति सदस्य c) Committee Members	194,111	225,455
योग (1) TOTAL (1)	**46,341,922**	**40,921,279**
2. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को चंदे SUBSCRIPTION TO INTERNATIONAL ORGANISATIONS		
क) अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन a) International Organization for Standardization	15,233,753	11,440,380
ख) अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग b) International Electrotechnical Commission	6,684,040	6,020,322
योग (2) TOTAL (2)	**21,917,793**	**17,460,702**
3. उत्पादन PRODUCTION		
क) मानक a) Standards	22,799,045	13,721,024
ख) बुलेटिन b) Bulletin	833,545	285,322
योग (3) TOTAL (3)	**23,632,590**	**14,006,346**
4. परीक्षण TESTING		
क) परीक्षण शुल्क a) Testing Fees	79,448,744	73,558,735
ख) प्रयोगशाला में खपत योग्य सामान और प्रयोगशाला उपस्कर की मरम्मत और रख-रखाव b) Laboratory Consumables and Repair & Maintenance of Lab. Equipment	5,757,090	8,557,329
ग) बाजार नमूने c) Market Samples	2,888,406	5,355,919
घ) बाहरी एजेंसी के निरीक्षण प्रभार d) Inspection Charges to Outside Agencies	27,381,853	20,279,869
योग (4) TOTAL (4)	**115,476,093**	**107,751,852**
5. प्रचार PUBLICITY	103,764,147	38,331,617
6. कार्यालय व्यय OFFICE EXPENSES		
क) लेखन सामग्री a) Stationery	9,866,538	9,636,765
ख) डाक b) Postage	5,781,193	5,477,071
ग) दूरभाष और टेलेक्स c) Telephone and Telex	13,116,131	12,301,462
घ) भर्ती d) Recruitment	1,135,214	4,531,148
ङ) जलपान और मनोरंजन e) Refreshment and Entertainment	1,378,052	1,231,448
च) वर्दी f) Liveries	314,058	412,357
छ) भाड़ा और ढुलाई g) Freight and Cartage	2,170,914	2,460,361
ज) बीमा और बैंक प्रभार h) Insurance and Bank Charges	2,006,418	1,916,599
झ) विविध i) Miscellaneous	3,339,829	3,547,032
ण) किराया और कर j) Rent and Taxes	14,228,110	13,548,257
ट) बिजली और पानी k) Electricity and Water	31,201,989	26,451,346
योग (6) TOTAL (6)	**84,538,446**	**81,513,846**

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

अनुसूची 15 — अन्य प्रशासनिक व्यय SCHEDULE 15 — OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	चालू वर्ष CURRENT YEAR	पिछला वर्ष PREVIOUS YEAR
7. मरम्मत और रखरखाव REPAIRS AND MAINTENANCE		
क) फर्नीचर एवं उपस्कर a) Furniture and Equipment	4,816,867	5,262,016
ख) भवन b) Building	35,202,457	35,433,021
ग) वाहन और डीएलवाई टैक्सियाँ c) Vehicles & DLY Taxies	5,734,479	5,036,353
योग (7) TOTAL (7)	**45,753,803**	**45,731,390**
8. अन्य व्यय OTHER EXPENSES		
क) सम्मेलन, परामर्श और प्रशिक्षण कार्यक्रम a) Conferences, Consultancy and Training Programme	18,398,999	18,222,949
ख) इलैक्ट्रॉनिक आंकड़ा संसाधन b) Electronic Data Processin	12,490,928	8,644,333
ग) पुस्तकालय चंदा और अन्य व्यय c) Library Subscription and Other Expenses	315,121	256,725
घ) लेखा परीक्षा शुल्क d) Audit Fees	1,739,821	2,384,596
ङ) विधि प्रभार e) Legal Charges	2,394,140	3,715,181
च) स्टॉफ प्रशिक्षण f) Staff Training	564,330	113,766
छ) आवास निर्माण ऋण पर ब्याज पर छूट g) Interest subsidy on House Building Loan	145,326	174,175
ज) डूबा ऋण बट्टे खाते में डाला (अनुसूची 17 की टिप्पणी सं. 2.14 देखें) h) Bad Debts Written Off (see Note No. 2.14 of Schedule 17)	667,310	544,123
झ) पूँजी निवेश (अचल परिसम्पत्तियाँ) बट्टे खाते में डाला (निवल) i) Capital Investments (Fixed Assets) Written off (Net)	34,461	214,773
ण) गुणता पद्धति प्रभार j) Quality System Charges	4,623,193	5,818,828
ट) हिन्दी प्रोत्साहन गतिविधियाँ k) Hindi Promotional Activities	2,368,819	2,351,572
ठ) प्रवर्तन आउटसोर्सिंग व्यय l) Enforcement Outsourcing Expenses	406,293	350,517
ड) विनियग दर परिवर्तन m) Exchange Rate Variation	609,281	532,681
ढ) सेनवेट क्रेडिट व्यय n) CENVAT Credit Expenses	411,258	376,014
योग (8) TOTAL (8)	**45,169,280**	**43,700,233**
योग (1 से 8) TOTAL (1 to 8)	**486,594,074**	**389,417,265**

अनुसूची 16 — विशिष्ट लेखाकरण नीतियाँ
SCHEDULE 16 — SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. लेखाकरण परिपाटी

अन्यथा नियत न होने पर प्रमाणन आय एवं चूक वाले निवेशों पर देय ब्याज को छोड़कर, जिसका लेखांकन नकद आधार पर किया जाता है. वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी और सामान्यतः लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. माल सूचियाँ

भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों के स्टॉक के मूल्य का लेखा-जोखा नीतिगत रूप से नहीं रखा जाता। तथापि, कागज़, प्रयोगशाला की उपभोग्य मदों, स्पेयर, लेखन सामग्री एवं स्वर्ण के स्टॉक का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 निवेश का लेखा-जोखा सामान्यतः लागत पर रखा जाता है।

3.2 स्थायी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम परिपक्वता तिथि तक समय अनुपात आधार पर परिशोधित किए जाते हैं।

4. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

4.1 अचल परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा इन्वर्ड भाड़े, डयूटी एवं करों सहित अधिग्रहण की लागत पर रखा जाता है।

4.2 मंत्रालयों की अनुदानों/सहायता से उपार्जित स्थिर परिसम्पत्तियों संगत कार्पस/पूँजीगत निधि में वर्णित मूल्य पर पूँजीगत की जाती हैं।

4.3 नॉन-मोनिटरी अनुदानों के रूप में प्राप्त स्थिर परिसम्पत्तियों संगत कार्पस पूँजीगत निधि में जमा के बाद वर्णित मूल्यों पर पूँजीगत की जाती हैं।

5. मूल्यह्रास

मूल्यह्रास आयकर अधिनियम,1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार रिटन डाउन मूल्य पद्धति पर किया जाता है।

6. सरकारी अनुदान/सहायता

6.1 सरकारी अनुदान/सहायता वसूली आधार पर लेखांकित होता है।

6.2 मंत्रालयों से प्राप्त सभी सरकारी अनुदान/सहायता एवं उनके उपयोग उद्दिष्ट/अक्षय निधि अनुसूची में दर्शाए गए हैं।

6.3 परियोजनाओं की नीतिगत लागत एवं स्थिर परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए प्रयुक्त सरकारी अनुदान/सहायता कार्पस/पूँजीगत निधि के योजक के रूप में दिखाई गई हैं।

1. ACCOUNTING CONVENTION

The Financial Statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting except the Certification Income and the interest due on default investments which are accounted on cash basis.

2. INVENTORIES

The value of Stock of Indian Standards and other publications are not accounted for as a matter of policy. However, the Stock of Paper, Laboratory Consumables, Spares, Stationery and gold are valued at cost.

3. INVESTMENT

3.1 The Investments are usually carried at cost.

3.2 The premium paid on acquisition of permanent investment is amortized on a time proportion basis upto the date of maturity.

4. FIXED ASSETS

4.1 Fixed Assets are stated at Cost of acquisition inclusive of inward Freight, Duties and Taxes.

4.2 Fixed Assets acquired out of Grants/Assistance from Ministries are capitalized at values stated, by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

4.3 Fixed Assets received by way of non-monetary grants are capitalized at values stated by corresponding credit to Corpus/Capital Fund.

5. DEPRECIATION

Depreciation is provided on written down value method as per the rates specified in the Income Tax Act,1961.

6. GOVERNMENT GRANTS/ASSISTANCE

6.1 Government Grants/Assistance are accounted on realization basis.

6.2 All Government Grants/Assistance from Ministries and their utilization are shown in the Earmarked/ Endowment Fund Schedule.

6.3 The Government Grants/Assistance utilized towards Capital Cost of setting of projects and acquisition of Fixed Asset are shown as addition to Corpus/Capital Fund.

7. विदेशी मुद्रा का लेनदेन

7.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन की तिथि पर लागू विनिमय दर पर लेखांकित होते हैं।

7.2 वर्तमान देनदारियाँ वर्ष के अंत में लागू विनिमय दर पर परिवर्तनीय होती हैं तथा संबंधित लाभ/हानि आय एवं व्यय लेखा में अंतरित की जाती है।

8. वेतन और भत्ते

8.1 वेतन और भत्तों तथा छुट्टी नकदीकरण भुगतान वेतन एवं भत्तों के तहत नकद आधार पर आय एवं व्यय लेखा से प्रभारित किया जाता है।

9. सेवानिवृत्ति लाभ

9.1 उपार्जन मूल्यांकन आधारित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता तय करके अनुसूची उद्दिष्ट/अक्षय निधि के तहत दर्शाए गए पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा के अंतर्गत प्रावधान किया जाता है।

9.2 उपार्जन मूल्यांकन आधारित वर्तमान कर्मचारियों की भावी पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता का हिसाब लगाकर प्रतिवर्ष आय एवं व्यय लेखा में पेंशन देयता लेखा में जमा कर दिया जाता है।

9.3 वर्ष के दौरान सभी पेंशन लाभों के वास्तविक भुगतान पेंशन ग्रेच्युटी/देयता लेखा के नामे डाले जाते हैं।

10. कर्मचारियों को ऋण

कर्मचारियों को दिए गए भवन निर्माण, वाहन एवं कंप्यूटर संबंधी ऋणों के ब्याज को ऋण के मूलधन की वसूली के बाद नकदी आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. सा भ निधि लेखा

कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अधिशेष/घाटे को ब्यूरो की आय/खर्च के रूप में माना जाता है।

7. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

7.1 Transaction denominated in Foreign Currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

7.2 Current Liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the end of the year and the relevant gain/loss is transferred to Income & Expenditure Account.

8. PAY & ALLOWANCES

The payments of Pay & Allowances and leave encashment are charged to Income & Expenditure Account on cash basis under Pay and Allowances.

9. RETIREMENT BENEFITS

9.1 Liability towards Pension and gratuity of retired employees based on the Actuarial Valuation is accrued and provided in the Pension/Gratuity Liability Fund Account shown under the Schedule – Earmarked/Endowment Fund.

9.2 Liability towards future service pension and gratuity of present employees based on the Actuarial Valuation is accrued and provided every year in the Income and Expenditure Account by corresponding credit to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

9.3 The actual payments of all pensionary benefits during the year are debited to Pension/Gratuity Liability Fund Account.

10. LOANS TO EMPLOYEES

The Interest on House Building, Conveyance and Computer Loan given to employees is accounted on cash basis after the recovery of the principal amount of Loan.

11. GPF ACCOUNTS

The surplus/deficit in the GPF Account of employees are treated as income/expense of the Bureau.

अनुसूची 17 — लेखा संबंधी तत्काल देयताएँ एवं टिप्पणियाँ
SCHEDULE 17 — CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. तत्काल देयताएँ

1.1 भा मा ब्यूरो के निम्नलिखित कार्यालयों के सेवाकर संबंधी विवादित मांगें (जुर्माने एवं ब्याज को छोड़कर) :

(राशि ₹ में)

i)	चैन्ने क्षेत्रीय कार्यालय	1,15,21,137
ii)	मुम्बई क्षेत्रीय कार्यालय	41,66,700
iii)	तिरुवंतपुरम शाखा कार्यालय	56,692
iv)	पुणे शाखा कार्यालय	28,05,449
v)	पटना शाखा कार्यालय	1,04,568
vi)	मुख्यालय, नई दिल्ली	1,37,50,864
vii)	उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय	36,66,033

1.2 जयपुर तथा प्रशिक्षण संस्थान नोएडा भवन की सलाहकार एनबीसीसी ने जयपुर में भवन और प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा के लिए क्रमशः ₹ 27.60 लाख और ₹ 17.04 लाख का भुगतान मांगा है, परंतु संविदाकार द्वारा, किए गये कार्य का भौतिक सत्यापन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है चूँकि, एनबीसीसी द्वारा कुछ सुधारात्मक कार्यवाहियों अभी की जानी हैं तथा उनके साथ हिसाब-किताब प्रगति पर है। चूँकि, करार के अनुसार राशि भौतिक सत्यापन पर दी जाएगी, इसलिए इसे 31-3-2011 तक परिसम्पत्तियों और देयताओं में एडीशन के रूप में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मुख्यालय के नए केन्द्रीयकृत एसी संयंत्र संबंधी मामले का समाधान होने तक इन दो परियोजनाओं के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

1.3 मुम्बई में रिक्त कर दिए गए भा मा ब्यूरो के बिक्री कार्यालय के किराये के मामले के संबंध में लघुवाद न्यायालय, मुम्बई को भुगतान : भा मा ब्यूरो का नावल्टी सिनेमा भवन, ग्रांट रोड, मुम्बई-400 007 में एक किराए के भवन में बिक्री कार्यालय था, जिसके मालिक मै० गुडविल थिएटर प्राइवेट लि० थे। भारतीय मानक ब्यूरो ने यह परिसर अप्रैल 2004 में खाली कर दिया था। गुडविल थिएटर प्रा० लि० द्वारा 2000 का मामला सं० 60/82 दायर किया गया तथा लघु-वाद न्यायालय, मुम्बई ने 09-09-05 को आज्ञप्ति के साथ निर्णय पारित कर दिया तथा भा मा ब्यूरो द्वारा अदा किए जाने वाला मेसने (मासिक) लाभ 1-6-2000 से 30-4-2004 तक 3255 वर्गफुट के क्षेत्रफल के

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Disputed demands (excluding penalty and interest) in respect of Service Tax at following offices of BIS:

(Amount in ₹)

i)	Chennai Regional Office	1,15,21,137
ii)	Mumbai Regional Office	41,66,700
iii)	Thiruvanthapuram Branch Office	56,692
iv)	Pune Branch Office	28,05,449
v)	Patna Branch Office	1,04,568
vi)	Headquarters, New Delhi	1,37,50,864
vii)	Northern Regional Office	36,66,033

1.2 NBCC, the consultant for the Jaipur Building and Training Institute Building NOIDA has claimed payment of ₹. 27.60 lakhs and ₹. 17.04 lakhs in respect of work at Jaipur Building and Training Institute, NOIDA Building respectively, However, physical verification of work done by the contractor(s) is not yet completed as some corrective actions are yet to be taken by NBCC and the settlement of accounts with them is under progress. As the amount payable is subject to physical verification as per the contract, therefore, these have not been taken as Addition to Assets and Liabilities as on 31.3.2011. It has been decided by BIS that no payment shall be released to NBCC against these two projects till settlement of the issues in the New Central AC Plant at Headquarters.

1.3 Payments to Small Causes Court, Mumbai regarding the rent case of vacated BIS Sales Office in Mumbai: BIS was having its Sales Office in a rented building at Novelty Cinema Building, Grant Road, Mumbai-400007 which was owned by M/s. Goodwill Theatres Private Ltd. BIS had vacated the premises in April 2004. A case No. 60/82 of 2000 was filed by Goodwill Theatres Private Ltd. and the Small Causes Court Mumbai passed a judgement with decree on 09.09.2005 and fixed mesne profit to be paid by BIS at the rate of ₹ 205/- per sq, feet per month for the area of 3255 sq.ft. from 01.06.2000 to

लिए ₹ 205 प्रति वर्गफुट प्रति माह की दर पर नियत किया, जिस पर आवेदन पत्र की तिथि, अर्थात् 27-2-2002 से (मासिक) लाभ की संपूर्ण राशि के भुगतान पर मेसने (मासिक) लाभ की राशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। पारित की गई आज्ञप्ति के अनुसार ₹ 3,66,60,598/- की कुल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। भा मा ब्यूरो द्वारा दायर की गई आस्थगन अपील पर माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सीपीसी के नियम 5 के आदेश 41 के अनुसार स्टे इस शर्त पर दिया जाएगा जबकि अपीलकर्ता संपूर्ण आज्ञप्ति राशि न्यायायलय में जमा करा दे। न्यायालय ने डिमांड ड्राफ्ट द्वारा न्यायालय में 50 प्रतिशत आज्ञप्ति राशि जमा करने तथा शेष 50 प्रतिशत राशि के लिए बैंक गारंटी देने का निदेश जारी करके 9 संहिता के आदेश 41 नियम 5 के अनुसार आस्थगन इस शर्त पर प्रदान किया जाएगा कि अपीलकर्ता सम्पूर्ण आज्ञप्ति राशि न्यायालय में जमा करा देगा। अनुरोध की गई आज्ञप्ति राशि के लिए अपीलकर्ता को उसके लिए बैंक गारंटी देने का अनुदेश दिया जा सकता है तथा चूँकि अपीलकर्ता विशेष संविधि के अधीन एक सरकारी संगठन है, आज्ञप्ति के तहत राशि 09-09-2005 के निर्णय तथा आदेश पर रोक प्रदान कर दी। तदनुसार भा मा ब्युरो ने आई डी बी आई बैंक के पास दिनांक 12-3-09 को आईडी सं० 127107000018443 एवं 127107000018452 से ₹ 1.00 करोड़ का सावधि जमा कराकर लघु वाद न्यायालय के पक्ष में ₹ 1,83,00,000 की बैंक गारंटी प्रदान की। इसके अलावा सावधि जमा 16-03-2012 को परिपक्व होगा। 9-1-2006 को रजिस्ट्रार, लघु वाद न्यायालय के पक्ष में न्यायालय में ₹ 1,83,60,598 की राशि भी जमा की गई। इस भुगतान को वर्तमान परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत रखा गया है [अनुसूची '7बी' — मद 2(घ)]।

30.04.2004 with interest @ 6% p.a. on the amount of mesne profit from the date of application that is from 27.02.2002 till payment of entire amount of mense profit. As per the decree passed, a total sum of ₹ 3,66,60,598/- was directed to be paid. On the stay appeal filed by BIS, the Hon'ble Court came to the conclusion of that as per Order 41 Rule 5 of CPC, the stay would be granted on condition that the Appellant would deposit the entire decreetal amount in the court. For the plea decreetal amount, Appellant could be directed to give bank guarantee for the same and as appellant is a Government Organization under the special statute and thereby the amount under decree is always secured. However, the Hon'ble Court was pleased to grant stay on the judgement and order dated 09.09.2005 by issuing a direction to deposit 50% of decreetal amount in the Court by Demand Draft and a bank guarantee be given for the balance 50% of amount. Accordingly, BIS had obtained a Bank Guarantee of ₹ 1,83,00,000/- in favour of Registrar Small Causes Court from IDBI Bank against its Fixed Deposit Receipt No. ID 127107000018443 and 127107000018452 dated 12.3.2009 of ₹ 1.00 crore each (FDs maturing on 16.03.2012). Besides this, an amount of ₹ 1,83,60,598/- in favour of Registrar, Small Causes Court, Mumbai was also deposited with the Court on 09.01.2006. This payment has been kept under Current Asset, Loan & Advances [Schedule 7B – (item 2(d)].

एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 9-9-2005 के निर्णय को चुनौती देते हुए भा मा ब्यूरो ने लघु मामले न्यायालय की दोहरी पीठ, मुम्बई के समक्ष अपील संख्या 3/2006 दायर की। माननीय लघु मामले अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय/फैसला पारित किया गया, जिसके तहत अपील को अंशतः स्वीकार किया गया तथा न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार ₹ 6,67,272 प्रति माह की बजाय ट्रायल न्यायालय द्वारा ₹ 5,17,500 मासिक 6 प्रतिशत ब्याज पर देने का आदेश पारित किया। इससे लगभग ₹ 80 लाख की राहत प्रदान की गई।

An appeal No. 3/2006 was filed by BIS before Double Bench of Small Causes Court, Mumbai, challenging the judgment dated 09.09.2005 passed by Single Judge. A final decision/judgment has been passed by the Hon'ble Appellate Court of Small Causes, Mumbai vide which Appeal has been partly allowed and revision of mense profit @ ₹ 5,17,500/- per month with 6% interest p.a. instead of ₹ 6,67,272/- per month as ordered earlier by the Trial Court, thereby the relief of approximately ₹ 80 Lakhs have been granted.

चूँकि अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय भा मा ब्यूरो की प्रत्याशाओं के अनुसार नहीं था, इसलिए जमा की गई राशि, जिसे प्रतिवादी वापस ले सकता है, की निर्मुक्ति के स्थगन हेतु भा मा ब्यूरो के वकील द्वारा एक आवेदन दायर किया गया और मुम्बई न्यायाधिकरण क्षेत्र के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका संख्या 7380/06, 8-11-2006 को माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 15-03-09 को मंजूर कर लिया। मामला अभी लंबित है।

Since, the order passed by the Appellate Court was not as per the expectations of BIS, an application for stay for release of deposited money which respondent may likely to withdraw has been filed through BIS Advocate and a writ petition No. 7380/06 filed on 8.11.2006 before the Hon'ble High Court of Judicature at Mumbai was admitted on 15.03.2009 for final hearing by the Hon'ble Court. The case is still pending.

यदि उपरोक्त मामला भा मा ब्यूरो के पक्ष में जाता है तो प्राप्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा अन्यथा अदा की गई राशि को आय एवं व्ययों के लिए प्रभारित किया जाना अपेक्षित होगा, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा।

In case BIS wins the subject case, the amount received back will be adjusted else the amount paid will be required to be charged to Income & Expenditure Account for which provision shall be made in the Budget.

2. लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

2.1 पूंजीगत वचनबद्धताएँ : पूंजीगत लेखा पर निष्पादित की जाने वाली संविदा के मूल्य और प्रावधान न की गई (अग्रिमों का योग) निम्नानुसार हैं :

i) सी पी डब्ल्यू डी द्वारा मुख्यालय भवन के एयरकन्डीशनिंग के लिए ₹ 1682.35 लाख [से कुल अनुमानित लागत ₹ 1702.35 लाख से सी पी डब्ल्यू डी को अग्रिम दिए गए अग्रिम ₹ 20.00 लाख घटाने के बाद (अनुसूची 7बी-मद 2 क ii)]।

ii) "उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एच आर डी एवं क्षमता निर्माण" XI वी योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सहायता से सी पी डब्ल्यू डी द्वारा नोएडा के प्रशिक्षण संस्थान भवन को आधुनिक बनाने के लिए ₹ 400.67 लाख [कुल अनुमानित लागत ₹ 650.67 लाख से सी पी डब्ल्यू डी को अग्रिम दिए गए ₹ 250.00 लाख घटाने के बाद (अनुसूची 7 ख-मद (2 क vii)]।

2.2 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2, कॉलम 7)

2.2.1 भारतीय मानक ब्यूरो के पेंशनधारकों एवं कर्मचारियों की पेंशन/सेवानिवृति की उपार्जित देयता के निर्धारण पर मैं के० ए० पंडित कन्सल्टेंट एवं एक्चुरिज द्वारा प्रस्तुत एक्युरिअस मूल्यांकन रिपोर्ट का कार्यकारिणी समिति (ईसी) ने 17-5-2010 को आयोजित अपनी 94वीं बैठक में अनुमोदन कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए वर्तमान कर्मचारियों की पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए पिछली सेवा एवं वर्तमान पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों की पेंशन के लिए कुल उपार्जित राशि ₹ 637.53 करोड की देयता निम्नानुसार है :

क्रमांक	उपार्जित देयता की मदें	करोड़ रुपयों में
1	वर्तमान कर्मचारियों की (पिछली सेवा के लिए) उपार्जित पेंशन देयता	361.32
2	वर्तमान कर्मचारियों की (पिछली सेवा के लिए) उपार्जित ग्रेच्युटी देयता	55.10
3	वर्तमान पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों के लिए उपार्जित पेंशन देयता	221.11
	योग	**637.53**
घटा	क्रमः दिनांक 31-03-2010 तक पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में उपलब्ध राशि	495.28
	कमी 31-03-2010 (31-03-2009 को यह कमी रुपये 224.49 करोड़ की राशि रही)	142.25

2. NOTES ON ACCOUNTS

2.1 Capital Commitments: The value of the contract remaining to be executed on Capital Account and not provided for (net of Advances) are given as under:

i) ₹ 1682.35 lakhs towards Air Conditioning of HQ Building by CPWD. {Total Estimated Cost ₹ 1702.35 lakhs LESS Advance Paid to CPWD ₹ 20.00 lakhs (Schedule 7B - item 2a ii)}.

ii) ₹ 400.67 lakhs towards Modernization of Training Institute Building at Noida by CPWD from the assistance received from the Department of Consumer Affairs, Government of India under XIth Plan Scheme "Consumer Education & Training, HRD & Capacity Building" – {Total Estimated Cost ₹ 650.67 lakhs LESS Advance Paid to CPWD ₹ 250.00 lakhs Schedule 7B - Item (2a vii).

2.2 Pension/Gratuity Liability Fund Account (Schedule 2-column 7)

2.2.1 The Actuarial Valuation Report for assessment of accrued liability for Pension/Retirement benefits of BIS Pensioners & Employees **submitted by** M/s K.A.Pandit Consultants & Actuaries was approved by the Executive Committee(EC) in its 94th meeting held on 17.5.2010. According to Report, the total accrued liability for the existing employees for the past service rendered towards pension and gratuity and for the existing pensioners/ family pensioners towards their pension amounted to ₹ 637.53 crores as under:

Sl No.	Accrued Liability towards	₹ in crores
1.	Accrued Pension Liability (for past service) of existing employees	361.32
2.	Accrued Gratuity Liability (for past service) of existing employees	55.10
3.	Accrued pension liability for existing pensioners/family pensioners	221.11
	Total	**637.53**
Less:	Amount available in the Pension/Gratuity Liability Fund Account as on 31.03.2010	495.28
	Shortfall as on 31.3.2010 (This shortfall as on 31.3.2009 amounted to Rs. 224.49 crores)	142.25

पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा की कमी के लिए कार्यकारी समिति ने अनुमोदन दिया कि पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा की इस कमी को पूरा होने तक इसे वर्ष 2009-10 और बाद के वर्षों के सरप्लस को स्थानांतरित करके पूरा किया जाए। तदनुसार 2010-11 के दौरान ₹ 82,55,15,271 की राशि को पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में कमी के लिए अंशदान के रूप में आय एवं व्यय लेखा से पेंशन/ ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में जमा किया गया। (अनुसूची 2-कॉलम 7)

2.2.2 एक्चुरिअल मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, वेतन (वेतन+ग्रे० पे०+डीए) के 9.32% एवं 2.53% के वार्षिक अंशदान की भी व्यवस्था की जाए और भावी सेवा पेंशन देयता एवं सक्रिय कर्मचारियों के भावी सेवा ग्रेच्युटी देयता के लिए क्रमशः आय एवं व्यय लेखा के नाम डाला जाए। ₹ 8,22,22,177 राशि की अनुरुपता में पेंशन/ ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा के अंशदान 'लेखा शीर्ष के तहत आय एवं व्यय लेखा से पूरा किया गया है [अनुसूची 14-मद (2क)] तथा 2010-11 में पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा (अनुसूची 2 कॉलम 7) लेखा शीर्ष में जमा किया है।

2.2.3 उपार्जन आधार पर निवेशों पर कमाया कुल ब्याज ₹ 65,55,18,772 है। इसमें कार्पस/पूँजी निधि में भा मा ब्यूरो के पेंशन देयता लेखा, नई पेंशन योजना निधि के निवेश एवं सामान्य निवेश पर ब्याज शामिल है। इसमें से ₹ 9,56,614 की रकम 8% की दर से नई पेंशन योजना निधि आबंटित की गई एवं जमा की गई। एनपीएस अभिदाताओं को जिन्हें अभी रेगूलेटर के साथ जोड़ा जाना है, 8% ब्याज (अर्थात् जीपीएफ के समान) दिया जा रहा है। इसलिए कुल अर्जित ₹ 65,45,62,158 के ब्याज को 'पेंशन/ग्रैच्युटी देयता निधि लेखा के लिए निवेश तथा कार्पस/पूँजी निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश में पेंशन देयता खाता एवं आय तथा व्यय खाते के बीच 1.4.2010 तक के आरंभिक शेष के अनुपात में निम्नलिखित के अनुसार बांट दिया गया है :

The Executive Committee had approved that the shortfall in the Pension/Gratuity Liability Fund Account may be made up by transfer of surplus of 2009-10 and subsequent years to the Pension/Gratuity Liability Fund Account till this shortfall is completed. **Accordingly an amount of ₹ 82,55,15,271 was charged to the Income & Expenditure Account as "Contribution towards shortfall in Pension/Gratuity Liability Fund Account" and credited to "Pension/Gratuity Liability Fund Account"** (Schedule 2 Column 7) **during 2010-11.**

2.2.2 According to the Actuarial Valuation Report, an Annual Contribution of 9.32% and 2.53% of salary (Pay+GP+DA) may also be made and charged to Income & Expenditure Account every year towards the future service pension liability and future service gratuity liability of the active employees respectively. In consonance with this an amount of ₹ 8,22,22,177 has been charged to Income and Expenditure Account under the account head '**Contribution to Pension/Gratuity Liability Fund Account**' [Schedule 14-Item (2a)] and credited to Account Head '**Pension/Gratuity Liability Fund Account**' (Schedule 2, column 7) during 2010-11.

2.2.3 The total interest earned on investments on accrual basis amounted to ₹ 65,55,18,772. This includes the interest on the Investment towards Pension/ Gratuity Liability Fund A/c, Investment towards New Pension Scheme (NPS) Fund and the general investment of BIS against Corpus/Capital Fund. Out of this, the interest @ 8% amounting to **₹ 9,56,614** have been allocated and credited to New Pension Scheme (NPS) Fund. The NPS subscribers which are yet to be enrolled with the Regulator are being given 8% interest (that is equal to GPF interest) . The remaining interest earnings of **₹ 65,45,62,158** have been apportioned between Pension/Gratuity Liability Fund A/c and Income & Expenditure A/c in the ratio of opening balance as on 1.4.2010 in the "Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/c" and "General Investments towards Corpus/Capital fund A/c" as under:

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

निधियों में निवेश Investment towards the Funds	1.4.2010 तक आरंभिक शेष Opening Balance of the Investments as on 1.4.2010	1.4.2010 तक आरंभिक शेष अनुपात में विभाजित ₹ 65,45,62,158 का ब्याज Interest of ₹ 65,45,62,158 apportioned in the ratio of opening balanceof Investments as on 1.4.2010
पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निथि खाता [अनुसूची 5, मद 1.1 तथा अनुसूची 7ए, मद 4(ए)(iii))(iv)] Investment towards Pension/Gratuity Liability Fund A/c [total of Schedule 5 (Item1.1) and Schedule 7A, Item 4(a)(iii)(A)(iv)]	4,952,780,536	551,583,040
कार्पस/पूंजीगत निधि लेखा के लिए सामान्य निवेश [अनुसूची 7ए मद 4(a)(iii)(बी)] General Investments towards Corpus/Capital fund A/c [Schedule 7A, Item 4(a)(iii)(B)]	924,671,232	102,979,118
योग / TOTAL	5877,451,768	654,562,158

अतः ₹ 55,15,83,040 के अर्जित ब्याज को पेंशन/ग्रैच्युटी देयता निधि खाता [अनुसूची 2 कॉलम 7] में जमा कर दिया है तथा ₹ 10,29,79,118 का शेष ब्याज आय और व्यय लेखा में (अनुसूची 10 देखें) में दिखाया गया है।

2.2.4 वर्ष 2010-11 के दौरान पेंशन, उपदान तथा कम्युटेशन के कुल भुगतानों की राशि ₹ 26,81,95,851 थी (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से ₹ 5,77,670 रुपये की निबल प्राप्ति) इसे पेंशन ग्रैच्युटी देयता खाते [अनुसूची 2 कॉलम 7] के नामे डाल दिया गया है।

2.2.5 उक्त लेनदेनों के परिणामस्वरूप पेंशन/उपदान देयता खाते में शेष राशि 31-3-2011 को ₹ 6,14,39,05,173 बैठती है [अनुसूची 2 कॉलम 7]। इस प्रकार 31-3-2011 तक ₹ 2313.95 लाख की राशि पेंशन/ग्रैच्युटी देयता निधि लेखा में कमी अर्थात पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा में उपलब्ध राशि ₹ 61439.05 लाख कम करके ₹ 63753.00 लाख कुल उपार्जन देयता।)

2.3 1-1-2004 के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू अंशदायी नई पेंशन योजना [अनुसूची 2, कॉलम 6]: दिनांक 4-2-2004 के का० ज्ञा० सं० 1(7)(2)/2003/टीए/67-74 के साथ पठित भारत सरकार के आदेश सं० जीआईएमएफ (सीजीए) का० ज्ञा० सं० 1(7)(2)/2003/टीए/11, दिनांक 7-1-2004 के अनुसार 1-1-2004 के बाद (केन्द्रीय सरकारी विभागों से आए कर्मचारियों के मामलों को छोड़कर) भा मा ब्यूरो में सभी नए भर्ती किए गए कर्मचारियों पर सरकार की नई पेंशन योजना लागू है, जो रेगूलेटर के साथ नामांकित हैं उन कर्मचारियों तथा भा मा ब्यूरो के अंशदान को माहवार भेजा जाता है तथापि जिनका नामंकन अभी होना है उन कर्मचारियों तथा भा मा ब्यूरो के अंशदान को भा मा ब्यूरो द्वारा निवेश किया जाता है तथा 8% की दर से ब्याज (अर्थात सा म नि के ब्याज की दर के समान) उसके खाते में जमा किया जाता है। दिनांक 31-03-2011 तक भा मा ब्यूरो के अंशदायी नए पेंशन योजना निधि में बकाया राशि ₹ 27,43,242 थी (अनुसूची 2, कॉलम 6)।

2.4 भा मा ब्यूरो निधियों का निवेश

2.4.1 भा मा ब्यूरो निधियों के लिए (अर्थात् पेंशन उपदान देयता लेखा के लिए निवेश, नई पेंशन योजना के लिए निवेश एवं संग्रह/पूंजीगत निधि के लिए निवेश) दिनांक 31-3-2011 को ₹ 7,07,28,08,776 लाख का कुल निवेश था। इसमें से ₹ 27,43,242 लाख नई 'पेंशन/योजना निधि खाते' में निवेश के लिए (पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा की राशि के बराबर) अनुसूची 5 के मद 1.1 में दर्शाए गए ₹ 57,64,55,400 एवं अनुसूची 7क के मद 4 (क) (iii) (ए) (iv) में दर्शाए ₹ 5,56,74,49,773.00 लाख) ₹ 209.67 लाख नई पेंशन योजना निधि के लिए (नई पेंशन योजना निधि की राशि के बराबर) [अनुसूची 7ए में दर्शाए 4 (ए) (iii) (ए) (iii)] आबंटित किए गए और ₹ 6,14,39,05,173 पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाते (पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि लेखा की राशि के बराबर) निधि के सामान्य निवेश से संबंधित थे। ₹ 92,61,60,361 का शेष निवेश [अनुसूची 7ए की मद 4 (ए) (iii) (बी) के अंतर्गत दर्शित] कार्पस पूँजीगत निधि। 31 मार्च तक कुल निवेश अनुसूची 18 में दिया गया है।

Therefore, the interest earnings of ₹ **55,15,83,040** have been credited to "**Pension/Gratuity Liability Fund Account**"(Schedule 2 Column 7) and the remaining interest earnings of ₹ **10,29,79,118** appear in the **Income & Expenditure Account** (see Schedule 10).

2.2.4 The total net payments of pension, gratuity and commutation during 2010-11 amounted to ₹ **26,81,95,851** (net of receipts of ₹ **5,77,670** from deputationists) This has been debited to '**Pension/ Gratuity Liability Fund Account' (Schedule 2, Column 7).**

2.2.5 As a result of the above transactions, the balance in the Pension/Gratuity Liability Fund A/c **thus amounts to ₹ 6,14,39,05,173 as on 31.3.2011**. (Schedule 2, Column 7). **The shortfall in Pension/ Gratuity Liability Fund Account thus amounts to ₹ 2313.95 lakhs as on 31.03.2011 (that is Total Accrued Liability of ₹ 63753.00 lakhs minus ₹ 61439.05 lakhs the available amount in the** Pension/Gratuity Liability Fund A/c).

2.3 Contributory New Pension Scheme Fund (Schedule 2, Column 6) applicable to recruits from 1.1.2004 onwards: The new pension scheme of Govt. of India is applicable to all recruits in BIS from 1.1.2004 (except in cases of employees who joined from Central Government Departments) onwards as per GOI Order No. GI.M.F.(CGA) O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/11 dated 7.1.2004 read with O.M. No. 1(7)(2)/2003/TA/67-74 dated 4.2.2004. The employees and BIS contribution in respect of those who are enrolled with the Regulator are remitted on monthly basis. However the employees and BIS contribution in respect of those who are yet to be enrolled with the Regulator is invested by BIS and interest @ 8% (that is equal to interest rate of GPF) is credited to their account . The balance in the Contributory New Pension Scheme Fund with BIS as on 31.3.2011 amounted to ₹ **27,43,242** (Schedule 2, Column 6).

2.4 Investment of BIS Funds

2.4.1 The total investments of BIS Funds (that is Investment against Pension/Gratuity Liability Fund A/c, Investment against New Pension Scheme Fund and Investment against Corpus/Capital Fund) **as on 31.3.2011 amounted to ₹ 7,07,28,08,776** Out of this, the investments of ₹ **27,43,242** have been allocated to "Investment towards **New Pension Scheme Fund Account"** (that is equal to the amount of New Pension Scheme Fund) (shown under Item 4(a) (iii) (A) (III) of Schedule 7A) and ₹ **6,14,39,05,173** have been allocated to "Investment towards **Pension/Gratuity Liability Fund A/c**" (that is equal to the amount of Pension/ Gratuity Liability Fund A/c) **(₹ 57,64,55,400 shown under Item 1.1 of Schedule 5 and ₹ 5,56,74,49,773 shown under** Item 4(a) (iii) (A) (IV) of Schedule 7A). The remaining investments of ₹ **92,61,60,361** pertains to "General Investment towards **Corpus/Capital Fund"** [shown under Item 4(a) (iii) (B) of Schedule 7A]. The details of total investments as on 31st March 2011 are given in Schedule 18.

2.4.2 यूपीसीएसएमएफएल, एमपीएसईबी और एमपीएसआईडीसी ने निम्नानुसार परिपक्वता तिथियों पर ब्याज तथा मूलधन की अदायगी में चूक की है।

2.4.2 UPCSMFL, MPSEB and MPSIDC have defaulted in the payment of interest and principal on maturity dates as under:

(₹ लाखों में/₹ in Lakhs)

संस्था Institution	ब्याज की दर Rate of interest	निवेश की राशि Amount of investment	निवेश की तिथि Date of Investment	परिपक्वता की तिथि Date of maturity	तिथि जब से ब्याज की चूक की गई Date since when interest is defaulted	कूपन दर पर चूक की तिथि से परिपक्वता की तिथि तक ब्याज Interest from date of default to maturity date at coupon rate
यू पी को ऑपरेटिव एण्ड स्पिनिंग मिल्स फेडरेशन लि. (यू पी सी एस एम एफ एल) U.P. Cooperative & Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL)	16%	200.00	17.12.1998	30.4.2003(33%) 30.10.2003 (33%) 30.04.2004 (34%)	1.5.2000	128.00 (4 वर्ष) (4 years)
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल (एम पी एस ई बी) Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB)	15%	100.00	31.10.1998	1.12.2003 (1/3rd) 1.12.2004 (1/3rd) 1.12.2005 (1/3rd)	1.7.2001	66.25 (4 वर्ष 5 माह) (4 years 5 months)
मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एम पी एस आई डी सी) Madhya Pradesh State Industrial Development Corporation (MPSIDC)						
भा मा ब्यूरो निधियाँ BIS Funds	14.40%	300.00	02.11.1999	31.1.2005	1.11.2001	140.40
सामान्य भविष्य निधि GPF Funds	14.40%	45.00	17 .11.1999	31.1.2005	1.11.2001	21.06 (3 वर्ष 3 माह) (3 years 3 months)
		345.00				

चूक निवेशों के उक्त मामलों में वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

यूपीसीएसएमएफएल : भा मा ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीबीआरसी) के समक्ष मामला (संख्या 451/2002) दायर किया था, जो निर्णय के लिए लंबित है।

एमपीएसईबी : भा मा ब्यूरो ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीबीआरसी) के समक्ष मामला (संख्या 190/2003) दायर किया था, जो निर्णय के लिए लंबित है।

एमपीएसआईडीसी : भा मा ब्यूरो ने ब्याज की वसूली के लिए मध्य प्रदेश विवाद निपटान आयोग (एमपीएससीडीआरसी) के समक्ष मामला (संख्या 19/2003) दायर किया था। एमपीएससीडीआरसी ने मामले का निपटान भा मा ब्यूरो के पक्ष में किया एमपीएसआईडीसी द्वारा माननीय राष्ट्रीय आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई अपील खारिज कर दी गई। राष्ट्रीय आयोग ने बी आईएस के पक्ष में निर्णय दिया एवं राज्य कमीशन भोपाल के समक्ष एक्जीक्यूशन याचिका लम्बित है, जिसे मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। दिनांक 1 नवम्बर 2001 से आज तक के ब्याज के रूप में

The status in above cases of default investments is as under:

UPCSMFL: BIS had filed case (Petition No. 451/2002) before the National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) which is pending for decision.

MPSEB: BIS had filed case (Petition No. 190/2003) before the National Consumer Disputes Redressal Commission. (NCDRC) which is pending for decision.

MPSIDC : BIS had filed case (Petition No. 19/2003) in Madhya Pradesh Disputes Redressal Commission (MPSCDRC) for recovery of interest. The case was decided by MPSCDRC in favour of BIS. The appeal filed by MPSIDC in the Hon. National Commission and Hon. Supreme Court was dismissed. The case was decided by the National Commission in favour of BIS and the Execution Petition is pending before State Commission Bhopal, which has been stayed by Hon. High Court of Madhya Pradesh. An original Petition No. 84/2007 for recovery of ₹ 345 lakhs along with interest from

₹ 345 लाख की वसूली के लिए मूल याचिका सं० 84/2007 राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की गई है। यह निर्णय हेतु माननीय आयोग के पास लम्बित है। एम पी एस आई डी सी ने कार्पोरेट मामले मंत्रालय की सहमति से कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 391 एवं 393 के तहत व्यवस्था, निपटारे एवं कम्प्रोमाइज की एक योजना का प्रस्ताव रखा है। यदि यह योजना स्वीकृत होती है तो भा मा ब्यूरो को ब्याज के बिना मूलधन का 75% प्राप्त होने की संभावना है।

2.5 नोएडा में प्रशिक्षण संस्थान भवन के लिए ढांचागत सुविधाओं हेतू सरकार की उपभोक्ता कल्याण निधि से वित्तीय सहायता (अनुसूची 2, कालम 3): 1.4.2010 की स्थिति के अनुसार ₹ 3,32,260 के शुद्ध अग्रिम से सहायता की अव्ययित अधिशेष राशि ₹ 79,810 है। इस निधि के बचत बैंक खाते में बैंक द्वारा 2010-11 के दौरान ₹ 4,583 ब्याज डाला गया, जिसे उपभोक्ता कल्याण निधि लेखा में ही जमा कर दिया गया। 31.3.2011 (₹ 3,32,260 का अग्रिम लेने के बाद) की स्थिति के अनुसार उपभोक्ता कल्याण निधि खाते में शुद्ध अव्ययित शेष ₹ 84,393 है अनुसूची 2 के अनुसार ₹ 3,32,260 का एनबीसीसी को समायोजित किया जाने वाला अग्रिम घटा कर ₹ 4,16,653 है। [अनुसूची 7 (ख) मद – 2(क) (v)]

2.6 केन्द्रीय सहायता से भारत में स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्र स्थापित करने की योजना: भा मा ब्यूरो द्वारा यह योजना उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही है। उपभोक्ता मामले विभाग ने अपने पत्र संख्या 8.2.2004 — भा० मा० ब्यूरो, दिनांक 30.9.2005 के तहत भारत में केन्द्रीय सहायता से स्वर्ण हॉलमार्किंग/एसेइंग केन्द्रों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की थी। 2005-06 से 2010-11 तक मंत्रालय से ₹ 281.00 लाख प्राप्त हुए। (2005-06 में ₹ 50.00 लाख, 2007-08 में ₹ 100.00 लाख एवं 2009-10 में ₹ 81.00 लाख 2010-11 में 50.00 लाख)। दिनांक 31.3.2011 तक अव्ययित अधिशेष ₹ 16.60 लाख को वर्ष 2011-12 में समायोजित किया गया। (अनुसूची 2, कालम 1)

2.7 **11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत "उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना" परियोजना के संबंध में उपभोक्ता मामले मंत्रालय की योजनाएँ (अनुसूची 2, कॉलम 2):** उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने अपनी परियोजना "11वीं योजना के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण के लिए गुणता अवसंरचना" के अन्तर्गत अपनी निम्नलिखित नई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भा मा ब्यूरो को निधियाँ आबंटित की हैं :

i) राष्ट्रीय मानकीकरण प्रणाली;

ii) मानव संसाधन विकास एवं शैक्षणिक संस्थानों में क्षमता निर्माण; और

iii) उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एचआरडी एवं क्षमता निर्माण।

1 November 2001 to till date was also filed before the Hon'ble National Commission. The said matter is still pending before the Hon'ble Commission for decision. MPSIDC had offered a Scheme of Arrangement, Settlement and Compromise under Sections 391 and 393 of Companies Act 1956 to its creditors in concurrence of Ministry of Corporate Affairs. In case this Scheme is approved, BIS is likely to get 75% of the principal amount without any interest.

2.5 Financial Assistance from Consumer Welfare Fund of Govt. for the Infrastructure Facilities for the Training Institute Building at Noida (Schedule 2, Column 3): The unspent balance of the assistance as on 1.4.2010 net of advances of ₹ 3,32,260 amounted to ₹ 79,810. The interest credited by bank in the Saving Bank Account of this fund amounted to ₹ 4,583 during 2010-11 and was credited to Consumer Welfare Fund Account itself. The net unspent balance in Consumer Welfare Fund Account as on 31.3.2011 (after taking into account the advances of Rs. 3,32,260) amounted to ₹ 84,393 that is ₹ 4,16,653 as per **Schedule 2** less ₹ 3,32,260 of advances to NBCC yet to be adjusted [Schedule 7(B) – Item 2(a)(v)].

2.6 Scheme for setting up of Gold Hall Marking/ Assaying Centres in India with central assistance: This scheme is being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs , Govt. of India. The Department of Consumer Affairs vide its letter No. 8/2/ 2004 – BIS dated 30.9.2005 had conveyed the sanction to the Scheme for setting up of Gold Hall Marking/ Assaying Centres in India with central assistance. The funds received from the Ministry from 2005-06 to 2010-11 amounted to ₹ 281.00 lakhs (₹ 50.00 lakhs in 2005-06, ₹ 100.00 lakhs in 2007-08, ₹ 81.00 lakhs in 2009-10, ₹ 50.00 lakhs in 2010-11). The unspent balance under the Scheme as on 31.03.2011 amounted to ₹ 16.60 lakhs carried forward to 2011-12. (Schedule 2, Column 1)

2.7 Schemes of Ministry of Consumer Affairs on the project of "Quality Infrastructure for Consumer Protection" under XIth Five Year Plan (Schedule 2, Column 2): The Ministry of Consumer Affairs, Govt. of India has allocated funds to BIS for implementation of its following new schemes under the project '**Quality Infrastructure for Consumer Protection' under XIth Plan:**

i) National System of Standardization;

ii) HRD and Capacity Building in Educational Institutions; and

iii) Consumer Education & Training, HRD and Capacity Building.

भा मा ब्यूरो द्वारा उपरोक्त योजनाएँ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक ₹ 793.39 लाख की निधियाँ (2007-08 में ₹ 50.00, 2008-09 में ₹ 162.00 लाख, 2009-10 में 397.00 लाख और 2010-11 से ₹ 184.39 लाख) प्राप्त हुई।

2010-11 के दौरान भा मा ब्यूरो द्वारा प्राप्त निधियों, व्ययित निधियों की 31-3-2011 तक योजनावार स्थिति नीचे दी गई हैं:

The above schemes are being operated by BIS on behalf of the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Department of Consumer Affairs (MOCA), Govt. of India The funds received from the Ministry from 2007-08 to 2010-11 amounted to ₹ 793.39 lakhs (₹ 50.00 lakhs in 2007-08, ₹ 162.00 lakhs in 2008-09, ₹ 397.00 lakhs in 2009-10 and ₹ 184.39 lakhs in 2010-11).

The scheme wise position of funds received, funds spent by BIS during 2010-11 and the unspent balance as on 31.3.2011 is given as under:

(राशि ₹ में / Amount in ₹)

क्रम सं० Sl No.	विवरण Particulars	राष्ट्रीय मानकीकरण पद्धति National System of Standardization	मानव संसाधन विकास एवं शैक्षणिक संस्थानों में क्षमता विकास HRD and Capacity Building in Educational Institutions	उपभोक्ता शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन एवं क्षमता विकास Consumer Education & Training, HRD & Capacity Building	योग Total
(i)	**01-4-10 को शेष Balance as on 1-4-10**	64,93,754	50,66,791	3,21,05,547	4,36,66,092
(ii)	**2010-11 में उ० मा० मंत्रालय से प्राप्त निधि Funds received from MOCA in 2010-11**	1,00,00,000	—-	84,39,000	1,84,39,000
(iii)	**योजना के खाते में उपार्जित ब्याज नामे Interest earned credited to Scheme A/c**	1,82,321	1,42,257	4,39,748	7,64,326
(iv)	**कुल [(i) + (ii) + (iii)] Total [(i) + (ii) + (iii)]**	1,66,76,075	52,09,048	4,09,84,295	6,28,69,418
(v)	**2010-11 में व्यय Expenditure in 2010-11**				
	क) पूंजी a) Capital	10,09,283	1,94,040	12,12,250	24,15,573
	ख) राजस्व b) Revenue	1,50,91,105	97,485	87,58,785	2,39,47,375
	2010-11 में कुल व्यय [(क) + (ख)] Total Expenditure in 2010-11 [(a) + (b)]	1,61,00,388	2,91,525	99,71,035	2,63,62,948
(vi)	**31-3-11 को शेष [(iv) – (v)]** [अनुसूची 2, कॉलम 2 के अनुसार] **Balance as on 31.3.11 [(iv) – (v)]** [as per Schedule 2, Column 2]	5,75,687	49,17,523	3,10,13,260	3,65,06,470
(vii)	**31.3.11 को अग्रिम** [अनुसूची 7(ख), मद 2(क)(vi) के अनुसार] **Advances as on 31.3.11** [as per Schedule 7(B), Item 2(a)(vi)]	—	—	2,50,00,000	2,50,00,000
(viii)	**अग्रिमों पर विचार के बाद 31-3-2011 को अप्रयुक्त शेष [(vi) – (vii)] Unutilized Balance as on 31.3.2011 after considering Advances [(vi) – (vii)]**	5,75,687	49,17,523	60,13,260	1,15,06,470

ग्यारहवीं योजनागत योजना के अंतर्गत 31.3.2011 को अव्ययित अधिशेष को 2011-12 में अग्रनीत किया गया (अनुसूची 2, कॉलम 2)

The **unutilized balance** as on 31.03.2011 under the above XIth Plan Schemes has been carried over to 2011-12 (Schedule 2, Column 2).

2.8 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से अनुदान (अनुसूची 2, कॉलम 4): भारत सरकार, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने दिनांक 31-3-2006 के अपने पत्र सं० 7/6/2005 एसटी के अंतर्गत भा मा ब्यूरो की दो प्रयोगशालाओं अर्थात् बैंगलुरु तथा मोहाली में सौर फ्लैट प्लेट संग्राहकों हेतू परीक्षण सुविधा स्थापित करने हेतू ₹ 16,50,000 का अनुदान स्वीकृत किया था। 2009-10 तक ₹ 13,15,643 की राशि व्यय की गई। 31-3-2010 को अनुदान की अव्ययित शेष राशि ₹ 3,34,357 थी जिसे बैंगलुरु शाखा द्वारा 2010-11 में खर्च किया गया। अतः सहायता राशि को पूर्णतः खर्च किया गया।

2.9 एनआईसी को एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए समायोजनीय अग्रिम [(अनुसूची 7ख, (मद 2(क)(i)]: भा मा ब्यूरो की एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए 2002-03 से 2005-06 के दौरान भा मा ब्यूरो ने एनआईसी को कुल ₹ 8,22,16,000 की अग्रिम राशि दी। इस अग्रिम में से 2007-08 तक ₹ 7,72,70,154 का अग्रिम समायोजित किया गया जिसके बाद 31-3-2011 तक ₹ 49,45,846 की राशि शेष रह गई जिसके समायोजन प्राप्त होने शेष हैं। इसे एनआईसी से कम्प्यूटर एवं संबद्ध उपकरणों के संतोषप्रद संस्थापन रिपोर्ट का प्रमाणपत्र मिलने के बाद समायोजित किया जाएगा। इस कार्य का समन्वय भा मा ब्यूरो के सूचना प्रौद्योगिकी सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है।

2.10 एनबीसीसी द्वारा मानक भवन की इमारत के लिए नया केन्द्रीय एसी संयंत्र: मानक भवन मुख्यालय के लिए नए केन्द्रीय एसी संयंत्र की स्थापना की परियोजना वर्ष 2003-04 में शुरु की गई थी। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) नियुक्त किया गया। अनुमोदित परियोजना की लागत ₹ 2.68 करोड़ थी। परियोजना कार्य एनबीसीसी द्वारा ₹ 2.55 करोड़ की कुल लागत पर सितम्बर 2004 में मै० आरिफ इंजीनियर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली को सौंपा गया था। कार्य मार्च 2005 में शुरु किया गया तथा अनेक बार एक या अन्य कई कारणों से रोक दिया गया। जून 2006 से परियोजना रुकी हुई है।

परियोजना के लिए एनबीसीसी को किए गए ₹ 80,00,000 के कुल अग्रिम भुगतान में से ₹ 31,60,194 की राशि 2007-08 तक समायोजित कर ली गई है तथा 31-3-2009 तक की स्थिति के अनुसार एनबीसीसी के पास शेष बकाया अग्रिम की राशि ₹ 48,39,806 है। इस परियोजना के अंतर्गत 2008-09 तक किए गए ₹ 84,38,568 के कुल भुगतान को अनुसूची स्थिर परिसंपत्ति की अनुसूची **(अनुसूची 4)** में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

"मानक भवन की इमारत के आधुनिकीकरण" परियोजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्कैच, ड्राइंग तैयार करने और लागत निर्धारित करने के लिए वर्ष 2004-05 में एनबीसीसी को ₹ 1,68,828 की राशि की गई। बाद में इन परियोजना के कार्यक्षेत्र "मानक भवन में नए केंद्रीय एसी संयंत्र के संस्थापन" के परियोजना कार्य तक सीमित और उससे जोड़ दिया गया। किए गए भुगतान को स्थिर परिसंपत्ति को अनुसूची **(अनुसूची 4)** में चल रहे पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है।

2.8 Grant from Ministry of Non-Conventional Energy Sources (Schedule 2, Column 4): The Government of India, Ministry of Non-Conventional Energy Sources vide its letter No. 7/6/2005-ST dated 31.3.2006 had sanctioned an assistance of ₹ 16,50,000 for setting up of test facility for Solar Flat Plate Collectors at two laboratories of BIS that is Bengaluru and Mohali. A sum of ₹ 13,15,643 was spent upto 2009-10. The unspent balance of ₹ 3,34,357 as on 31.03.2010 was spent by Bengaluru Branch during 2010-11. Therefore, the assistance is fully utilized.

2.9 Adjustable advances for Integrated Computerization Project to NIC [Schedule 7B, (Item 2(a)(i)]: BIS had paid total advances of ₹ 8,22,16,000 to NIC during 2002-03 to 2005-06 for Integrated Computerization Project of BIS. Out of this, advances of ₹ 7,72,70,154 were adjusted upto 2007-08 leaving a balance of ₹ 49,45,846 as on 31.3.2011 for which adjustments are yet to be received. This shall be adjusted after receipt of certificate of satisfactorily installation report of computers and related equipments from NIC being coordinated by Information Technology Services Department of BIS.

2.10 New Central AC Plant for Manak Bhawan Building by NBCC: The project of Installation of New Central AC Plant for Manak Bhawan at HQ was initiated in the year 2003-04. National Building Construction Corporation (NBCC) was appointed as Project Management Consultant (PMC) for the project. The cost of the project approved was ₹ 2.68 crores. The project work was awarded to M/s. Arief Engineers Pvt. Ltd., New Delhi by NBCC at a total cost of ₹ 2.55 crores in September 2004. The work was started in March 2005 and was discontinued at number of times due to one or other reasons. The project is at standstill condition since June 2006.

Out of the total advance payment of ₹ 80,00,000 to NBCC for the project, a sum of ₹ 31,60,194 was adjusted upto 2007-08 and the balance outstanding advance as on 31.3.2009 with NBCC amounts to ₹ 48,39,806. All total payments of ₹ 84,38,568 made up to 2008-09 under this project have been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets **(Schedule 4)**.

An amount of ₹ 1,68,828 was also paid to NBCC in the year 2004-05 for preparation of preliminary sketches, drawings and estimates under the project of "Modernization of Manak Bhavan Building", the scope of which was later restricted and linked up with project work of "Installation of New Central AC Plant of Manak Bhavan". The amount paid has been shown as Capital work in progress in the Schedule of Fixed Assets **(Schedule 4).**

"मानक भवन में नए केन्द्रीय एसी संयंत्र के संस्थापन" की परियोजना जून 2006 से रुकी हुई है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया था कि अन्य परियोजनाओं नामतः जेबीओ भवन तथा एनआईटीएस, नोएडा के निर्माण के लिए एनबीसीसी को कोई भुगतान जारी नहीं किया जाएगा। एनबीसीसी के साथ लेखा का निपटान प्रगति पर है।

As the project of "Installation of New Central AC Plant of Manak Bhavan" is in standstill condition since June 2006, therefore it was decided by the Competent Authority that no payment shall be released to NBCC against other projects, namely Construction of JBO Building and NITS Noida. The settlement of accounts with NBCC is in progress.

कार्यकारिणी समिति की 27 मार्च 2008 को हुई 79वीं बैठक में एनबीसीसी के साथ संविदा और करार समाप्त करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार एनबीसीसी को करार समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया। कार्यकारिणी समिति ने यह अनुमोदन भी किया कि मानक भवन और मानकालय दोनों की एयरकंडीशनिंग से संबद्ध सिविल और विद्युत कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सफदरजंग अस्पताल, परियोजना – विद्युत खंड से कराया जाए। परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 1702.35 लाख है। भा मा ब्यूरो ने 13-2-2009 को ₹ 20 लाख सीपीडब्ल्यूडी के पास जमा कर दिए है। इसे अनुसूची 7ख [(मद 2) (क) (ii)] में दर्शाया गया है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा डिजाइनिंग, प्लानिंग तथा अनुमान की तैयारी के बाद, इनकी ओर से विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया प्रगति पर है।

Executive Committee (EC) in its 79th meeting held on 27 March 2008 had decided to close the contract and agreement with NBCC. Accordingly, NBCC was served with notice for termination of the agreement. EC also approved the project related to air conditioning of both Manak Bhawan & Manakalaya and related civil and electrical works to be undertaken through the CPWD, Safdarjang Hospital, Project-Electrical Division. The Estimated Cost of the project is ₹ 1702.35 lakhs. BIS has deposited Rs. 20 lakhs with CPWD on 13.2.2009. This has been shown in Schedule 7B [Item 2(a)(ii)]. After designing, planning and preparation of estimates by CPWD, the tendering process for appointment of contractors for various works is in progress at their end.

2.11 भा मा ब्यूरो की निधियों में से पूंजीगत व्यय: वर्ष 2010-11 के दौरान समायोजित अग्रिम सहित भा० मा० ब्यूरो की निधियों में से किया गया पूंजीगत व्यय **₹ 37,27,23,854 है (अनुसूची 4)** (अर्थात **अनुसूची 1** में दिए गए अनुसार सरकारी अनुदान/सहायता से पूंजीगत परिसंपत्तियों के ₹ 27,56,310 निकाल कर अनुसूची 4 के अनुसार **₹ 37,54,80,164** का कुल वर्धन)। **₹ 37,27,23,854** के वर्धन के ब्यौरे निम्नानुसार हैः

(राशि ₹ में)

स्थिर संपत्ति लेखा	2010-11	2009-10
चंडीगढ़ में भूमि	34,12,81,348	—
भूमि एवं भवन – बैंगलुरु	—-	14,00,25,320
गुवाहाटी में भूमि	—	2,16,43,849
फर्नीचर एवं फिक्स्चर कार्यालय उपकरण तथा कम्प्यूटर	2,05,54,884	1,17,20,896
प्रयोगशाला उपकरण—भा मा ब्यूरो निधियाँ	1,01,90,176	1,75,34,432
पुस्तकालय पुस्तकें	6,97,446	8,49,480
कुल	**37,27,23,854**	**19,17,73,977**

2.11 Capital Expenditure out of BIS Funds: The capital expenditure out of BIS Funds including adjustment of advances during 2010-11 amounted to ₹ 37,27,23,854 (Schedule 4) **(that is ₹ 37,54,80,164 of total addition as per Schedule 4 LESS ₹ 27,56,310 towards assets capitalized from Govt. Grants/ assistance at as given in** Schedule 1**). The details of addition of** ₹ 37,27,23,854 **are as under:**

(Amount in ₹)

Fixed Assets Account	2010-11	2009-10
Land at Chandigarh	34,12,81,348	—
Land & Building – Bengaluru	—-	14,00,25,320
Land at Guwahati	—	2,16,43,849
Furniture & Fixtures, Office Equipments & Computers	2,05,54,884	1,17,20,896
Laboratory Equipments—BIS Funds	1,01,90,176	1,75,34,432
Library Books	6,97,446	8,49,480
TOTAL	**37,27,23,854**	**19,17,73,977**

2.12 अनुसूची 7क मद 2 (ग)(iii) अंतर्गत वसूली योग्य लेखे (अन्य): इसमें स्वर्गीय श्री डी० के० चढ्ढा, अवर श्रेणी लिपिक, कानपुर शाखा कार्यालय द्वारा अपविनियोजित किए गए ₹ 5,17,450 शामिल हैं। ब्यूरो ने मृत्यु उपदान तथा अवकाश नकदीकरण का भुगतान

2.12 The Accounts Recoverable (Others) under Schedule 7A, item 2(c)(iii): This includes ₹ 5,17,450 misappropriated by Late Shri D.K. Chadha, UDC, in Kanpur Branch Office in past. Bureau has withheld his payment of death gratuity and leave encashment. The

रोक लिया है। श्री एस० एस० त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, कानपुर के विरुद्ध आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है।

disciplinary proceedings initiated against Shri S.S. Tripathi, Section Officer, Kanpur Branch Office are under progress.

2.13 अनुसूची 7क, मद 2 (ग)(i) के अंतर्गत वसूली योग्य राशि (कर्मचारी): इसमें निलम्बाधीन श्री मोहन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक द्वारा कथित रूप से की गई जालसाजी/गबन के रु० 12,000 शामिल है। एक प्रार्थमिकी दर्ज की गई थी तथा मामला दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा के जाँचाधीन है जो इसके इसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा न्यायालय में मामला दर्ज कराया जाएगा। इस मामले के अनुशासनिक प्राधिकारी वैज्ञानिक एफ तथा उपमहानिदेशक (मध्य क्षेत्र) द्वारा श्री मोहन सिंह के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक जाँच की जा रही है। श्री मोहन सिंह, अवर श्रेणी लिपिक 30-4-2010 को भा मा ब्यूरो की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए है। चूंकि उनके विरुद्ध जांच चल रही है इसलिए **श्री मोहन सिंह के सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए गए हैं।**

2.13 Accounts Recoverable (Employees) under Schedule 7A, item 2(c)(i): This includes Rs. 12,000/- towards forgery/embezzlement allegedly committed by Shri Mohan Singh, UDC who is under suspension. A FIR was registered and the case is under scrutiny in the prosecution branch of Delhi Police which will thereafter be filed in the Court by Delhi Police. The departmental disciplinary enquiry against Sh. Mohan Singh is underway by Sc. 'F' & DDGC, the disciplinary authority in this case. Sh. Mohan Singh , UDC has retired on 30.4.2010 from the services of BIS. As the enquiry is underway, **the retirement benefits of Sh. Mohan Singh have been withheld.**

2.14 अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अशोध्य ऋणों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बट्टे खाते डाल दिए जाने के बाद आय एवं व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान भा० मा० ब्यूरो के सक्षम प्राधिकारी ने ₹ 6,67,310 के अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन किया जिसे **अनुसूची 15, मद 8 (एच)** में दर्शाया गया है।

2.14 Provision for Bad and Doubtful Debts: No provision is made for bad and doubtful debts. The bad debts are charged to Income & Expenditure Account after the same are approved by the competent authority. During 2010-11 bad debts of ₹ 6,67,310 were approved by the Competent Authority of BIS for write-off and have been shown under **Schedule 15, Item 8(h)**.

2.15 सामान्य भविष्य निधि खातों में अधिशेष: 2010-11 में भा मा ब्यूरो की कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि खाते में **₹ 7,35,953** का अधिशेष था। इसे लेखाकरण नीति (अनुसूची 13, मद ज) के अनुसार भा मा ब्यूरो की विविध आय माना गया है।

2.15 Surplus in General Provident Fund Accounts: There was a surplus of **₹ 7,35,953** in BIS Employees General Provident Fund Accounts during 2010-11. This has been treated as Miscellaneous Income of BIS as per the Accounting Policy [Schedule 13, Item (h)].

2.16 परोपकारी निधि: 31-3-2011 की स्थिति के अनुसार परोपकारी निधि में ₹ 4,34,950.00 का नामे शेष दर्शाया गया है जो कि उसमें फंड की कमी और विगत में भा मा ब्यूरो के खाते से परोपकारी निधि में राशि के अस्थायी अंतरण के कारण है। इसे "वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम" अनुसूची [7(ख), मद 4 (ग)] में दर्शाया गया है। 31.3.2011 तक, परोपकारी निधि द्वारा भा मा ब्यूरो के ₹ 8,04,500.00 देय हैं जो लेखे वसूलनीय (अन्य) तथा विविध लेनदार के अन्तर्गत दर्शाया गया हैं।

2.16 Benevolent Fund: The Benevolent Fund as on 31.3.2011 shows a debit balance of ₹ 4,34,950.00 which is due to shortage of funds therein and temporary transfer of amount to the Benevolent Fund from BIS Account in the past. This has been reflected under the Schedule of "Current Assets, Loans & Advances" [Schedule 7(B), Item 4(c)]. The Benevolent Fund owes ₹ 8,04,500.00 to BIS as on 31.03.2011 which has been reflected under Accounts Recoverable (others) and Sundry Creditors.

2.17 आय-कर में छूट: महानिदेशक, आयकर (छूट), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एफ संख्या डीजीआईटी (ई) 110 (23 सी) (iv/2008) एफ द्वारा जारी आदेश सं० 167 दिनांक 30-4-2008 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के की धारा 10 की उपधारा 23सी की उपधारा (iv) के प्रयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो को अनुमोदित किया गया है। आयकर विभाग का यह आदेश निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए और आगे के लिए भा मा ब्यूरो पर लागू है।

2.17 Income-tax Exemption: Bureau of Indian Standards has been approved for the purpose of sub-clause (iv) of clause 23C of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 vide Order No. 167 dated 30.4.2008 issued by Director General of Income-tax (Exemptions), Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India [F.No. DGIT(E)/10(23c)(iv)/2008]. This order of Income-tax Department is applicable to BIS for Assessment Year 2007-08 and onwards.

धारा 2 (15) में कल्याणकारी प्रयोजनों की परिभाषा में संशोधन, आकलन वर्ष 2009-10 से प्रभावी के मद्देनज़र धारा 10(23 सी) (iv) के अंतर्गत भा० मा० ब्यूरो को मिलने वाली छूट को रद्द/वापिस लेने के लिए भा० मा० ब्यूरो को डीजीआईटी (छूट) के कार्यालय से एक कारण बताओं नोटिस दिनांक 28-5-2009 को प्राप्त हुआ। भा मा ब्यूरो ने 12-6-2009 को डीजीआईटी (छूट) को अपना जवाब दिया। इस जवाब में यह कहा गया कि *भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम*, 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना मानकीकरण, गतिविधियों के मुहरांकन के सुमेलित विकास वस्तुओं तथा उनसे संबद्ध अथवा उसके प्रासंगिक विषयों के मुहरांकन और गुणतापरक प्रमाणन उद्देश्य से की गई है। भा मा ब्यूरो के सभी कार्यकलापों का लक्ष्य *भा मा ब्यूरो अधिनियम*, 1986 द्वारा उपभोक्ता हित में राजकीय कार्य करना है। भा मा ब्यूरो आकलन वर्ष 2009-10 से लागू किए जाने वाले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (15) के प्रावधान में भी नहीं आता, क्योंकि भा मा ब्यूरो कोई व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय नहीं करता अथवा व्यापार, वाणिज्य अथवा व्यवसाय से संबंधित कोई सेवा नहीं देता। भा मा ब्यूरो के कार्यकलाप पूरी तरह से जन उपयोगी उद्देश्य के उन्नयन से जुडे हैं, इस लिए भा मा ब्यूरो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के मूल भाग में निर्दिष्ट 'कल्याणकारी कार्यों' की परिभाषा में आता है। भा मा ब्यूरो ने डीजीआईटी (छूट) से निवेदन किया था कि आरंभ की गई प्रक्रिया को उपरोक्त कारणों से वापिस ले लिया जाए। इसके निर्णय का अभी इंतजार है।

चूंकि धारा 10(23सी)(iv) के अंतर्गत भा मा ब्यूरो को मिलने वाली छूट के लिए डीजीआईटी (छूट) द्वारा जारी आदेश सं० 167 दिनांक 30-4-2008 को अभी तक निर्दिष्ट प्राधिकरण ने वापिस नहीं लिया गया है, इसलिए आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2.18 भा मा ब्यूरो के वार्षिक लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित एकीकृत प्रारूप में तैयार किया गया है।

2.19 विगत वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक पाया गया, पुनः समूहबद्ध किया गया है ताकि उन्हें चालू वर्ष के वर्गों और आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

2.20 अंतिम लेखे में आंकड़ें निकटतम रुपयों में पूर्णांकित किए गए हैं।

2.21 अनुसूची 1 से 18 साथ संलग्न की जाती है और 31 मार्च, 2011 तक के तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

A Show Cause Notice dated 28.5.2009 was received by BIS from the Office of DGIT (Exemptions) for rescinding/ withdrawal of the exemption given to BIS under Section 10(23c)(iv) in view of the amendment in the definition of Charitable purpose in Section 2(15) w.e.f. Assessment Year 2009-10. BIS in its reply dated 12.6.2009 to DGIT (Exemptions) has stated that The Bureau of Indian Standards Act, 1986 (BIS Act) is an Act to provide for the establishment of a Bureau for the harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods and for matters connected therewith or incidental therein. All the activities of BIS are aimed at carrying out a sovereign direction through BIS Act, 1986 in the interest of the consumer. BIS does not also fall under the provision to Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961 introduced from Assessment Year 2009-2010, because the activities of BIS do not involve any trade, commerce or business or rendering of any service in relation to trade, commerce or business. The activities of BIS are purely in the advancement of object of general public utility and are thus covered under the definition of "charitable purpose" as prescribed in the substantive part of Section 2(15) of the Income Tax Act, 1961. BIS had prayed before DGIT (Exemptions) that for the afore-stated reasons, the proceedings commenced may kindly be withdrawn. The proceedings have been adjourned sine-die.

As the Order No. 167 dated 30.4.2008 issued by DGIT (Exemptions) towards exemption given to BIS under Section 10(23c)(iv) continues, therefore, no provision has been made for Income Tax.

2.18 The Annual Accounts have been prepared in the Uniform Formats of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

2.19 The previous year figures have been re-grouped wherever found necessary to make them comparable with current year groups and figures.

2.20 Figures in Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

2.21 Schedule 1 to 18 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31st March 2011 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date.

(राशि लाख ₹ में/Amount in Lakhs ₹)

अनुसूची 18 — दिनांक 31-3-2011 तक निवेश का विवरण
SCHEDULE 18 — DETAILS OF INVESTMENT AS ON 31-3-2011

क्रम संख्या Sl No.	संस्थान का नाम Name of Institution	लागत पर निवेश Investment at Cost	निवेश का सांकेतिक बाजार मूल्य Indicative Market Value of Investment*
1	**भा मा ब्यूरो निधियों के निवेश INVESTMENT OF BIS FUNDS**		
1.1	**बैंकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांडों तथा जमा राशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial Institutions other than Banks in Bonds & Deposits**		
1.1.1	9.30% पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड – उद्धरित 9.30% Power Finance Corporation Bonds – Quoted	300.00	299.01
	9.40% पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड – उद्धरित 9.40% Power Finance Corporation Bonds – Quoted	3496.85	3494.75
	9.40% पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड – उद्धरित 9.40% Power Finance Corporation Bonds – Quoted	277.70	279.58
	10.75% पावर फाइनेंस कार्पोरेशन बांड – उद्धरित 10.75% Power Finance Corporation Bonds – Quoted	150.00	150.00
1.1.2	8.45% रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन – एनसीडी उद्धरित 8.45% Rural Electrification Corporation – NCD – Quoted	940.00	913.68
1.1.3	15.00% मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (एमपीएसईबी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें) 15.00% Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB) (see Note 2.4.2 of Schedule 17)	100.00	100.00
1.1.4	14.40% मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० (एमपीएसआईडीसी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें) 14.40% M.P. State Industrial Development Corporation (MPSIDC) (see Note 2.4.2 of Schedule 17)	300.00	300.00
1.1.5	16% उ०प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि० (यूपीसीएसएमएफएल) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें) 16% U.P. Co-operative. Spinning Mills Federation Ltd. (UPCSMFL) (see Note 2.4.2 of Schedule 17)	200.00	200.00
	योग (1.1) TOTAL (1.1)	**5764.55**	**5737.02**
1.2	**बैंकों में सावधिक जमा राशियाँ Investment with banks in fixed deposits**		
1.2.1	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank	190.00	190.00
1.2.2	आंध्रा बैंक Andhra Bank	480.00	480.00
1.2.3	बैंक ऑफ इंडिया Bank of India	6899.17	6899.17
1.2.4	इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया Industrial Development Bank of India	14455.51	14455.51
1.2.5	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स Oriental Bank of Commerce	6107.57	6107.57
1.2.6	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर State Bank of Bikaner & Jaipur	2115.31	2115.31
1.2.7	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद State Bank of Hyderabad	1325.00	1325.00
1.2.8	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पहले स्टेट बैंक ऑफ इंदौर) State Bank of India (earlier SB of Indore)	1553.00	1553.00
1.2.9	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर State Bank of Mysore	4423.33	4423.33
1.2.10	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला State Bank of Patiala	17265.94	17265.94
1.2.11	स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर State Bank of Travancore	5828.79	5828.79
1.2.12	सिंडिकेट बैंक Syndicate Bank	3969.91	3969.91
1.2.13	यूको बैंक UCO Bank	350.00	350.00
	योग (1.2) TOTAL (1.2)	**64963.53**	**64963.53**
	योग (1) TOTAL (1)	**70728.08**	**70700.55**

कुल ₹ 70728.08 लाख का कुल निवेश निम्नलिखित निधियों हेतु आंबटित

TOTAL INVESTMENT OF ₹ 70728.08 LAKHS ALLOCATED TOWARDS FOLLOWING FUNDS (see Note 2.4.1 of Schedule 17)

क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयता निधि खाता अनुसूची 5 (मद 1.1) के अंतर्गत a) Pension/Gratuity Liability Fund Account Under Schedule 5 (Item 1.1)		5764.55	
अनुसूची 7(क), मद 4(क) (iii) (ए) (IV) के अंतर्गत Under Schedule 7(A), Item 4(a) (iii) (A) (IV)		55674.50	61439.05
ख) नई पेंशन योजना निधि अनुसूची 7(क), मद 4(क) (iii) (ए) (iii) के अंतर्गत b) New Pension Scheme Fund Under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(A)(III)			27.43
ग) सामान्य निवेश – समग्र/पूँजी निधि अनुसूची 7(क), मद 4(क) (iii) (ए) (iii) के अंतर्गत c) General Investments – Corpus/Capital Fund under Schedule 7(A) Item 4(a)(iii)(B)			9261.60
भा मा निधियों का कुल निवेश Total Investments of BIS Funds			**70728.08**

2	**कर्मचारी निधि निवेश INVESTMENT OF EMPLOYEES FUNDS**		
2.1	**सामान्य भविष्य निधि (अनुसूची 5 देखें) General Provident Fund (see Schedule 5)**		
2.1.1	विशेष जमा में निवेश (आरबीआई) Investment in special deposit (RBI)	3127.08	3127.08
2.1.2	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ – उद्धरित Government of India Securities – Quoted	2446.36	2342.58
2.1.3	राज्य सरकार में प्रतिभूतियाँ – उद्धरित State Government Securities – Quoted	1235.67	1202.78
2.1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में बांड तथा जमाराशियों में निवेश Investment with PSUs & Financial institutions in Bonds & Deposits		
	उद्धरित निवेश Quoted Investment	2595.65	2510.54
	अनुद्धरित निवेश Unquoted Investment		
	— मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (एमपीएसआईडीसी) (अनुसूची 17 की टिप्पणी 2.4.2 देखें)	45.00	45.00
	M.P.State Industrial Development Corporation (MPSIDC) (see Note 2.4.2 of Schedule 17)		
	— बिहार जैक 2013 बांड Bihar Zac 2013 Bonds	2.66	5.00
2.1.5	अन्य निवेश – बैंक में सावधि जमा Other Deposits – Bank Fixed Deposits	489.80	489.80
	योग (2) TOTAL (2)	**9942.22**	**9722.78**
3	**निवेश – अन्य INVESTMENT – OTHERS**		
3.1	एबीओ भवन परियोजना – सावधि जमा – सिंडिकेट बैंक ABO Building Project – Fixed Deposit – Syndicate Bank	13.00	13.00
	कुल योग (1+2+3) GRAND TOTAL (1+2+3)	**80683.30**	**80436.33**

***टिप्पणी:** निवेशों का बाजार मूल्य भा मा ब्यूरो के निधि प्रबंधक मैसर्स आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि०, मुम्बई द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार मूल्य पर किया गया है, जहाँ बाजार मूल्य उपलब्ध थे अथवा यदि बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे वहां अंकित क्रय मूल्य पर किया गया। निम्नलिखित में बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं थे, एमपीईबी, एमपीएसआईडीसी, यूपीसीएफएमएफएल और बिहार जैक 2013 बॉंड के बाज़ार मूल्य उपलब्ध नहीं थे। बैंकों की सावधि जमा अंकित मूल्य पर दर्शायी गई है। इसका ब्रेक-अप निम्नानुसार हैं:

*NOTE: Market Value of investments have been made available by BIS Fund Manager M/s. IDBI Capital Market Services Ltd, Mumbai. The securities have been valued at market price where market quotes were available or at face value/purchase price if the market quotes are not available. The market quotes were not available in respect of MPEB Bonds, MPSIDC Bonds, UPCSMFL Bonds, and Bihar Zac 2013 Bonds. The Fixed Deposits with Banks have been shown at face values. The break-up is as follows:

सकल उद्धरित निवेश The aggregate quoted investment	=	₹ 11444.89 lakhs (बाजार मूल्य Market value ₹ 11197.92 lakhs)
सकल अनुद्धरित निवेश (सावधि जमा सहित) The aggregate unquoted investment (including fixed deposits)	=	₹ 69238.41 lakhs
कुल निवेश Total Investment	=	**₹ 80683.30 lakhs**

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS
वर्ष 2010-11 का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2010-11

(राशि ₹ में/Amount in ₹)

प्राप्ति RECEIPT			भुगतान PAYMENTS		
विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
I) आरंभिक रोकड़ एवं बैंक अधिशेष Opening Cash and Bank Balances	128,434,550	116,680,248	I) खर्चे Expenses	1,402,622,859	1,385,389,595
II) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान Grants received from Govt. of India	23,439,000	47,800,000	II) विभिन्न परियोजनाओं हेतु निधियों के लिए किया गया भुगतान Payments made against Funds for various Projects		
III) निवेश पर आय Interest received on Investments	938,154,906	246,536,880	क) हॉलमार्किंग केन्द्रों की स्थापना की योजना a) Scheme for setting up of Hallmarking Hall Marking Centres	8,847,661	8,563,225
IV) प्राप्त ब्याज – बचत बैंक खाता Interest received – Saving Bank Accounts	1,664,902	570,363	ख) उपभोक्ता संरक्षण हेतु गुणता ढांचा – ग्यारहवीं योजना b) Quality Infrastructure for Consumer Protection – XIth Plan	21,472,754	8,415,766b
V) आय – सेवा, बिक्री एवं अन्य Income – Services, Sales and Miscellaneous	2,236,173,379	1,952,459,002	ग) सौर फ्लैट कलेक्टर्स हेतु एनसीईएस मंत्रालय c) Ministry of NCES for Solar Flat Plate Collectors	334,357	—
VI) अन्य प्राप्तियाँ Other Receipts			III) किया गया निवेश एवं जमा (शुद्ध) Investments and Deposits made (Net)	1,164,116,485	153,255,525
क) पेंशन/ग्रेच्युटी देयताएँ लाभ a) Pension/Gratuity Liability Fund	213,411,076	419,611,128	IV) स्थिर परिसम्पत्तियों पर व्यय Expenditure on Fixed Assets	285,977,924	191,961,567
ख) परोपकारी निधि b) Benevolent Fund	880,395	905,185	V) अन्य भुगतान Other Payments		
			क) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ, वर्तमान देयताएँ तथा अंर्तलेखा (शुद्ध) a) Current Assets, Current Liabilities and Inter Accounts (Net)	293,965,525	487,238,802
			ख) पेंशन लाभ b) Pension Benefits	213,184,649	420,103,761
			ग) परोपकारी निधि c) Benevolent Fund Benefits	600,000	1,200,015
			VI) रोकड़ शेष एवं बैंक अधिशेष Closing Cash & Bank Balances	151,035,994	128,434,550
योग TOTAL	3,542,158,208	2,784,562,806	योग TOTAL	3,542,158,208	2,784,562,806

भारतीय मानक ब्यूरो : सामान्य भविष्य निधि BUREAU OF INDIAN STANDARDS : GENERAL PROVIDENT FUND

I) आरंभिक रोकड़ शेष Opening Bank Balance	3,194,241	1,755,631	I) वापसी एवं अंतिम भुगतान Withdrawals & Final Payments	108,675,451	115,061,996
II) निवेश पर प्राप्त ब्याज Interest Received on Investments	70,659,719	64,920,872	II) कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	4,474,110	9,943,600
III) कर्मचारियों का अंशदान Employees' Subscriptions	159,148,556	174,472,806	III) मृत्यु बीमा Death Linked Insurance	316,381	337,894
IV) अग्रिम वापसी Refund of Advances	7,890,300	8,170,252	IV) किया गया निवेश एवं जमा (शुद्ध) Investments and Deposits made(net)	123,206,047	123,374,323
V) अन्य प्राप्तियाँ – वर्तमान परिसम्पत्तियाँ Other Receipts – Current Assets	238,518	2,594,512	V) अन्य भुगतान Other Payments :		
			क) वर्तमान देयताएँ a) Current Liabilities	1,383,288	—
			ख) बैंक प्रभार b) Bank Charges	5,419	2,019
			VI) बैंक रोकड़ शेष Closing Bank Balance	3,070,638	3,194,241
योग TOTAL	241,131,334	251,914,073	योग TOTAL	241,131,334	251,914,073

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष की भारतीय मानक ब्यूरो के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा

1. हमने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 22(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत भारतीय मानक ब्यूरो (भा मा ब्यूरो) के दिनांक 31 मार्च, 2011 तक के तुलन-पत्र एवं इस दिनांक को समाप्त वर्ष की आय एवं खर्चों के लेखा/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखाओं का ऑडिट किया है। इन वित्तीय विवरणों में भारतीय मानक ब्यूरो के 20 शाखा कार्यालयों, 5 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं साहिबाबाद स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला व राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान के खातों को सम्मिलित किया गया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए भा मा ब्यूरो का प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वर्गीकरण, लेखा संबंधी सर्वोत्तम रीतियों के साथ अनुरूपता, लेखांकन मानकों एवं डिस्कलोजर नार्मस इत्यादि से संबद्ध लेखाकरण समाधान पर टिप्पणी की है। कानूनों, नियम एवं विनियमों (प्रोप्रायटी एवं रेगुलेटरी) तथा दक्षता-सह-कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के अनुपालन से संबद्ध वित्तीय लेन-देनों पर निरीक्षण रिपोर्टों/अलग से सीएजी की ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से ऑडिट टिप्पणियाँ की गई हैं।

3. हमने यह ऑडिट भारत में लेखाकरण के सामान्यतः स्वीकृत मानदंडों के अनुसार किया है। इन मानदंडों में यह अपेक्षित है कि इन वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी से मुक्त होने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करके ऑडिट की योजना बनाई जाए। ऑडिट में रकमों के समर्थक सबूतों एवं वित्तीय विवरणों में प्रकटन संबंधी जाँचें परीक्षण आधार पर सम्मिलित होती हैं। ऑडिट में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशेष अनुमानों तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय को उपयुक्त आधार प्रदान करती है।

4. **ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:**

   i) हमने अपने ऑडिट के प्रयोजनार्थ अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी जानकारियाँ एवं स्पष्टीकरण लिए हैं।

   ii) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलन-पत्र आय एवं खर्च, लेखा/प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi for the year ended 31 March 2011

1. We have audited the attached Balance Sheet of Bureau of Indian Standards (BIS), New Delhi as at 31 March 2011 and the Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 22(2) of the Bureau of Indian Standards Act, 1986. These financial statements include the accounts of 20 Branch Offices, 5 Regional Offices and 1 Central Laboratory at Sahibabad and a Training Institute of the BIS. These financial statements are the responsibility of the BIS's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc, if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. **Based on our audit, we report that:**

   i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

   ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the

लेखा संबंधी एकरूप फार्मेट लिया गया है।

iii) हमारी राय में खाता बहियों एवं अन्य संबंधित रिकार्डों की समुचित जाँच करने के बाद लगता है कि इन्हें *भा मा ब्यूरो अधिनियम*, 1986 की धारा 22(2) के तहत सही ढंग से बनाया गया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

क) तुलन पत्र

वर्तमान परिसम्पतियाँ, ऋण तथा अग्रिम

i) **फुटकर देनदारियाँ** **₹ 465.68 लाख**

वर्ष 1993-94 से 2007-08 तक की अवधि से संबद्ध बिक्री तथा प्रमाणन शुल्क के संदर्भ में ₹ 46.21 लाख की फुटकर देनदारियाँ शामिल हैं। देनदार तीन वर्ष से पुराने हैं तथा इनकी समीक्षा करने तथा जहाँ अपेक्षित है प्राहिवित करना अपेक्षित है।

ii) **वसूली योग्य अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम तथा अन्य राशि** **₹ 454.95 लाख**

इनमें 2002-03 के दौरान एकीकृत कम्प्यूटरीकरण परियोजना के लिए एनआईसी को दिए ₹ 49.96 लाख शामिल हैं। परियोजना पूरी हो गई है तथा कम्प्यूटर और संबद्ध उपस्कर संस्थापित किए गए और ब्यूरो द्वारा उनका उपयोग किया जा रहा है। किन्तु, ब्यूरो ने अग्रिम समायोजित नहीं किया है। अग्रिम को समायोजित न करने का परिणाम स्थिर परिसंपत्तियों का न्यून विवरण और ₹ 49.46 लाख की सीमा तक अग्रिम का अधिविवरण है। इसका परिणाम मूल्यह्रास का न्यून विवरण और आय का अधिविवरण भी है।

ख) आय तथा व्यय लेखा

व्यय **₹ 23656.86 लाख**

इसमें ब्यूरो (यूनिट-बैंगलुरु) द्वारा पुणे विश्वविद्यालय को परामर्श परियोजना के लिए मार्च, 2011 में दिए ₹ 8.18 लाख रुपये शामिल है, यह कार्य अप्रैल, 2011 से आरंभ होना था। यूनिट ने इस राशि को अग्रिम के रूप में दी गई राशि दर्ज करने के स्थान पर इसे आय तथा व्यय लेखे में प्रभारित किया। इसका परिणाम वर्ष 2010-11 के लिए ₹ 8.18 लाख की सीमा तक अग्रिम के न्यून विवरण और व्यय के अधिविवरण के रूप में है।

ग) सहायता अनुदान

वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 2.44 करोड़ का सहायता अनुदान (योजना) प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान कुल सहायता अनुदान

Uniform Format of Accounts as prescribed by the Ministry of Finance.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained, under section 22(2) Bureau of Indian Standards Act, 1986, in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A) Balance Sheet

Current Assets, Loans and Advances

i) **Sundry Debtors** **₹ 465.68 lakh**

The Sundry Debtors includes ₹ 46.21 lakh on account of sales and certification fee pertaining to the period 1993-94 to 2007-08. The debtors are more than three years old and needs to be reviewed and provided for whenever required.

ii) **Advances and other amounts recoverable or for value to be received** **₹ 454.95 lakh**

The above includes Rs.49.46 lakh paid to M/s. NIC for Integrated Computerization Project during 2002-03. The project was completed and computers and related equipments were installed and are being used by the Bureau. However, the Bureau has not adjusted the advance. The non-adjustment of advances resulted in understatement of fixed assets and overstatement of advances to the extent of ₹ 49.46 lakh. Also, this has resulted in understatement of depreciation and overstatement of Income.

B) Income and Expenditure Account

Expenditure **₹ 23656.86 lakh**

The above includes ₹ 8.18 lakh paid by Bureau (unit-Bengaluru) for consultancy project to Pune University in March 2011, the work was to be started from April 2011. The unit instead of booking the amount paid as advance, charged the amount income and expenditure account. This has resulted in understatement of advances and overstatement of expenditure to the extent of ₹ 8.18 lakh for the year 2010-11.

C) Grants-in-aid

During 2010-11, the Grants-in-aid (Plan) of ₹ crore were received. The total Grants-in-aid (Plan) during the year was ₹ 7.41 crore (including previous

₹ 7.41 करोड़ (पिछले वर्ष के ₹ 4.97 करोड़ के अप्रयुक्त बकाया सहित) था। ब्यूरो ने 31 मार्च, 2011 को ₹ 1.32 करोड़, अप्रयुक्त अनुदान बकाया छोड़कर ₹ 6.09 करोड़ सहायता अनुदान (योजना) का उपयोग किया।

year unspent grant of ₹ 4.97 crore). The Bureau utilized ₹ 6.09 crore Grants-in-aid (Plan), leaving a balance of ₹ 1.32 crore as unutilized grant as on 31st March 2011.

घ) प्रबंधन का पत्र

जो त्रुटियाँ पृथक् ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है, उन्हें उचित सुधारात्मक कार्रवाही के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधक पत्र के माध्यम से ब्यूरो के महानिदेशक के ध्यान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों का अवलोकन करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन पत्र और आय एवं व्यय का लेखा/प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

vi) हमारी राय तथा हमारी सूचना तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर लेखा संबंधी नीतियों और टिप्पणियों के साथ पढ़े गए तथा उपरोक्त सार्थक मामले तथा इस अलग ऑडिट रिपोर्ट के अनुलग्नक-I में दिये गये मामलों के अध्याधीन उक्त वित्तीय विवरण भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा संबंधी सिद्धातों की अनुरूपता की दृष्टि से सत्य और स्पष्ट है:

क) जहाँ तक इसका संबंध 31 मार्च, 2011 के भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यों के तुलन पत्र से है; और

ख) जहाँ तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय और खर्च लेखा से है।

हस्ता०/-
(आनंद मोहन बजाज)
लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 25 अक्तूबर 2011

D) Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Separate Audit Report have been brought to the notice of the Director General of BIS through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income & Expenditure Account/Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure-I to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Bureau of Indian Standard as at 31 March 2011; and

b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

Sd/-
(Anand Mohan Bajaj)
Principal Director of Audit
Economic & Service Ministries

Place: New Delhi
Date: 25 October 2011

अनुलग्नक - I Annexure - I

1	आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता Adequacy of Internal Audit System	भारतीय मानक ब्यूरो का आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा रहा है यह संगठन और गतिविधियों के अनुरूप पाया गया। The internal audit of BIS is being conducted by Chartered Accountant thus found commensurate with the size and activities of the organization.
2	आंतरिक लेखा परीक्षा की पर्याप्तता Adequacy of Internal Control System	भा मा ब्यूरो (मुख्यालय) में आंतरिक लेखा नियंत्रण प्रणाली काफी प्रभावी है। आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर्ड लेखापाल द्वारा की जाती है जिसे भा मा ब्यूरो प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाता है। आय तथा व्यय का स्पष्ट लेखा है। There is fairly effective system of internal control prevailing in the BIS (Headquarters). Internal audit is conducted half yearly by a Chartered Accountant who is appointed by the Board of Management of BIS. There is clear accounting of income and expenditure.
3	स्थिर परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली System of Physical Verification of Fixed Assets	2010-11 की अवधि में एनआईटीएस, नौएडा का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया साथ ही भा मा ब्यूरो के विभिन्न क्षेत्रीय / शाखा कार्यालयों द्वारा भेजी तालिका के साथ संलग्न स्थिर परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन संबंध उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए। Physical verification for the period 2010-11 has not been conducted in respect of NITS Noida as well as certificate to the effect that physical verification of fixed assets was conducted was also not found annexed with the schedules as sent by various Regional/ Branch Offices of the BIS.
4	वस्तु सूची के भौतिक सत्यापन की पद्धति System of Physical Verification of Inventory	वस्तुसूची के किये गए भौतिक सत्यापन के प्रमाण पत्रों में विभिन्न क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय द्वारा भेजी गई तालिका में इसका प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। Certificate to the effect that physical verification of inventory was conducted was also not found annexed with the schedules as sent by various Regional/Branch Offices of the BIS.
5	उन पर लागू सांविधिक देयता के भुगतान में नियमितता Regularity in payment of statutory Dues applicable to them	भा मा ब्यूरो अविवादित सांविधिक देयताओं के भुगतान में नियमित है। BIS is regular in payment of undisputed statutory dues applicable to them.

भा० मा० ब्यूरो की संरचना
Structure of BIS

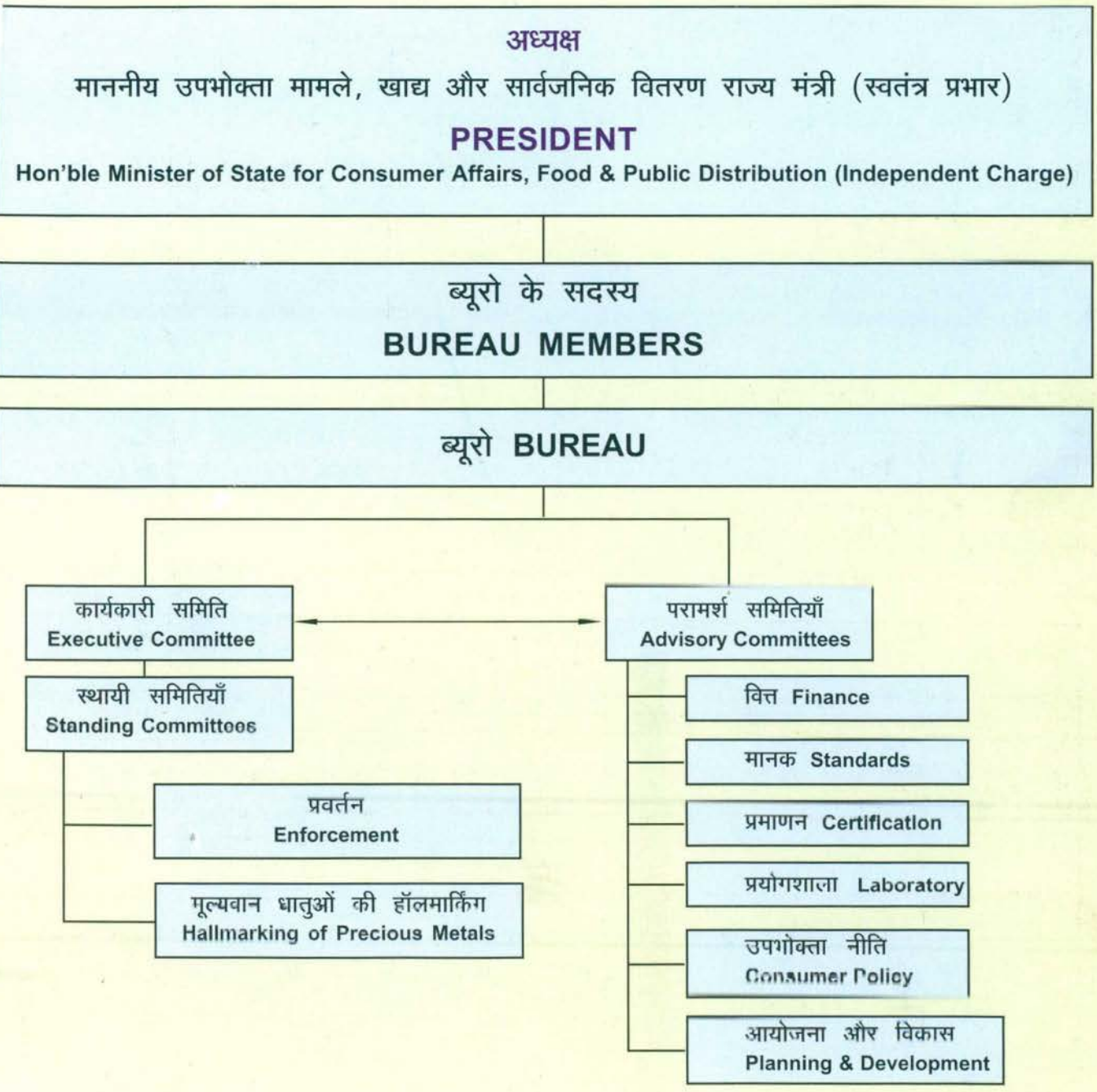

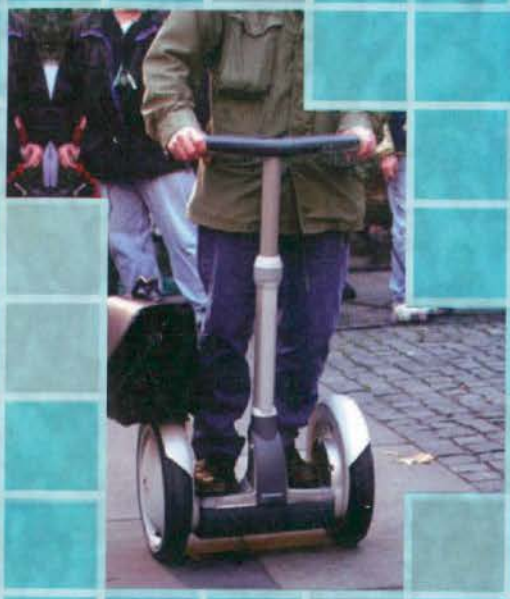

मानक : पथप्रदर्शक :

भारतीय मानक ब्यूरो

Bureau of Indian Standards

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002, वेबसाईट : **www.bis.org.in**, ई–मेल : **info@bis.org.in**

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002, Website : www.bis.org.in, E-mail : info@bis.org.in

Printed By Directorate of Printing at Govt. of India Press, Nasik